हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 फरवरी, 1993

खण्ड–1, अंक–2

अधिकृत विवरण

विशत सूची

बुधवार, 24 फरवरी, 1993

पृश्ठ संख्या

	तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
	नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(2)22
	अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)23
	घोशणाएं –	
(क)	अध्यक्ष द्वारा –	
	(i) सभापतियों के नामों की सूची	(2)46
	(ii) याचिका समिति	(2)46
	(iii) अनुपस्थिति की अनुमति	(2)46
(ख)	सचिव द्वारा –	
	(i) राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(2)47
	(ii) सांविधानिक विधेयकों के अनुसमर्थन से संबंधित	(2)47

	राज्य सभा से प्राप्त दस्तावेज	
	प्रो. सम्पत सिंह के विरूद्ध	(2)48
	ध्यानाकर्शण सूचनाएं	(2)51
	स्थगन प्रस्ताव	(2)51
	वाक आउट	(2)52
	बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(2)55
	नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(2)62
	सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज पत्र	(2)63
	राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा	(2)65
	बैठक का समय बढ़ाना	(2)100
	राज्यपाल के अधिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)100
	बैठक का समय बढ़ाना	(2)101
	राज्यपाल के अधिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)102
	अनैक्श्चर 'ए'	(2)103

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 24 फरवरी, 1993

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, क्वैश्चंज आवर।

Electricity Connections for Tubewells

***394. Sh. Amar Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the divisionwise number of applications for electricity connections for Tubewells lying pending in the State at present togetherwith the details of period since when such applications are pending; and

(b) the time by which the above said connections are likely to be given?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) नए कनैक्शनों के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होना एवं कनैक्शनों का देना एक निरन्तर प्रक्रिया हैं संसाधनों पर निर्भर

करते हुए पूर्वनिर्धारित वार्शिक लक्ष्यों के अनुसार अधिकमत कनैक्शन दिए जाते है।

विवरण

दिनांक 31.12.1992 तक मण्डल अनुसार एवं अवधि अनुसार टयूबवैल कनैक्शनों के लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्याः–

क्र.स.	मण्डल का नाम	एक वर्श तक	एक वर्श से 2 वर्श तक	दो से तीन वर्श तक	तीन से अधिक वर्श	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	अम्बाला	222	48	21	20	311
2	अम्बाला छावनी	380	172	125	126	803
3	पंचकूला	20				20
	अम्बाला परिमण्डल	622	220	146	146	1134
4	यमुनानगर	439	170	141	546	1296
5	जगाधरी	701	274	358	856	2189

6	नारायणगढ़	525	287	149	147	1108
	यमुनानगर परिमण्डल	1665	731	648	1549	4593
7	कुरूक्षेत्र	339	154	84	44	621
8	शाहबाद	333	122	102	38	595
9	पेहवा	518	302	443	433	1696
10	कैथल	866	388	447	659	2360
11	पुन्डरी	1318	358	370	435	2481
	कुरूक्षेत्र परिमण्डल	3374	1324	1446	1609	7753
12	करनाल	217	109	87	262	675
13	करनाल–1	1085	594	521	452	2652
14	करनाल–2	1144	456	448	722	2770
15	पानीपत	408	141	148	146	843
16	पानीपत सब–अरबन	1746	1450	591	391	4178
	करनाल परिमण्डल	4600	2750	1795	1973	1118

17	फरीदाबाद					
18	फरीदाबाद पुराना	123	23	35		181
19	बल्लभगढ़	312	123	60	7	502
20	पलवल	739	83	61	74	957
	फरीदाबाद परिमण्डल	1174	229	156	81	1640
21	सोनीपत	303	150	71	156	680
22	सोनीपत सब–अरबन	1169	281	458	428	2336
23	गोहाना	951	202	155	69	1377
	सोनीपत परिमण्डल	2423	633	684	653	4393
24	गुड़गांव	43				43
25	गुड़गांव सब/अरबन	662	228	57		1007
26	सोहना	803	353	445		1601
27	गुड़गांव ओ.ओ.सी.	465	391	195	1	1052

	गुड़गांव परिमण्डल	1973	1032	697	1	3703
28	महेन्द्रगढ़	708	285	315	207	1515
29	रिवाड़ी	818	390	569	645	2422
30	धारूहेड़ा	392	193	194	530	1309
31	नारनौल	487	201	386	193	1266
	नारनौल परिमण्डल	2405	1069	1464	1575	6513
32	सिरसा	355	270	174	418	1219
33	सिरसा सब–अरबन	961	579	785	642	2967
34	डबवाली	553	223	164	328	1266
	सिरसा परिमण्डल	1869	1072	1425	1388	5354
35	भिवानी	550	76	78	33	737
36	भिवानी सब–अरबन	1302	525	595	816	3315
37	दादरी	706	209	231		1146
	भिवानी परिमण्डल	2638	810	901	849	5198
38	जीन्द	755	284	242	198	1479

39	नरवाना	1093	413	245	386	2137
40	सफीदों	680	209	227	513	1629
	जीन्द परिमण्डल	2528	906	714	1097	5245
41	रोहतक	115	5	2		122
42	रोहतक सब–अरबन	251	75	80		406
43	झज्जर	640	292	214	182	1328
44	बहादुरगढ़	181	71	36	17	305
	रोहतक परिमण्डल	1187	443	332	199	2161
45	हिसार–1	29	20	10	2	61
46	हिसार–2	290	163	84	103	840
47	टोहाना	522	387	358	344	1611
48	फतेहाबाद	964	210	104	484	1762
49	हांसी	227	211	178	715	1331
	हिसार परिमण्डल	2032	991	734	1648	5405
	समस्त बोर्ड	28490	12210	10842	12768	64310

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जबवा दिया है उसके मुताबिक हिसार I Block में टयूबवैल्ज की 61 ऐप्लीकेशंज पेंडिंग हैं और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 5198 टयूबवैल्ज के कनैक्शंज के लिए ऐप्लीकेशंज पेंडिंग हैं। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन सबको कब तक कनैक्शंज मिल जाएंगे?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, हमारी तो यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टयूबवैल्ज के कनैक्शंज दिए जाए। पिछली सरकार ने करीब 59700 टैस्ट रिपोर्टस पैंडिंग छोड़ी थीं और निर्धारित लक्ष्य दस हजार कनैक्शन देने का था लेकिन हमने आते ही बीस हजार कनैक्शन देनै का लक्ष्य निर्धारित किया और उसके अगैन्सट 20369 कनैक्शंज दिए। स्पीकर साहब, ज्यों–ज्यों पैसा उपलब्ध होता है, इस बारे में कार्यवाही होती हैं। मैं बिजली बोर्ड की मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि उसने टारगैट से भी ज्यादा कनैक्शन दिए हैं।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जब हमारी सरकार थी तो उस समय मनी डिपोजिट की एक स्कीम थी और उस स्कीम के अधीन काफी लोगों ने पैसा जमा करवाया था। क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह स्कीम कंटीन्यू कर रही है या डिसकंटीन्यू कर दी गई है? अगर डिसकंटीन्यू कर दी गई है तो क्या लोगों का पैसा जिन्होंने जमा किया था वह वापिस कर

दिया गया है या नहीं, अगर नहीं तो वह पैसा कब तक वापिस कर दिया जाएगा?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, इन्होंने ऐसी प्रथा शुरू कर दी थी जो ठीक नहीं थी। हमने उस प्रथा को नवम्बर, 1992 में बन्द कर दिया है। इनकी सात हजार और दस हजार रूपए जमा कराने की स्कीम थी लेकिन हमने उसको बन्द कर दिया। जहां तक पैसा वापिस करने का सवाल है, जिन लोगों का पैसा जमा है, अगर उनको टयूबवैल का कनैकशन देने में ऐडजस्ट हो जाएगा तो ठीक है और अगर नहीं ऐडजस्ट होगा तो वह पैसा उनको वापिस कर दिया जाएगा।

श्री मनीराम केहरवाला: अध्यक्ष महोदय, पिछले रिजीम में बिजली बोर्ड के पास जो पैसे जमा होते थे, वह किसानों से प्रियारिटी के नाम पर लिए जाते थे लेकिन किसानों को न तो उसकी कोई रसीद दी जाती थी और न ही उनको कनैक्शन ही दिए जाते थे।

Mr. Speaker: Whatever you have said is a statement and not a question. You may ask what you wanted to ask in the form of question.

श्री मनीराम केहरवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सप्लीमैंटरी ही पूछना चाहता हूं। पिछली सरकार किसानों से बिजली के कनैक्शन के लिए 7–7 और 10–10 हजार रूपये प्रियारिटी के नाम से लेती थी, जिसकी किसानों को कोई रसीद

वगैरह नहीं दी जाती थी। क्या सरकार के पास उसका कोई रिकार्ड है।

Mr. Speaker: It is also a statement and not a question.

श्री रामपाल सिंह कंवर: अध्यक्ष महोदय, करनाल व पानीपत सर्कल के अन्दर टयूबवैल्ज कनैक्शन की फिगर्ज जो रिप्लाई में दी गई हैं, उनको देखने से पता चलता है कि बाकी जिलों के मुकाबले में सबसे जयादा पैंडिंग कनैक्शन्ज इन्हीं सर्कलज में हैं जो एक, दो व तीन–तीन सालों से पेंडिग पड़े हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से जो तीन–तीन सालों से पैंडिग कनैक्शन है, उस बारे में सरकार की क्या पालिसी है, क्या क्राइटेरिया है और कब तक सरकार किसानों को प्रियारिटी के हिसाब से कनैक्शन दे देगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह पालिसी है कि जो पुराने कनैक्शन बकाया है। पहले उनको नम्बर के हिसाब से देंगे। इसके लिए बाकायदा रजिस्टर है। उसी के हिसाब से नम्बर वाईज कनैक्शन दिये जाते हैं लेकिन कुरूक्षेत्र व करनाल जोकि जीरी और गेहूं का ऐरिया है, वहां पर हमारी कोशिश यह है कि हम सबसे पहले प्रायरिटी के हिसाब से कनैक्शन रिलीज करें।

श्री अध्यक्षः जहां जहां लोगों ने ज्यादा तादाद में एप्लाई कर रखी हो, वहां पर आप क्या ज्यादा परसेन्टेज के हिसाब से कनेक्शन देने की कोशिश करेंगे?

चौ. भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कोशिश करेंगे।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा मे मुख्यमंत्री के रिप्लाई के अनुसार 64310 कनैक्शंज बकाया हैं। तीन साल से ज्यादा का नम्बर हैं 12768 और एक साल व दो साल से जो पैंडिंग हैं उनकी संख्या 12210 और दो साल से तीन साल तक के जो बकाया क्नैक्शंज हैं, उनकी संख्या 10842। इसी तरह से हिसार की निस्बत भिवानी जिले में सबसे कम क्नैक्शंज दिये गए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भिवानी जिले को कुद प्रफरैन्स दी जाएगी क्योंकि ऐसे इलाकों में जहां नहर का पानी अवेलेबल नहीं हैं, अगर वहां टयूबवैल्ज का पानी भी लोगों को नहीं मिलेगा तो लोग त्राही–2 मचाने लगेंगे। कया इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भिवानी जिले में कनैक्शंज ज्यादा देगी?

चौ. भजन लालः अध्यक्ष महोदय, भिवानी में 1650 टैस्ट रिपोटर्स पैंडिंग हैं और हिसार में इससे ज्यादा 2514 टैस्ट रिपोर्टस पैंडिग है। हम जानते हैं कि जहां नहर का पानी कम पहुंचता है वहां ज्यादा टयूबवल्ज कनैक्शंज मिलने चाहिए। साधनों

को ध्यान में रखने हुए हमारी यह कोशिश होगी कि जहां नहर का पानी कम मिलता हो, वहां टयूबवैल कनैक्शंज ज्यादा दिये जाएं।

श्री पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहात हूं कि रिप्लाई में रतिया का नाम नहीं है। क्या इसकी वजह यह तो नहीं है कि वहां पर सबसे ज्यादा टयूबवैल्ज कनैक्शंज बकाया है।

श्री अध्यक्ष: यह सारी सूचना सर्कल वाईज दी हुई है ओर रतिया हिसार में कवर हो जाता है।

श्री कृश्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि करनाल व पानीपत में सर्कलज में जो टयूबवैल्ज कनैक्शंज पैडिग हैं, क्या उनको रिलीज करते समय अनुसूचित जाति के लोगों को प्रेफरैन्स देने का सरकार विचार रखती है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि जहां जीरी व गेहूं का इलाका होगा, वहां हम ज्यादा व जल्दी बिजली देने की कोशिश करेंगे और शिडयूल्ड कास्टस के मामले में भी बाकायदा पहल है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धान का एरिया घोशित करने की क्या पालिसी है। क्या सरकार पलवल के एरिया को धान का हल्का घोशित करेगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां धान ज्यादा बोया जाता है और जहां धान की पैदावार ज्यादा होती है उसको धान का एरिया करते हैं। सरकार की यह कोशिश रहती है कि जिस एरिया में धान की ज्यादा उपज होती है वहां बुआई के समय पानी और बिजली ज्यादा दें। जब बुआई खत्म हो जाती तोगन्ने के एरिया में पानी और बिजली ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पलवल के बारे में कहा, अगर इनके इलाके में धान की बुआई के समय कहीं पर बिजली या पानी कम मिलता हो तो ये हमें लिख्ा कर भिजवा दें और हम पता करके कार्यवाही करेंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने जब राज संभाला था उस समय राज्य में 59000 कनैक्शन पैंडिंग थे और आज 64310 कनैक्शन पैंडिंग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रैजैंड सिचुएशन को मीट करने के लिए सरकार असमर्थ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि ये कनैक्शन टाइम बाउंड कितने दिन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 1988–89 में इनका राज था। उस वक्त इनका 12 हजार टयूबवैल्ज को कनैक्शन देने का टारगेट था लेकिन ये दे पाए केवल साढ़े छः हजार यानी 51 प्रतिशत। यह रिकार्ड की बात है। हमारा 1991–92का टारगैट बीस हजार कनैक्शन देने का था और हमने 23269 कनैक्शन दिए। इसी तरह से 1992–93 में जनवरी तक हमने 10039 कनैक्शन दिए हैं।

यानी कुल मिला कर लगभग 33 हजार टयूबवैल्ज को हमने कनैक्शन दिए हैं।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैंने टाइम बाउंड शिडयूल पूछी थी जोकि मुख्यमंत्री जी ने नहीं बताई है।

चौ. भजन लाल: मैंने बताया कि हमने इस साल का टारगैट 13600 का फिक्स किया था और उसमें से जनवरी तक 10039 कनैक्शन दे चुके हैं। बाकी के बारे में टाइम बाउंड शिडयूल बताना मुश्किल है। आप जानते हैं कि इसमें साधन उपलब्ध होने की बात है। जब हमें साधन उपलब्ध हो जाएंगे तो हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। इनकी तरह नहीं कि 12000 की बजाए साढ़े छः हजार देंगे।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस साल इनका कनैक्शन देने का टारगैट कम क्यों हो गया?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमारी भरसक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टयूबवैल्ज को कनैक्शन दिए जाएं। इनके राज में लोगों ने कर्जा लेकर टयूबवैल लगाए और उन्होंने किश्तें भी देनी शुरू कर दीं लेकिन ये टारगैट पूरा नहीं कर पाए। हमने पिछले साल बीस हजार कनैक्शन को टारगैट रखा था और कनैक्शद दिए 23269। आगे के लिए भी हमारी कोशिश है कि जितने भी पैंडिंग कनैक्शन हैं उनको जल्द कनैक्शन दिया जाए।

आप जानते हैं कि किसानों की किश्त आनी शुरू हो गई है। हमने इन दो सालों में जितने कनैक्शन दिए हैं उतने ये पिछले चार सालों में नहीं दे पाए।

श्री अध्यक्ष: चीफ मिनिस्टर साहब, क्या ऐसी परपीजल सरकार के विचाराधीन है कि जिस दिन किसान अपनी सिक्योरिटी जमा करवा दे, उस दिन से उसकी सीनियोरिटी काउंट की जाए, बजाये टैस्ट रिपोर्ट आने के बाद सीनियोरिटी फिक्स की जाए क्योंकि टैस्ट रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाता है और किसान ने जो इन्वैस्टमैंट की हुई होती है, वह फिजूल जाती है।

चौ. भजन लाल: ऐसी सुविधा एक्स सर्विस मैन के लिए तो है लेकिन जनरल किसानों के लिए नहीं है। यदि हम हरेक के लिए ऐसा कर देते हैं तो काफी मुश्किल आ जाएगी। यदि हम एप्लीकेशंज के बेस पर सीनियोरिटी फिक्स करने लग गए तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ जाएगी और लोगों के टयूबवैल्ज के कनैक्शन भी लग नहीं पाएंगे। अभी तक तो बोर्ड ने इस पर विचार नहीं किया है लेकिन आपकी बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जा सकता है।

चौ. फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि हम नए कनैक्शंज देने में इम्प्रूवमैंट इसलिए नहीं कर पाते कि बिजली बोर्ड के पास ट्रांसफारमर्ज की कमी रहती है। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस

कमी को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है कि यदि किसान कनैक्शंज का सारा सामान लेकर बिजली बोर्ड को दे दे तो क्या आपको कनैक्शन देने में प्रियोरिटी दी जाएगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, किसान के लिए ट्रांसफार्मर देना बहुत मुश्किल होगा, बेचारा किसान ट्रांसफार्मर कहां से लाकर देगा। सरकार की यह भरपूर कोशिश रहती है कि जिस किसान ने भी कनैक्शन से जोड़ा जाये। दूसरा सवाल इन्होंने किया कि बोर्ड के पास ट्रांसफारमर्ज की कमी रहती है। मैं बताना चाहता हूं कि दो साल पहली महीने में केवल 700 ट्रांसफारमर रिपेयर होते थे उनो बढ़ा कर हमने 1500 किया है। यानी आज के दिन एक महीने में 1500 ट्रांसफारमरों की रिपेयर होती है। दूसरे यदि पहले कोई ट्रांसफारमर जल जाता था तो तीन–तीन महीने उसको बदला नहीं जाता था जबकि आज के दिन 10 दिन के अन्दर–अन्दर बदल दिया जाता है। वैसे बोर्ड की तरफ से हिदायत है कि यदि कहीं पर ट्रांसफारमर जल जाए तो उसे एक सप्ताह के अन्दर अन्दर बदल दिया जाये। (विघ्न) अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमारे नोटिस में लाएं। हमें लिखकर दें ताकि हमें पता लग सके कि कहां पर क्या कमी है। (विघ्न) मेरी सभी माननयी सदस्यों से पुनः प्रार्थना है कि यदि कहीं पर ट्रांसफारमर जल जाता है और 10 दिन के अन्दर अन्दर न बदला जाये तो लिख कर हमारे

नोटिस में लाएं ताकि हम संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले सकें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी एक सवाल के जवाब में मुख्य मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार जो 1987 में बनी थी वह टयूबवैल के कनैक्शन का टारगेट तो ज्यादा रखती थी लेकिन कनैक्शंज कम दिए जाते थे। मैं हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार बनी तो उस वक्त सभी को 24 घंटे लगातार बिजली मिलती थी। आप भी इस बात के साक्षी हैं। इस बात को मददेनजर रखते हुए कि जिन लोगों को कनैक्शन मिले हुए हैं, उनको पूरी बिजली सप्लाई हो इसलिए टारगैर कुछ कम किया था लेकिन उस सरकार ने ट्रांसफारमर्ज का बाकायदा बैक कायम किया था और 24 घंटे के अन्दर खराब ट्रांसफामर को बदली दिया जाता था। कनैक्शंज लेने के लिए जो करंट ऐप्लिकेशंज हैं, उसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी नहीं कहते हैं लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो ऐप्लिकेशंज एक साल से अधिक समय की पैंडिंग पड़ी हैं, उनको कनैक्शंज कब तक मिल जाएंगे, क्या वे इसे डेट बाउंड करैंगे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चौ. वीरेन्द्र सिंह जी बहुत ही सीनियर मैम्बर हैं और इरिगेशन व पावर का महकमा भी इसके पास रहा है, इसलिए वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इन्होंने कह दिया कि टयूबवैलों को बिजली कम दी जा रही है जब कि इसके टाईम में पूरी बिजली दी जाती थी, अब वह बात

नहीं है। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार आई उससे पहले बिजली की हालत बहुत बुरी थी और इन्होंने एक महीने में ही बड़ा भारी चमत्कार कर दिया। अगर ऐसा कोई चमत्कार हो जाता तो हमें बड़ी खुशी होती। स्पीकर साहब जो बिजली फालतू इन्होंने दी वह कहां से आई। कौन सा नया पावर स्टेशन इन्होंने चालू यिका, कोन सा इाईडल प्रोजैक्ट इन्होंने आधारशिला रख कर चालू किया। (विघ्न) कोई भी पावर स्टेशन 5 साल से पहले चालू नहीं हो सकात है। स्पीकर साहब, चौ. वीरेन्द्र सिंह जी को स्वयं यह बात पता है क्योंकि बिजली का महकमा इनके पास रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पहले मुख्यमंत्री था तो हमने कई प्रोजैक्टस की आधारशिला रखी थी और कुछ प्लाटस चालू किये थे। बीच में हमें जाना पड़ गया और ये लोग हुकूमत में आ गए। काम हमारे टाईम में चालू हो गया था लेकिन वे प्रोजैक्ट कम्पलीट इनके टाईम में हुए। कोई महीने बाद चालू हो गया, कोई 3 महीने बाद चालू हो गया और कोई 6 महीने बाद चालू हो गया। यह रिकार्ड की बात है (विघ्न) पानीपत में चालू हुआ, फरीदाबाद में चालू हुआ। इसके अतिरिक्त हाईडल प्रोजैक्ट की आधारशिला रखकर उसको हमने खुद चालू किया। जब ये सब चालू हो गये तो लोगों को पूरी बिजली मिलनी ही थी। इन्होंने एक भी थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखकर उसको चालू किया हो तो ये बता दें। अध्यक्ष महोदय, चौ. देवी लाल के 4 साल के राज में एक भी पावर स्टेशन ऐसा नहीं है जिसकी आधारशिला रखकर इन्होंने उसको पूरा किया हो और चालू किया हो। (विघ्न)

जितने भी पावर स्टेशन चालू हुए हैं उनकी आधारशिला या तो बंसी लाल जी के टाईम पर रखी गई या फिर मेरे टाईम पर रखी गई ।

Land with Municipal Committee, Rania

***408. Sh. Mani Ram Keharwala**: Will the Minister of State for Local Government be pleased to state –

(a) the total acreage of land with the municipal committee at Rania as at present;l and

(b) whether any land as referred to in part (a) above has been illigally encroached/grabbed; if so, the details thereof?

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba):

(a) There is a total of 835 Acres 4 Kanals 12 Marlas of Panchayat land in the newly constituted municipal commit the, Rania. This land as yet has not been transferred inthe name of the Municipal Committee.

(b) Out of the total land mentioned above, land measuring 215 acres 1 Kanal and 14 marlas is unde runauthorised occuption/encroachment.

श्री मनीराम केहरवाला: स्पीकर सर, रानिया में एक पटवारखाना और एक जौहड़ है जिस पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। इस पटवारखाने और जौहड़ पर जिसने नाजायज कब्जा कर रखा है, सुना है वह पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला

का धर्म भाई है। यह रकबा 70 साल से पंचायत के नाम है और पिछले रिजीम के समय इस पर नाजायज कब्जा हुआ है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

चौ. धर्मवीर गाबा: अध्यक्ष महोदय, यह जो खेवट सं. 52759 है, जिसका ये नाम ले रहे हैं कि चौटाला जी के धर्म भाई मन्शा सिंह ने, 11 एकड़ 2 कनाल 7 मरले जमीन पर कब्जा कर रखा है। उसके अपने नाम की बजाए वह जमीन शिवालिक के नाम पर कर रखी है। हमने कुलैक्टर साहब को खाली करवाने के लिए कह दिया है।

श्री मनी राक केहरवाला: अध्यक्ष महोदय, 1976 में एक विधवा महिला जिसका नाम रेश्मा लौहारी है, को 6 मरले का प्लाट दिया गया था, उसको वहां से धक्के मार कर निकाल दिया गया है। उस पर भी चौटाला जी के भाई के कब्जा कर रखा है। इस बारे में क्या मंत्री जी कुछ कार्यवाही करेंगे?

चौ. धर्मवीर गाबा: अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ 6 मरले की ही बात नहीं है बल्कि 215 एकड़ जमीन पर कब्जे की बात है। इसमें 108 लोगों के कब्जे कर रखे हैं जिसमें से 13 एकड़ के करीब जमीन हमें मिल गई है बाकी की जमीन को छुड़वाने के लिए हमने कुलैक्टर को कह दिया है।

श्री मनीराम केहरवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो जमीन काश्त करने वाली थी, उस पर से लोगों को धक्के मार कर निकाल दिया गया है, उसके लिए सरकार क्या करेगी?

श्री धर्मबीर गाबा: अध्यक्ष महोदय, उसमें 108 केसिज बनते हैं।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मनीराम जी ने जो हरिजन महिला के प्लाट पर कब्जे की बाज कही है, उस बारे में मैं उन्हें थोड़ा सा कलीयर कर दूं कि हम 30 दिन के अन्दर अन्दर उस जमीन से नाजायज कब्जे को छुड़वा कर उस जमीन को उस हरिजन महिला को दे देंगे।

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी जो मंत्री जी ने नाजायज कब्जे के बारे में बताया, उस बारे में मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन कौन सी म्यूनिसिपल कमेटीज ऐसी है जहां पर नाजायज कब्जे हुए हैं? अगर हम इनके नोटिस में कोई ऐसी बात लाएंगे तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

चौ. धर्मबीर गाबा: अध्यक्ष महोदय, ये जो कब्जे हैं, ये म्यूनिसिपल कमेटीज के वक्त के नहीं हैं, पंचायत के वक्त के हैं। म्यूनिसिपल कमेटीज तो बाद में बनी हैं।

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, 70–70 साल की जो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं वहां भी ये कब्जे हुए हैं।

चौ. भजन लाल: वे कब्जे किस वक्त हुए हैं, आप हमें यह बता दें।

साथी लहरी सिंह: दो साल पहले हुए थे।

Desilting of Distributaries/Minors of Bhiwani District

***404. Prof. Chhattar Singh Chauhan**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state –

(a) the total amount of money spent for desilting the canals, distributaries and minors in district Bhiwani from April 1992 to date; and

(b) the monthwise quantity of water supplied to Dadri, Baund, Bhiwani distributaries during the period referred to above?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra):

(a) Rs. 16.38 lac.

(b) A statement is placed on table of the House.

STATEMENT

Period	Dadri Disty.	Baund Disty.	Bhiwani Disty.
	(Figs. In Cusecs Days)		
4/92	923	716	1288
5/92	885	742	1982

6/92	860	692	1294
7/92	2997	2289	4016
8/92	2397	1890	3027
9/92	3193	2654	2835
10/92	2393	2721	4881
11/92	1739	948	1937
12/92	923	835	1746
1/92	1244	850	1847

10.00 बजे

प्रो. छतर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 16.38 लाख रूपए कौन–कौन सी नहरों पर खर्च किए हैं? दूसरे हमने बार बारे मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से प्रार्थना की कि नहरों में पानी नहीं गया है और हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय भी 17 जनवरी को भिवानी गये थे और उन्होंने कहा था कि एक हफ्ता पूरा पानी चलेगा लेकिन एक हफ्ता तो क्या एक घंटे तक भी पानी नहीं गया। यह रिकार्ड की बात है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन नहरों में पानी क्यौं नहीं जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, भिवानी में तीसरे हिस्से का पानी भी नहरों में नहीं जा रहा है।

चौ. जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने सवाल किया है उसके बारे में मैं इन्हें बता देता हूं कि कौन कौन सी जगह पर कितना पैसा खर्च हुआ है? जो भिवानी इरीगेशन सर्कल है इसमें डब्ल्यू.जे.सी., जूई और सिवानी कैनाल्ज हैं। इनके टोटल चैनल 147 हैं जिनमें से 54 चैनल्स की डिसिल्टिग हुई है जिनकी टोटल लैंथ 284.08 कि.मी. है। इस पर 10.25 लाख रूपये खर्च हुए हैं। इसी तरह से जो लौहारू कैनाल है उसमें टोटल चैनल 83 हैं और डिसिलिटंस 16 चैनल्स की हुई है जिनकी टोटल लैंथ 135.46 किलोमीटर है। इस पर 5.67 लाख रूपये खर्च हुए है। इसी तरह से जे.एल.एन. नं. 1 रोहतक है, इसका एक ही चैनल है और इस पर 9 हजार रूपये का खर्चा हुआ है। इसके अलावा जे. एल.एन. नं.2 नारनौल है, इसके 6 चैनल हैं और केवल एक ही चैनल की डिसिलिटन हुई है और इस पर 37 हजार रूपये का खर्चा आया है इस तरह से इस पर टोटल पैसा 16.38 लाख रूपये खर्च हुआ है। अगर इस चैनल्स की आप पूरी डिटेल्ज पूछना चाहेंगे तो ऐसी बहुत ही चेनल्स है जिन पर पैसा खर्च हुआ है। वह मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। डांग माईनर पर 12 हजार रूपये लगे हैं तथा टीगंराना माईनर पर 5 हजार रूपये खर्च हुए हैं। यह काफी डिटेल में हैं। तो कहीं पर 5 हजार रूपये और कहीं पर 10 हजार रूपये खर्च हुए हैं।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि पांच हजार रूपये में कितने किलोमीटर की डिसिल्टिंग हुई है।

चौ. जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, पांच हजार रूपये में 2.88 कि.मी. डिसिल्टिंग हुई है। जहां जितनी लैंथ की डिसिल्टिंग हुई हैं उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है। यह रिकार्ड के मुताबिक है। इसके अलावा इन्होंने (श्री चौहान) दूसरा जो सवाल किया कि पानी वहां पर नहीं गया इसका जवाब, जो डिटेल बतायी गयी है, उसमें आप देखें। इसके अलावा, रिप्लाई में भी बताया गया है कि चौथे महीने, 92 में दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी में 923 क्यूसिक, बौंद डिस्ट्रीब्यूटरी में 716 क्यूसिक और भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी में 1288 क्यूसिक पानी गया। इसके अलावा जब बारिश का सीजन आएगा तो आप देखेंगे कि दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी में 3193 क्यूसिक, बौंद डिस्ट्रीब्यूटरी में 2654 क्यूसिक और भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी में 2835 क्यूसिक जाएगा। यह पानी तक जाएगा जब बारिश का सीजन आएगा और वर्शा का पानी यमुना में जाएगा। तो इस तरह से भिवानी में ज्यादा से ज्यादा पानी दिया गया है।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 16.38 लाख रूपया डिसिल्टिंग पर खर्च किया है। में पिछले हफ्ते भिवानी जिले में तलवन्डी रूक्का डिस्ट्रीब्यूटरी पर खुद जाकर आया हूं और गाड़ी बसे ही निकाल कर ले आया, पुल की जरूरत नहीं है। वहां कोई पानी नहीं है कोई डिसिल्टिग नहीं हो रही है। यह नहर

1974 में बनी थी जिसमें 4–5 साल तक पानी चलता रहा है। यह 46 बुर्जी की डिस्ट्रीब्यूटरी है और सिर्फ 6–7 बुर्ज तक पानी आता है उसके बाद टोटल डिस्बैड हो रहा है। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो फिगर्ज डिसिलटिंग के बारे में बताई है वेबौंद, दादरी और भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में, ये कागजों में तो हो सकती है मगर वास्तव में किसी भी टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा। वहां पर गेहूं की काश्त करने के बाद कौर का पानी भी नहीं आया। जैसा कि आनरेबल मैम्बर चौहान साहब ने बताया था कि हम पब्लिक ग्रीवैंसीज कमेटी में पूछते रहते हैं जिसमें मिनिस्टर साहब की एबसैन्स में डिप्टी कमिश्नर उसके चेयरमैंन होते हैं। स्पीकर सर, आप किसी भी आनरेबल मिनिस्टर को हमारे साथ भेज दें। हम जाकर दिखायेंगे कि डिसिल्टिंग भिवानी जिले में नहीं हुई है। क्या मंत्री महोदय, बताएंगे कि किस हद तक रेत निकाली गई है और ये 16.38 लाख रूपये पेपर्ज पर दिखाकर कौन खा गया इस बात की मंत्री जी इंक्वायरी करें?

चौ. जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, जैसा मेंने पहले डिटेल में बताया कि 147 चैनल भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी में हैं उसमें से सिर्फ 54 चैनल्स की डिसिल्टिंग हुई। इसी तरह लोहारू कैनाल में 83 चैनल्ज हैं उनपमें से 16 की हुई। जे.एल.एन.–1 और जे. एल.एन.–2 उनकी एक–एक चैनल है उन दोनों की डिसिल्टिंग हो गई है। चौ. अमर सिंह जी जो कह रहे हैं कि सारियों में नहीं है

तो आपकी जो कंसैप्ट आफ माइन्ड है, यह बात नहीं है जब 147 में से सिर्फ 54 में हुई उनमें भी टोटल रौच में नहीं हुआ, जहां जहां ज्यादा सिल्टिग थी, वहां हुआ तो जहां डिपार्टमैंट ने जयरी समझा वहां हुआ। साथ ही ये भी कर रहे हैं कि भिवानी में पीन नहीं दिया गया। जुलाई अगस्त सितम्बर के महीने में बारिश के सीजन में उनमें अधिक पानी दिया गया। यह जो डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में आपने पूछा है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी में 22–22 दिन तक पानी चला है। जो दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी हे यह 168 क्यूसिक है लेकिन 9वें महीने में इसमें 3193 क्यूसिक पानी चला हैं इसका मतलब है तीन हफ्ते तक इसमें पानी चला। इसी तरह बोंद डिस्ट्रीब्यूटरी 119 क्यूसिक की है और इसमें 2654 क्यूसिक पानी चला है। भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी में चार हजार क्यूसिक तक पानी चला है जबकि उसकी कैपेसिटी 239 क्यूसिक है। 20–20 दिन तक डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी चला है जब बारिश के सीजन में यमुना नदी में पानी 80 हजार से डेढ़ लाख क्यूसिक के करीब हो तो उस समय अधिक से अधिक पानी भिवानी को दिया जाता है।

Providing Govt. accommodation on concessional rates to the freedom fighters

***414. Sh. Ram Bhajan Aggarwa**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is ay proposal under consideration of the Government to provide accommodation to the freedom fighters of the State in the Haryana Bhawan, New Dehli and in other Government Rest Houses at concessional rates?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): जी हां। राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियौं को हरियाणा भवन, नई दिल्ली तथा अन्य सरकारी विश्राम गृहों में रियायती दरों पर आवास प्रदान करने के बारे की गई मांग सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

श्री रामभजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री महोदय, बताएंगे कि यह सुविधा कब से लागू हो जाएगी और क्या यह सुविधा टूरिस्ट काम्पलैक्स में भी दी जाएगी?

श्री राम भजन अग्रवाल: कब से लागू होगी।

चौ. भजन लाल: जब कह दिया, लागू हो गयी है और आपके सामने है।

सरदार जसविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता सेनानियौं की वजह से आज यह देश आजाद है। उन्होंने इस देश को आजाद करवाने में बड़ा योगदान दिया है लेकिन मेरे ध्यान में एक दो ऐसे केस भी आये हैं जहां लोगों की उम्र तो 40–45 या 50 साल की होगी लेकिन उन लागों के हाथ में स्वतन्त्रता सेनानियों के आईडैटिटी कार्डज थे। क्या सरकार इस बात की जांच करेगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि 40–45–50 साल के लोगों के पास स्वतन्त्रता सेनानियों के कार्ड इन्होंने देखे हैं लेकिन हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है। आप जानते हैं कि दो तरह से ये कार्डज दिये जाते हैं। एक

तो भारत सरकार की तरफ से और दूसरे स्टेटस की तरफ से दिये जाते हैं। अगर कोई आदमी ऐसी बात हमारे नोटिस में लायेगा कि किसी आदमी ने गलत सुविधा ली है और उसने देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया उसकी उम्र भी थोड़ी है, तो हम उस बारे में इन्कवायरी करके जरूर उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 411

यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री अतर सिंह मंढीवाला सदन में उपस्थित नहीं थे।

Disbursement of the Old Age Pension

***432. Prof. Sampat Singh**: Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state –

(a) the period upto which the old age pension has been disbursed so far; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to discontinue the old age pension scheme?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री हुक्म सिंह):

(क) बुढ़ापा पैंशन 10/92 तक वितरित की जा चुकी है तथा 11/92 वे 12/92 की पैंशन 15.2.1993 से वितरित की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने टाईम बताया है और यह कहा है कि 10वें महीने तक की पैंशन भेज दी है। 11वें और 12वें महीने की पैंशन 15 फरवरी, 1993 से भेजी जा रही है। इसका अर्थ है कि पिछले तीन महीनों की लोगों को 14 फरवरी तक पैंशन नहीं मिली है। इसके अलावा, जनवरी महीने की पैशन अभी डयू हैं। लोगों को तीन–तीन महीने की पैंशन नहीं मिली है। यहां पर आन दी फलोर आफ दी हाउस मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमैंट की थी कि प्रत्येक महीने की पैंशन उससे अगले महीन की सात तारीख तक दे दी जाया करेगी। उस अनाउंसमैंट का क्या हुआ? एक दूसरी बात और है। बार–बार वित्त मंत्री जी का और दूसरे मंत्रियों का भी ब्यान आता रहा है। पिछले दिनों अम्बाला से जनवरी के सैकिंड वीक मैं एक ब्यान वित्त मंत्री जी का आया था कि इसको बन्द कर देना चाहिये। कोई आम आदमी यह बात नहीं कहता, यह प्रदेश का वित्त मंत्री कहता है कि बुढ़ापा पैंशन और बेरोजगारी भत्ता बन्द कर देना चाहिये। मैं यह जानना चाहात हूं कि क्या इन्होंने कोई ऐसा ब्यान दिया था, अगर हां, तो क्या यह बात चीफ मिनिस्टर महोदय के नोटिस में है? दूसरी तरफ यहां पर कहते हें कि नहीीं, इस स्कीम को डिस–कन्टीन्यू करने की करने प्रोपोजल नहीं है। अगर ऐसी बात है तो यह ऐसे ब्यान क्यों देते हैं कि इसको बन्द कर देना चाहिये। इस बारे में सरकार का क्या स्टेंड है, यह स्पश्ट करने की कृपा करेंगे?

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर सम्पत सिंह जी ने ठीक कहा है। मैंने अम्बाला में उस वक्त एक ब्यान दिया था। आज भी मैं वही व्यू रखता हूं लेकिन मेरे वह ख्यालात जाति तौर पर है। मैंने कहा था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, अगर प्रदेशों में कोई विकास के कार्य करने हैं, तो मेरी राय में इसको बन्द कर देना चाहिये। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष: वे तो उने पर्सनल ख्यालात थे। (व्यवधान व शोर)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, इन्होंने एक बात यह कह दी है कि मैंने आन दी फलोर आफ दी हाउस यह कहा था कि हर महीने की पैंशन उससे अगले महीने की सात तारीख तक दे दिया करेंगे। मैंने यह कहा था कि अभी हम दो–दो महीने की इकट्ठी पैंशन देंगे।

प्रो. सम्पत सिंह: नहीं, सर, ऐसा इन्होंने नहीं कहा था। अब यह बदल रहे हैं।

चौ. भजन लाल: मैंने यह कहा था कि जब यह स्कीम एरियर्ज से निकल जायेगी तब हर महीने पैंशन देगे। (व्यवधान व शोर) यह तो रिकार्ड की बात है। मैंने जो कुछ कहा था, वही

रिकार्ड के आधार पर कह रहा हूं। हम आपकी तरह से नहीं करते हैं कि दस महीने के बाद पैंशन देते हैं। हम तो दो–दो महीने की पेंशन तीसरे महीने दे देते हैं। अब पैंशन देनी चालू है। नवम्बर दिसम्बर की पैंशन चालू है। यह पैंशन देनी हमने चालू कर रखी है। एक दिन में तो यह पैंशन बट नहीं सकती हम जनवरी–फरवरी की पैन्शन अप्रैल में देंगे। मार्च साल का आखिरी महीना होता है इसलिए उसमें बहुत सारी ऐडजस्टमैंट करनी होती हैं। इसलिए जनवरी–फरवरी की पैन्शन अप्रैल में देंगे। दिसम्बर तक की पैंशन गई हुई है और हमारी कोशिश होगी कि फरवरी तक इसको कम्पलीट कर देंगे और अगर कुछ कमी रह गई तो 5–10 मार्च तक तो पूरी कम्पलीट कर देंगे।

डा. राम प्रकाश: स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बहुत से डिजरविंग लोगों की वृद्धावस्था पैंशन नहीं मिलती। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल के महीने तक सभी लोगों को जिनकी कि वृद्धावस्था पैन्शन मिलती चाहिए, मिल जाएगी? दसूरी बात यह है कि जिन लोगों को पैन्शन मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को पैन्शन देने की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है, अगर की जा रही है तो क्या उस प्रोसैस के साथ उस हल्के के एम.एल.ए. को जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि कोई डिजरविंग केस रह न जाए। तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार की एक

सुनियोजित योजना हो तो क्या कोई मंत्री उसके खिलाफ (सरकार की नीति के खिलाफ) अपनी निजी राय दे सकता है?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, जिन लोगों को पैन्शन नहीं मिली है ऐसे लोगों को पैन्शन देने के लिए मार्च के महीने में सरकार की ओर से कार्यवाही शुरू की जाती है। इस काम के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर औुसिर्ज की एक कमेटी बनाई हुई है। वह फार्म कलैक्ट करती है और मौके पर जाकर सवह कमेटी वैरीफिकेशन करेगी। इस कमेटी के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर होते हैं और सोशल वैलफेयर औफिसर तथा सिविल सर्जन इस कमेटी के मैम्ब्र होते हैं। जो लोग नई पैन्शन बनवाया चाहते हैं, उसके फार्म यह कमेटी लेती है और उनकी वैरीफिकेशन करके अप्रैल से उनकी पैन्शन चालू हो जाएगी।

डा. राम प्रकाश: क्या मंत्र महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस कमेटी में उस हल्के के एम.एल.ए. को भी शामिल किया जाएगा?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, एम.एल.ए. एक पोलिटीकल आदमी है और पोलिटीकल आदमी को खुद कमेटी के सामने जाना चाहिए और औफिसर्ज को बताना चाहिए कि यह कमी है और जिनकी पैन्शन नहीं बनी है उसके केस खुद ले जाने चाहिए।

डा. राम प्रकाश: स्पीकर साहब, अगर एम.एल.ए. को उस कमेटी के साथ ऐसोशिएट किया जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ओर जिन लोगों को पैन्शन रह जाती है, उन लोगों को पैन्शन मिलने में आसानी हो जाएगी। इसलिए क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या एम.एल.ए. को भी उस कमेटी में शामिल किया जाएगा?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, एम.एल.ए. या एम.पी. को तो दखल देने का वैसे ही राइट है। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, फार्म नहीं मिल रहा है या पैन्शन नहीं मिलती तो वह दखल दे सकता है, इसमें कोई रूकावट नहीं है। अगर एक एम.एल.ए. को कमेटी में डालेंगे तो सभी एम.एल.एज. को डालना पड़ेगा। अगर किसी एम.एल.ए. के हल्के का सवाल है तो वह खुद डिप्टी कमिश्नर को लिखकर भेज सकता है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर 1990 में कितने लोगों को पैन्शन बांटी गई और अक्तूबर, 1992 में कितने लोगों को पैन्शन बांटी गई?

श्री हुक्त सिंह: स्पीकर साहब, इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरा सरकार से स्पश्ट सवाल है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा था कि पिछले महीने की पैन्शन अगले माह को सात तारीख तक दे

दी जाएगी। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि हर महीने की पैन्शन सात तारीख को बंट जाए, इसका इन्तजाम सरकार कब तक कर देगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसके लिये टाईम निश्चित तो नहीं किया जा सकता लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इसका फैसला जल्द से जल्द ही जाए।

Bridge on Bhogpur-Shikandra Road

***409. Sathi Lehri Singh**: Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state the time by which the Bridge on Bhogpur-Sikandra road is likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री (चौ. आनन्द सिंह डांगी): भोगपुर–सिकन्दरा सड़क पर इस समय पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि यह पुल कितने समय में पूरा हो जायेगा।

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि भोगपुर–सिकन्दरा का एरिया कुरूक्षेत्र जिला में पड़ता है और मैंने यह प्रश्न पूछा था कि भोगपुर–सिकन्दरा सड़क पर पुल के कब तक पूरा होने की सम्भावना है? अध्यक्ष महोदय, 45 गांवों का गन्ना इस सड़क से जाता है और इस पुल के निर्माण में केवल सरकार का 3 लाख रूपये के लगभग खर्चा आना हैं एक क्विंटल गन्ने के ऊपर किसान

को डेढ़ रूपये का फर्क पड़ता है। इस पुल के बारे मैं मैने मंत्री महोदय को चिट्ठी भी लिखी थी और आज इस क्वैश्चन के द्वारा भी मैंने जानकारी चाहि है। अगर सरकार इस सड़क पर पुल का निर्माण कर दे तो किसानों को इस पुल से लगभग 50 लाख रूपये का फायदा होगा। इस पुल के न बनने से 45 गांव कटे हुए हैं और सरकार का केवल तीन चार लाख रूपया इस पुल के निर्माण पर लगना है। क्या सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, इस पुल का जल्दी ही निर्माण करवाने का विश्वास दिलाएगी। सरकार इस बारे में स्पश्ट उत्तर दे कि कब तक यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा?

चौ. आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, इस पुल के बनने में कम से कम 10 लाख रूपये खर्चा आएगा। साढ़े तीन तीन मीटर के गैप से यह पुल 3 स्पैन का होगा। जिसका मेरे भाई जिक्र कर रहे हैं, यह तो एक छोआ सा नाला है जो रेनी सीजन में पानी से भर जाता है। फिर भी सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखती हुई जैसा कि इन्होंने बताया, यह रास्ता 45 गांवों से जुड़ा हुआ है, सरकार इसके लिये कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके लिये कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।

Expenditure incurred by Drainage Circle

***434. Sh. Jai Parkash**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state –

(a) whether any case of expenditure incurred during the period from 29th to 31st March, 1989 of any drainage circle was entrusted to the Vigilance Department and some officers/officials were suspended; if so, the details thereof;

(b) whether any case has been registered as a result of the inquiry conducted by the Vigilance Department in the said case; and

(c) if the reply to part (b) above, be in the affirmative, the present stage of the said case?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra):

(a) Yes. As a result of enquiry, one S.E., 5 Xens, 14 S.D.Os and 77 JEs were placed under suspension.

(b) Yes.

(c) The State Vigilance Bureau conducted the investigation. The challans are being put up in the court.

श्री जब प्रकाश: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जांच का जो मामला चौकसी विभाग को सौंपा गया, वह कब सौंपा गया था और जिन अधिकारियों को दोशी पाया गया उनको कब ससपैन्ड किया गया था और अभी तक उनके खिलाफ केस कोर्ट में क्यों नहीं पहुंचाया गया? दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को हमने ससपैन्ड किया था उनको 75 परसैन्ट सस्पैन्शन अलांउस सरकार दे रही है और उनसे कोर्ठ काम नहीं ले रही है। ऐसा करके क्या सरकार नाजायज तौर पर उन

अधिकारियों की मदद नहीं कर रही है? क्या मेरी इन दोनों सप्लीमैंट्रीज का जवाब देने का मंत्री महोदय कश्ट करेंगे ताकि पोजीशन क्लीयर हो जाए?

चौ. जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, एफ.आई.आर. न. 19 के मुताबिक ये लोग 9.8.1989 को सस्पैंड किए गए थे। इनमें से एक एस.डी.ओ. ओर तीन जे.ई. बहाल किए गए हैं। वे इसलिए किए गए कि विजीलैंस ने जब दोबारा डिटेल में इन्क्वायरी की तो पाया कि इनका बिल्कुल दोश नहीं था। जो लोग अभी सस्पैंडिड हैं उनका चालान पुट–इन किया जा रहा है। उनको जो 75 प्रतिशत अलाउंस दिया जा रहा है, वह कानून के मुताबिक दिया जा रहा है। हम पूरी इनवैस्टीगेशन करके उनके चालान कोर्ट में जल्द से जल्द पेश करने की कोशिश करेंगे।

श्री राम पाल सिंह कंवर: स्पीकर साहब, इनके 'सी' पार्ट के जवाब के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि कितने अफसरों के खिलाफ चालान कोर्ट में चले गए हैं और कितने बाकी हैं तथा उनके चालान कब तक कोर्ट में चले जाएंगे?

चौ. जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि 9 केसिज के चालान पुट इन हो गए हैं और गवर्नमैंट की प्रोसीक्यूशन के लिए जो सैकशन होती है, वह भी दे दी गई है। लेकिन विजीलैस वालों ने कहा है कि इनकी दोबारा एक एक की

प्रोसीक्यूशन की सैंकशन दी जाए। एक एक की सैंकशन दोबारा हम कोर्ट में पुट इन कर रहे हैं।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, सवाल के पार्ट 'ए' का जवाब देते हुए इन्होंने बताया है कि फलां फलां अफसर इन्होंने सस्पैंड किए है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या मसला था जिसकी वजह से 29 मार्च से 31 मार्च, 1989 तक उसे ड्रेनेज सर्कल में गड़बड़ हुई। उस गड़बड़ के अन्दर कितना अमाउंट इनवाल्वड था और उनके खिलाफ क्या क्या चार्जिज हैं?

चौ. जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, 29 मार्च से 31 मार्च तक जो पैसा दिया गया, वह 2 करोड़ 49 लाख रूपये है। यह ड्रेनेज सर्कल करनाल का उस साल का टोटल पैसा था। वहां पर जो काम किए गए थे वह दिसम्बर तक किए गए थे यानी पहले किए गए कामों का पैसा गवर्नमैंट से आया था। पहले किए गए कामों का पैसा साल के आखिरी दिनों में दिया गया। उसके बाद एक शिकायत आई कि यह पैसा 29 से 31 मार्च तक क्यों बाटा जबकि तीन दिनों में सारी कार्यवाही नहीं हो सकती। तो इसकी इन्कवायरी की गई। इस केस में वास्तविकता यह थी कि काम पहले हो चुका था और सैंटर की सरकार से पैसा आने के बाद वह पैसा आखिरी तीन दिनों में बांटा गया। लेकिन जब इन्कवायरी की गई तो पाया गया कि इसमें 42 लाख रूपए की एम्बेजलमैंट हुई है याय इतना काम नहीं हुआ है अथवा एकसैस पैसा दिया

गया है या इतनी हेराफेरी हुई है। तो उस 42 लाख रूपए के अगेंस्ट टोटल सर्कल के 93 अफसर सस्पैंड किए गए।

साथी लहरी सिंह: स्पीकर साहब, ये अधिकारी 1989 से सस्पैंडिड हैं ओर सरकार उनको 75 प्रतिशत अलाउंस दे रही है। इस तरह से सरकार का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि उनसे कम से कम कोई काम तो लिया जाए। उनको पैंडिंग इन्क्वायरी पर बहाल किया जाए। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी?

चौ. जगदीश नेहरा: अध्यक्ष्स महोदय, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी प्रोसीक्यूशन की सैंकशन दे दी गई हैं इस बात पर भी विचवार किया जा सकता है कि उनको कब तक बहाल किया जाए, यह बात सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तांराकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Supply of inadequate water

***426. Sh. Kitab Singh**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that scarcity of water remains in the areas irrigated by Western Yamuna Canal in the State during the months of July to September; if so, whether the Govt. intend to provide more water to the said areas during the aforesaid months?

सिंचाई मंत्री (चौ. जगदीश नेहरा): जब यमुना नदी के क्षेत्र में ताजेवाला के अप स्ट्रीम पर वर्शा कम होती है, तब जुलाइ से सितम्बर तक पश्चिमी यमुना नहर से सिंचित क्षेत्र में पानी की कमी होती है। जब यमुना नदी पर स्टोरिज बांध बन जायेगा, तब अधिक पानी उपलब्ध होगा।

Chhainsa Distributary

***452 Sh. Rajinder Singh Bisla**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state –

(a) the amount, if any, spent on desilting the Chhainsa distributary during teh year, 1992&93; and

(b) whether it is a fact that the water of aforesaid distributary does not reach upto the tail of village Naryala; if so, the reasons thereof togetherwith the steps so taken or proposed to the be taken to supply the water upto the tail?

सिंचाई मंत्री (चौ. जगदीश नेहरा):

(क) 31723 रूपये (इकतीस हजार सात सौ तेईस रूपये)।

(ख) हां, गांव नरयाला, छांयसा वित्रिका के अन्तिम छोर पर स्थित है।

(ग) छांयसा वित्रिका गुड़गांव नहर प्रोजैक्ट की उठान शाखा हैं यह अनुमानित लम्बाई 36 कि.मी. (आर.डी. 109300) में से लगभग 25 कि.मी. (आर.डी. 75000) तक कच्ची बनाई गई है।

इसके निर्माण उपरान्त पानी इसके अन्तिम छोर तक पहुंचेगा, इसका पक्का करने का कार्य कंड की उपलब्धि पर निर्भर है।

Erratic Supply of Electricity

***470. Ch. Om Parkash Beri**: Will the Chief Minsiter be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the supply of electricity in Jhajjar (OP) division of HSEB is irregular, and in low volatage; if so, the reasons thereof; and

(b) whether any cut in the supply of electricity in the said division has been imposed; if so, the reasons thereof?

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) नहीं श्रीमान् जी, कभी–कभी 132 के.वी. उपकेन्द्र कलानौर की क्षमता सीमा के कारण बिजली आपूर्ति 33 के.वी. उपकेन्द्र बेरी से नियमित की जाती है।

(ख) नहीं श्रीमान्।

Construction of Grain Market at Kosli

***423. Ch. Zile Singh Jakhar**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Grain Market at Kosli; is so, the time by which the said market is likely to be completed?

कृशि मंत्री (श्री हरपाल सिंह): जी हां, मण्डी के 1994–95 में पूरा होने की सम्भावना है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Pollution caused by the Factories

64. Prof. Chhatar Singh Chauhan: Will the Minister for Environment be pleased to state the names of such factors in Faridabad, Gurgaon, Bahadurgarh, Panipat., Yamuna Ngar, Bhiwani, Hisar, Rewari and Dharuhera which have no Pollution check devices; togetherwith the steps, taken or proposed to be taken to check the pollution casued by teh said factories?

Forest Minister (Rao Inderjit Singh): The list is placed onthe table of the House. the defaulting units have been/are being issued notices to install devices to check pollution caused by these factories and prosecutions in some cases have also been launched.

List of Factories which have no pollution check devices under water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

Sr. No.	Name of Factory
1	2
1	M/s Kelvinatoer of India, Faridabad

2	M/s Om Enterprises, Faridabad
3	M/s Kaushal Enterprises, Faridabad
4	M/s Desolarson Glavance, Faridabad
5	M/s Dhruv Engineers, Faridabad
6	M/s Haryana Radiators, Faridabad
7	M/s Sidwal Regrigeration, Faridabad
8	M/s Luxmi Prints, Faridabad
9	M/s Sartaj Industries, Faridabad
10	M/s Sirecco Pressing, Faridabad
11	M/s First Prints, Faridabad
12	M/s First Collection, Faridabad
13	M/s Engineer & Electroplatin, Faridabad
14	M/s Charu Electricals, Faridabad
15	M/s Dev Metal Finishers, Faridabad
16	M/s Goyal Steel, Faridabad
17	M/s Shyam Steel, Faridabad
18	M/s Melbros Enterprises, Faridabad
19	M/s N.M.S. Industries, Faridabad
20	M/s Oswal Steel, Faridabad

21	M/s Jagson Pal Pharma, Faridabad
22	M/s Nectraine Pharmacy, Faridabad
23	M/s Maharishi Ayurveda, Faridabad
24	M/s Girdhar Silk Mills, Faridabad
25	M/s Rahul Fabrics, Faridabad
26	M/s Haryana Dyeing & Printing Mills, Faridabad
27	M/s East India Cotton, Faridabad
28	M/s Kailash Prints, Faridabad
29	M/s Good Year India, Faridabad
30	M/s Rurera Gas Cylinder, Faridabad
31	M/s Bharat Bright Steel, Faridabad
32	M/s Avon Heat Treatment Centre, Faridabad
33	M/s Chandan Platers Faridabad, Faridabad
34	M/s Choromvel Inds., Faridabad
35	M/s Thermal Power, H.S.E.B. Faridabad
36	M/s Alfa Auto Mobites, Faridabad
37	M/s HUDA No. III, Faridabad
38	M/s Loviska Textiles, Faridabad
39	M/s Auto Ignition Pvt. Ltd., Faridabad

40	M/s Arihant Motors, Faridabad
41	M/s Mitaso Appliances, Faridabad
42	M/s Excellent Processors, Faridabad
43	M/s Escorts Ltd. 18/2 MR, Faridabad
44	M/s Invel Transmision, Faridabad
45	M/s Platewell Inds., Faridabad
46	M/s Surfacers & Finishers, Faridabad
47	M/s Sh. Radha Krishana Dye Chem., Faridabad
48	M/s ASR Enterprices, Faridabad
49	M/s Akhil Bhartia Dyeing & Printing, Faridabad
50	M/s BPR Tex Prints, Faridabad
51	M/s Equisite Enterprises, Faridabad
52	M/s Haryana Industries, Faridabad
53	M/s Maharaja Prints, Faridabad
54	M/s Usha Processiing Mills, Faridabad
55	M/s Kanapo Textiles, Faridabad
56	M/s Manish Service Station, Faridabad
57	M/s Blue Stamping, Faridabad
58	M/s Motely Industries, Faridabad

59	M/s BMW Industries, Faridabad
60	M/s Khemka Ispat, Faridabad
Gurgaon-Water	
1	M/s Brassco (India) Ltd., Gurgaon
2	M/s Superior Chemicals, Gurgaon
3	M/s Trimph Auto Engg., Chander Nagar, Gurgaon
4	M/s Fourways Auto Engg., Gurgaon
Distt. Rewari-Water	
1	M/s Vijay Chrome Leather, Rewari
2	M/s Govt. Footwear Institute, Rewari.
Dharuhera-Water	
1	M/s Hero Honda Motors, Dharuhera.
2	M/s North (India) Distillery, Dharuhera.
3	M/s J.B. Paper Mills, Dharuhera.
4	M/s Sehgal Paper Mills, Dharuhera.
Bahadugarh-Water	
1	M/s Mini Chemicals, Bahadugarh
2	M/s Satish Dyes Inds., Bahadugarh

3	M/s Saket Dye Chem., Bahadugarh
4	M/s Sapna Dye Chem., Bahadugarh
5	M/s Jagdaba Udyog, Bahadugarh
6	M/s Santosh Dey Chem.Inds, Bahadugarh
7	M/s S.M. Intermediate (P) Ltd., Bahadugarh
8	M/s Uttar Bharat Neel Udyog, Bahadugarh
9	M/s Ultramarine Inds., Bahadugarh
10	M/s Pharma Chem., Bahadugarh
11	M/s Saini Leatehr Co., Bahadugarh
12	M/s Star Tanner (p) Ltd., Bahadugarh
13	M/s La-Chem., Bahadugarh
14	M/s Sagun Pharmaceuticals (P), Bahadugarh
15	M/s Lalji Printing Works, Bahadugarh
16	M/s S.M. Organics (P) Ltd., Bahadugarh
17	M/s Growell Pharmaceuticals, Bahadugarh
18	M/s Radha Chemicals, Bahadugarh
19	M/s Sartaj Tannerts, Bahadugarh
20	M/s Satyam Synfab Ltd., Bahadugarh
21	M/s Trocks Pharmaceuticals (P) Ltd.,

	Bahadugarh
22	M/s United Steel & Allied Industries, Bahadugarh
23	M/s East African Indian Remidies (P) Ltd., Bahadugarh
Panipat-Water	
1	Venus Dyeing, Near Teh. G.T. Road, Panipat.
2	Varun Dye House, Gohana Road, Panipat.
3	Fabric Processors, E-46, I.A., Panipat.
4	Goela Finishers, Panipat.
5	Panipat. Dye House, Panipat.
6	Raj Woollen Industry, Panipat.
7	Pan Foods, Panipat.
8	Sajdesh Processors, Panipat.
9	S.K. Textile, G.T. Road, Panipat.
10	Sanjeev Dyers, G.T. Road, Panipat.
11	Swatantra Bharat Mills, Panipat.
12	Uttam Textile, Panipat.
13	Adarsh Spinning Mills, G.T. Road, Panipat.

14	Ajanta Handloom, I.A., Panipat.
15	Aggarwal Spinning Mill, G.T. Road, Panipat.
16	Ashoka Spinning, G.T. Road, Panipat.
17	A.S. Finishers Mills, Panipat.
18	Brahma Woollen Mills, Panipat.
19	The Panipat. Co-op. Sugar Mills, Panipat. (D.U.)
20	D.K. Handicrafts, Shiv Nagar, Panipat.
21	Grover Textile, I.A. Panipat.
22	Golden Spinners, Panipat.
23	Kaushalya Wooden, G.T. Road, Panipat.
24	Longowal Spinning Mill, Panipat.
25	Mahalaxmi Spinning Mill, Panipat.
26	Mahajan Overseas, I.A., Panipat.
27	Miglani Woollen, I.A., Panipat.
28	Monga Woollen, I.A., Panipat.
29	Panchranga Int., G.T. Road, Panipat.
30	R.K. Dyeing Inds., Shiv Nagar, Panipat.
31	M/s Raj Textile, I.A., Panipat.
32	M/s Singla Carpet, Panipat.

33	M/s Shivalika International Pasina Kalan, G.T. Road Panipat.
34	M/s Uttam Spnners, G.T. Road, Panipat.
35	M/s Aggarwal Wool Tex., G.T. Road, Panipat.
36	M/s Asia Spinners (P) Ltd. Fariadpur, Panipat.
37	M/s Angad Spinners (P) Ltd. Fariadpur, Panipat.
38	M/s Aditya Fabs. Opp. Khadi Ashram, Panipat.
39	M/s Arkay Enterprises, G.T. Road, Panipat.
40	M/s Attar Spinners (P) Ltd. 0/33, I.A., Panipat.
41	M/s Aggarsain Wooltex, G.T. Road, Panipat.
42	M/s Ankit Spinners (P) Ltd., Panipat.
43	M/s Ama Textiles, Babail Road, Panipat.
44	M/s Award Textile, Old Gohana Road, Panipat.
45	M/s Bajrangbali Spinners, Des Raj Colony, Panipat.
46	M/s Anil Spinners, I.A., Panipat.
47	M/s Aggarwal Spinners & Finishers Mills, I.A., Panipat.
48	M/s Bright Indl. Corpon,. 0/1, I.A., Panipat.

49	M/s Batra Dye House, Jatal Road, Panipat.
50	M/s Bhagwati Wooltex (P), Ltd. Panipat.
51	M/s Bharat Woollen & Finishing Inds. Woard No. 7, Panipat.
52	M/s Bajaj Enterprises, opp. Khadi Ashram, Panipat.
53	M/s B.R. Woollen Mills, Kabri Road, Panipat.
54	M/s C.M. Woollen Mills, Shiv Nagar, Panipat.
55	M/s Chopra Spinning Mills, Barsat Road, Panipat.
56	M/s Dayal Velvets, G.T. Road, Panipat.
57	M/s Dua Spinners (P) Ltd., Babail Road, Panipat.
58	M/s Express Dye House, Jatal Road, Panipat.
59	M/s Faze 3 Exports (P) Ltd, Jatal Road, Panipat.
60	M/s Gaba Inds., G.T. Road, Panipat.
61	M/s Gopal Dye House, Gandhi Mandi, Panipat.
62	M/s Gupta Dye House Shiv Nagar, Panipat.
63	M/s dolden Textile, Jatal Road, Panipat.
64	M/s Govind Textile, Jatal Road, Panipat.

65	Harison Exports, 46, Sec. 29, HUDA, Panipat.
66	M/s Himalaya Textiles, Krishanpura, Panipat.
67	M/s Hand Fab (India) Mahabir Colony, Panipat.
68	M/s Haryana Dye House, Ward No. 11, Panipat.
69	M/s Jai Durga Dye House, Shiv Nagar, Panipat.
70	M/s J.P. Dye House, Baba Puri Road, Panipat.
71	M/s Jyoti Weaving, Baba Puri Road, Panipat.
72	M/s Jain Tex Dye Factory, Shiv Nagar, Panipat.
73	M/s Jai Bharat Woollen India A, Panipat.
74	M/s K.T. Dye House, I.A., Panipat.
75	M/s Khati Ashram, Finishing Plant, G.T. Road, Panipat.
76	M/s Karuna Textile, Near Kishore Cinema, Panipat.
77	M/s Krishna Udyog, I.A., Panipat.
78	M/s Kahan Udyog, I.A., Panipat.
79	M/s Lord Shiva Woollen Mills, G.T. Road, Panipat.
80	M/s Liberty Fabrics (P) Ltd. G.T. Road, Panipat.
81	M/s Lucky Dye House, Jatal Road, Panipat.

82	M/s L.K. Dye House, Ward No. 11, Panipat.
83	M/s Modern Woollen Mills, G.T. Road, Panipat.
84	M/s Meeka Woollen Mills, 84 Mile Stone, G.T. Road, Panipat.
85	M/s Maini Dye House, 8-Marla, Panipat.
86	M/s Mayur Processors, G.T. Road, Panipat.
87	M/s Master Dye House, Babail Road, Panipat.
88	M/s Multi Textiles, Bichpuri Road, Panipat.
89	M/s Multi Fab, Bichpuri Road, Panipat.
90	M/s Meghalaya Handloom House Kishanpura, Panipat.
91	M/s Mayur Dye House, Shiv Nagar, Panipat.
92	M/s M.S. Dye House, G.T. Road, Panipat.
93	M/s Mohit Dye House, 8 Marla, Panipat.
94	M/s Meeka Spinners, G.T. Road, Panipat.
95	M/s Modern Textile & Finishers, Sanoli Road, Panipat.
96	M/s Mamta Textile, Sanoli Road, Panipat.
97	M/s Maharaja Textile, Sanoli Road, Panipat.
98	M/s New Gulshan Handloom Ind., Weavers

	Colony, Panipat.
99	M/s Narain Dass Tulsi Dass (P) Ltd., Panipat.
100	M/s Natraj Handloom, Kabri Road, Panipat.
101	M/s Nan Woollen Mills, Gohana Road, Panipat.
102	M/s National Woollen & Finishing, Vill. Nizampur, Panipat.
103	M/s NMC Carbonics, Gohana Road, Panipat.
104	M/s Nagpal Textile, G.T. Road, Panipat.
105	M/s Pragati Handlooms Industry, G.T. Road, Panipat.
106	M/s Paliwal Overseas (P) Ltd., Panipat.
107	M/s Pantex, Near Gaushala Mandir, Panipat.
108	M/s Pee Tee Inds., Kishanpura, Panipat.
109	M/s Phoji Dye House, Barast Road, Panipat.
110	M/s Panipat. Thermal Power Plant, H.S.E.B., Panipat.
111	M/s Panipat. Paper Board Mill, Panipat.
112	M/s Pan Overseas, Jatal Road, Panipat.
113	M/s R.T.I. Spinners, Gohana Road, Panipat.
114	M/s Rama Krishan Dye House, Gohana Road,

	Panipat.
115	M/s R.S. Dye House, H-16-A, I.A., Panipat.
116	M/s Relhan Dye House, Sanauli Road, Panipat.
117	M/s Rosy Dye House, Sanauli Road, Panipat.
118	M/s Real Processor (Apna Dye House) M-11, 12, IA, Panipat.
119	M/s Ramesh Woollen Mills, Kabri Road, Panipat.
120	M/s Saraswati Udyog, 0/24, IA, Panipat.
121	M/s S.N. Woollen Mills, Pvt. Ltd., Panipat.
122	M/s Shree Bankey Bihari Woollen Mills, Pasina Kalan, Panipat., Panipat.
123	M/s Shivalik Int. I.A., Panipat.
124	M/s Sheela Dye House, Kabri Road, Panipat.
125	M/s Satya Dye House, E-38, IA, Panipat.
126	M/s Super Dye House, Purewal Colony, Panipat.
127	M/s S.D. Processor, Barsat Road, Panipat.
128	M/s Sumit Dye House, Kishanpura
129	M/s Suresh Dye House, Gandhi Mandi
130	M/s Supreme Dye House, Kutani Road, Panipat.

131	M/s Sarvodya Enterprises, G.T. Road, Panipat.
132	M/s Shiv Dye House, Jatal Road, Panipat.
133	M/s Shakti Dye House, Jatal Road Panipat.
134	M/s Sanjay Dye House, Babail Road, Panipat.
135	M/s Shushil Dye House, Babail Road, Panipat.
136	M/s Sharma Dye House, Ward No. II, Panipat.
137	M/s Sanesh Dye House, Ward No. II,, Panipat.
138	M/s Salim Dye House, Babil Road, Panipat.
139	M/s Shyam Textiles, HUDA, Panipat.
140	M/s Sandeep Dye House, HUDA-II, Panipat.
141	M/s Shiv Dye House, HUDA, Panipat.
142	M/s Shena Exports, Ugha Road, Panipat.
143	M/s Sawan Spinning Mills Faridpur Road, Panipat.
144	M/s Sun Light Textile, Des Raj, Colony, Panipat.
145	M/s Sai Textile Barsat Road, Panipat.
146	M/s Surya Weaving Mills, G.T. Road, Panipat.
147	M/s Trishala Woollen Mills, Gohana Road, Panipat.

148	M/s The Krigar, Bichpuri Road, Panipat.
149	M/s Usha Dyeing House, Model Town, Panipat.
150	M/s V.R. Dye House, Purewal Colony, Panipat.
151	M/s Vijay Dye House, Jatal Road, Panipat.
152	M/s Vardhman Solvex Pvt. Ltd. Gohana Road, Panipat.
153	M/s Rishab Spinning Mills, Kabri Road, Panipat.
154	M/s Universal Textile, IA, Panipat.
Yamuna Nagar-Water	
1	M/s Anand Enterprises, Jagadhri.
2	M/s Azad Dhatu Udyog, J/C, Jagadhri.
3	M/s Balaji Strips, J/C, Jagadhri.
4	M/s B.M. Metal Works, C/R, Jagadhri.
5	M/s Dwarka Enterprises, Jagadhri.
6	M/s Kapoor Metal Works, Jagadhri.
7	M/s Milk Chilling Centre, Yamuna Nagar.
8	M/s Metal & Alloys (India) Jagadhri.
9	M/s Parbhat Ind. Jagadhri.

10	M/s Parbhat Enterprises, Jagadhri.
11	M/s Municipal Committee, Jagadhri.
12	M/s Sameshwar Metal Works, Jagadhri.
13	M/s Sagar Ind., Jagadhri.
14	M/s Singla Enterprises, Jagadhri.
15	M/s Gupta Metal Works, Jagadhri.
16	M/s Ashoka Steel & Gen. Inda., Jagadhri.
17	M/s Aggarwal Metal Ind., Jagadhri.
18	M/s Aggarwal Dhatu Udyog, Jagadhri.
19	M/s J.K. Metal Works, Jagadhri.
20	M/s Janta Metal Ind., Jagadhri.
21	M/s Accurex Steel Rolling, Jagadhri.
22	M/s Brij Lal Badri Dass, Jagadhri.
23	M/s Dharam Udyog, Jagadhri.
24	M/s ISGEC, Yamuna Nagar.
25	M/s Kanahiya Metal Ind., Jagadhri.
26	M/s Laxmi Dhatu Udyog, Jagadhri.
27	M/s Oriental Engg. Works, Yamuna Nagar.
28	M/s Pashupati Nath Dhatu, Jagadhri.

29	M/s P.D. Metal Works, Jagadhri.
30	M/s Parkash Aloha Udyog, Jagadhri.
31	M/s Satish Engg. Works, Jagadhri.
32	M/s Saraswati Sugar Mill, Yamuna Nagar.
33	M/s Punina Metal Ind., Jagadhri.
34	M/s Jagan Nath Metal Ind., Jagadhri.
35	M/s Shibu Enterprises, Jagadhri.
36	M/s Malhotra Metal Ind., Jagadhri.
37	M/s M.C. Yamuna Nagar.
38	M/s M.C., Jagadhri.
39	M/s M.C, Buria.
40	M/s M.C. Chachrouli.
41	M/s M.C. Sadaura.
42	M/s Shiv Bhola Metal Ind., Jagadhri.
43	M/s Santokh Metal Ind., Jagadhri.
44	M/s Jagat Sons Ind., Jagadhri.
45	M/s Yamuna Paper, Yamuna Nagar.
46	M/s Chanderpur Board Mill, Yamuna Nagar.
47	M/s Saraswati Board Mill, Radaur.

48	M/s Sun Rise Paper Board, Yamuna Nagar.
49	M/s Goel Strips, Jagadhri.
50	M/s Bimal Ind., I/A, Yamuna Nagar.
51	M/s Shivam Ind., Jagadhri.
52	M/s Asian Carpet Ind., Jagadhri.
53	M/s Yamuna Pharmacy, Yamuna Nagar.
54	M/s Banari Dass & Sons., Jagadhri.
55	M/s Faquir Chand & Sons, Jagadhri.
56	M/s Sohan Lal Varinder Kumar, Yamuna Nagar.
57	M/s Pawan Soap Factory. Yamuna Nagar.
58	M/s Frientier Enterprises, Jagadhri.
59	M/s Ashoka Soap Factory, Jagadhri.
60	M/s Railway Workshop, Yamuna Nagar.
61	M/s Shri Baini Parshad Udyob, Jagadhri.
62	M/s K.L. Steel Rolling Mills, Jagadhri.
Hisar (Under Water Act)	
1	M/s Tirupati Rasayan Udyog.
2	M/s Skipper Foods Pvt. Ltd.
Name of Factories who use water in Recirculation	

system.	
3	M/s Jindal Strips Pvt. Ltd.
4	M/s Swastik Udyog Ltd.
5	M/s Arcee Ispat Udyog Inds.
6	M/s Aravali Pipes Inds.
7	M/s Nalwa Steel Pvt. Ltd.
8	M/s Vindhya Pipe & Plastic Pvt. Ltd.
9	M/s Aravali Tubes Pvt. Ltd.
10	M/s Parkash Pipes Inds.
11	M/s Haryana Tubes Manf. Co.,
12	M/s Quality Foils 3 IDC.,
13	M/s Anand Metal,
14	M/s Orbit Tubes Pvt. Ltd.,
15	M/s Amar Alloys Pvt. Ltd.,
16	M/s Hisar Poles Pvt. Ltd.,
17	M/s Ravindera Tubes, Hisar
18	M/s Neeraj Jindal Ispat Udyog.
19	M/s Bharat Metal Inds.
20	M/s Janak Steel Tubes Pvt. Ltd.,

21	M/s Sham Sunder Inds.,
22	M/s Jindal Industry Pvt. Ltd.,
23	M/s Indo Furnace Pvt. Ltd.,
24	M/s Pankaj Towers Pvt. Ltd.,
25	M/s Haryana Iron & Steel Rolling Mills,
26	M/s Rawalwasis Ispat Udyog,
27	M/s Goyal Steel Rolling Mill,
28	M/s Sarlia Steel Rolling Mill,
29	M/s Jindal Ispat Pvt. Ltd.,
30	M/s Pradeep Tubes Co.,
31	M/s Orbit Tubes Pvt. Ltd.,
32	M/s Kinara Tubes Pvt. Ltd.,
33	M/s Haryana Concast Pvt. Ltd.,
34	M/s Jindal Rolling Mills,
35	M/s Bajrang Dass & Sons Pvt. Ltd.,
36	M/s Rawalwasia Steel Plant, Hisar
37	M/s Sandley Industry.
38	M/s Shree Ganesh Rolling Mills,
39	M/s B.D. Steel Industry.

40	M/s Hisar Metal Industry,
41	M/s Bhanu Steel, Hisar
42	M/s Amar Industry, Hisar
43	M/s Nand Steel Pvt. Ltd.,
44	M/s Rajinder Oil Mills,
45	M/s Hisar Oil & Gen. Mill,
Distt. Bhiwani (Under Water Act)	
1	M/s S.K. Foils Pvt. Ltd.,
2	M/s Bharat Agri, Industry.,
3	M/s Makharia Traders.,
4	M/s Ramesh Surgical Absorbents Ltd.
5	M/s Kuldeep Service Station
6	M/s Hard Core Industry.
7	M/s Raj Service Station.
8	M/s Milk Plant, Bhiwani.
List of Factories which have no pollution check devices under Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.	
Sr. No.	Name of Factory

1	2
1	M/s Auto Pins India, Faridabad.
2	M/s Cupo Cast, Faridabad.
3	Crucible Casting, Faridabad.
4	Oswal Engg. Works, Faridabad.
5	Oswal Auto Cast Ancilliery, Faridabad.
6	M/s Continental Refranctories, Faridabad.
7	M/s Bhartai Electric (Foundry), Faridabad.
8	M/s A.Y. Enterprises, Faridabad.
9	M/s J.B. Engineering, Faridabad.
10	M/s Kobo Suspensions, Faridabad.
11	M/s Karma Processors, Faridabad.
12	M/s Anil Engg., Faridabad.
13	M/s Bee Ell Industries, Faridabad.
14	M/s Bharat Industries, Faridabad.
15	M/s Frezking Industries, Faridabad.
16	M/s Aloozin India, Faridabad.
17	M/s Centrifugal Casting, Faridabad.
18	M/s Amar Udyog, Pali, Ballabgarh.

19	M/s K.G. Khosla Compressor, Faridabad
20	M/s Olympic Refractories, Faridabad
21	M/s Sidiana Engg., Faridabad
22	M/s Shankla Engg., Faridabad
23	M/s India Ltd., Faridabad
24	M/s Guru Nanak Foundry, Faridabad
25	M/s Starwire India, Faridabad
26	Huska Refractories, Faridabad
27	M/s Rashtriya Engg., Faridabad
28	M/s Sumier Potteries, Faridabad
29	M/s S.N. Vij Co., Faridabad
30	M/s Hindustan Wire, Faridabad
31	M/s Prem Metal, Faridabad
32	M/s Shyam Steel, Faridabad
33	M/s Bhupendra Steel, Faridabad
34	M/s Deep Heat Treatment, Faridabad
35	M/s Loviska Textile, Faridabad
36	M/s Haryana Dyeing & Printing, Faridabad
37	M/s East Indai Cotton, Faridabad

38	M/s Pack Foam Industries, Ballabgarh.
39	M/s Industrial Cetamics, Faridabad
40	M/s Bhaskar Stone Ware Pipe, Faridabad
41	M/s Ferrous Alloy Forging, Faridabad
42	M/s Thermal Power House, Faridabad
43	M/s Faridabad Forging, Faridabad
44	M/s Oswal Steel, Faridabad
45	M/s Motley Industries, Faridabad
46	M/s Bee Vee Engg., Faridabad
47	M/s B.C.R. Ltd., Faridabad
48	M/s Perfect Plast, Faridabad
49	M/s Ercon Chemicals, Faridabad
50	M/s Bhartiya Enterprises, Faridabad
51	M/s Anil Rubber, Faridabad
52	M/s Avon Service, Faridabad
53	M/s Bohra Mills, Faridabad
54	M/s Kumar Textiles, Faridabad
55	M/s A.S. Enterprises, Faridabad
56	M/s Akhil Bhartiya Dyeing & Printing Mills,

	Faridabad
57	M/s B.P.R. Tex Prints, Faridabad
58	M/s Frick India, Faridabad
59	M/s First Prints, Faridabad
60	M/s First Collection, Faridabad
61	M/s Maharaja Prints, Faridabad
62	M/s Mode Prints, Faridabad
63	M/s Pioneer Refractries, Faridabad
64	M/s Rahul Fabrics, Faridabad
65	M/s S. Laxmi Prints, Faridabad
66	M/s Hindustan Heat Treatment, Faridabad
67	M/s Haryana Sanitary Industries, Faridabad
68	M/s Industrial Ceramics Products, Faridabad
69	M/s Newar Carbon & Ceramics, Faridabad
70	M/s Pritbha Ceramics, Faridabad
71	M/s Raunak Refractories, Faridabad
72	M/s Sarawati Ceramics, Faridabad
73	M/s Sankla Ceramics, Faridabad
74	M/s Ceramics India, Faridabad

75	M/s Haryana Dairy Dev. Coop. Milk Plant, Faridabad
76	M/s Thermopacking Industries, Faridabad
77	M/s Rana Textiles, Faridabad
78	M/s Munish Vinyal Sec. 6, Faridabad
79	M/s Partap Steel, Faridabad
Gurgaon-Air	
1	M/s Dugal Engg. Industries, Gurgaon
2	M/s Demm Auto Engg. Ltd., Gurgaon
3	M/s Goyal Industries, Gurgaon
4	M/s Haryana Auto Casting, Gurgaon
5	M/s The Malt Co. (P) Ltd., Gurgaon
6	M/s Superior Chemicals, Gurgaon
7	M/s Usha Minerals Ltd., Gurgaon
8	M/s Enkay (India) Rubber (P) Ltd., Gurgaon
9	M/s Duka Rubber & Footwear, Gurgaon
10	M/s Deepak Minerals & Grinding, Gurgaon
11	M/s Mehtal Potteries, Gurgaon
12	M/s Algha Udyog, Gurgaon

13	M/s Prince Kataria, Potteries, Gurgaon
14	M/s Harjit Brothers, Gurgaon
15	M/s S.S. Enterprises, Gurgaon
16	M/s Jagat Refractories, Gurgaon
17	M/s Sarmat Ceramics, Gurgaon
18	M/s D.D. Refractories, Gurgaon
19	M/s Surjay Refractories, Gurgaon
20	M/s Kataria Refactories, Gurgaon
Rewari-Air	
1	M/s Gupta Enterprises, Rewari
Dharuhera-Air	
1	M/s Swadeshi Alloys Ltd., Dharuhera.
2	M/s J.B. Papers, Dharuhera.
3	M/s Sehgal Paper Mills, Dharuhera.
Bahadurgah-Air	
1	M/s New Haryana Foundry & Genl. Industries, Bahadugarh.
2	M/s Shankra Machine Tools (P) Ltd., Bahadugarh.

3	M/s Leading Engineering Work (P) Ltd., Bahadugarh.
4	M/s Kulvindra Engineering Work (P) Ltd., Bahadugarh.
5	M/s Verma Brothers, Bahadugarh.
6	M/s Leekha Chemicals, Bahadugarh.
7	M/s Uttar Bharat Neel Udyog, Bahadugarh.
8	M/s Ultramafine Industries, Bahadugarh.
9	M/s Mini Chemicals, Bahadugarh.
10	M/s Synth Chem. Industries, Bahadugarh.
11	M/s Doaba Refractories, Bahadugarh.
12	M/s Bahadurgarh Electric Goods Production Co-op. Indl. Society, Bahadugarh.
13	M/s Brite Ceramic Industries, Bahadugarh.
14	M/s Mehendra Grinding Co., Bahadugarh.
15	M/s Indu Plaster Industries, Bahadugarh.
16	M/s Darya Industrial Plastics, Bahadugarh.
17	M/s Sri ram Synthetic Fabrics, Bahadugarh.
18	M/s Shakti Chemicals, Bahadugarh.
19	M/s Swastik Laminating Industries,

	Bahadugarh.
20	M/s Hindustan Sanitaryware & Industries Ltd., Bahadugarh.
21	M/s Radha Chemical, Bahadugarh.
22	M/s Virgo Industrials Ltd., Bahadugarh.
23	M/s Ajay Castings Udyog (P) Ltd., Bahadugarh.
24	M/s Ashoka Percelain Gram Udyog Smiti, Bahadugarh.
25	M/s Percelain Potteries, Bahadugarh.
26	M/s Penguin Ceramic Industry, Bahadugarh.
27	M/s Prem Udyog, Bahadugarh.
28	M/s Parja Pati Ceramic Industries, Bahadugarh.
29	M/s Quality Disc. Manufactures (P) Ltd., Bahadugarh.
30	M/s Saugam Refractories, Bahadugarh.
31	M/s Sai Industries, Bahadugarh.
32	M/s Suraj Potteries, Bahadugarh.
33	M/s Sachdeva Potteries, Bahadugarh.
34	M/s Shri Gulab Ceramic Industries, Bahadugarh.

35	M/s Vishnu Gamla Udyog, Bahadugarh.
36	M/s Friends Potteries, Bahadugarh.
37	M/s Haryana Chemicals Industries, Bahadugarh.
38	M/s Hindustan Potteries, Bahadugarh.
39	M/s Haryana Industries, Bahadugarh.
40	M/s Hind Brass Pvt. Ltd., Bahadugarh.
41	M/s Jain Ceramic Industries, Bahadugarh.
42	M/s Jai Bharat Potteries, Bahadugarh.
43	M/s Janta Ceramic Industries, Bahadugarh.
44	M/s J.B. Chemicals & Metal Reginging Work, Bahadugarh.
45	M/s K.L. Ceramic Industries, Bahadugarh.
46	M/s Modern Farm Aids, Bahadugarh.
47	M/s Meenakshi Ceramic Industry, Bahadugarh.
48	M/s Narayan Porcelain Works, Bahadugarh.
49	M/s Parbhat Potteries, Bahadugarh.
50	M/s Pearl Ceramic Works, Bahadugarh.
51	M/s Premier Foundry & Allied Products, Bahadugarh.

52	M/s Satyam Synfab, Bahadugarh.
Panipat-Air	
1	M/s Fabric Processors G.T. Road, Panipat.
2	M/s Raj Woollen Mills, G.T. Road, Panipat.
3	M/s Pen foods G.T. Road, Panipat.
4	M/s Shri Giri Raj Finishers, Des Raj Colony, Panipat.
5	M/s Thermal Power Plant H.S.E.B., Panipat.
6	M/s The Panipat Co-op. Sudar Mills, Panipat (D.U.)
7	M/s Shivalik International Pasiana Kalan, G.T. Road, Panipat.
8	M/s Raj Textile, I.A., Panipat.
9	M/s Bright Indl. Corpn. I.A., Panipat.
10	M/s Amba Woollen Mills, I.A. Panipat.
11	M/s Mahajan Overseas (P) Ltd., I.A., Panipat.
12	M/s Bala Sundri Finishen, Gohana Road, Panipat.
13	M/s Faze-3 Exports (P) Ltd., Jatal Road, Panipat.
14	M/s Fantex Process House, Gohana Road,

	Panipat.
15	M/s Paliwal Overseas, Near Khadi Ashram, G.T. Road, Panipat.
16	M/s Khadi Ashram Finishing Plant, G.T. Road, Panipat.
17	M/s Janta Woollen Finishing Shiv Nagar, Panipat.
18	M/s Gopal Textile Finishers, Shiv Nagar, Panipat.
19	M/s Singla Carpet G.T. Road, Panipat.
20	M/s Nidhi Woollen Mills, Shiv Nagar, Panipat.
21	M/s Durga Khadi Woolen Finishers, Gohana Road, Panipat.
22	M/s R.K. Dyeing Industry, G.T. Road, Panipat.
23	M/s Swastik Woollen & Finishing G.T. Road, Panipat.
24	M/s Dyal Velvets, G.T. Road, Panipat.
25	M/s Varun Dye House, Gohana Road, Panipat.
26	M/s National Woollen Mills, G.T. Road, Panipat.
27	M/s Panipat Co-op. Sugar Mill Ltd., Panipat.
28	M/s Vardhman Solvex Gohana Road, Panipat.

29	M/s Bharat Woollen Finishers, I.A., Panipat.
30	M/s Bala Ji Woollen Finishers, Panipat.
31	M/s B.S. Finishers, Shiv Nagar, Panipat.
32	M/s Diamond Finishers, Babail Road, Panipat.
33	M/s Gangotri Finishers, Babail Road, Panipat.
34	M/s Guru Nanak Woollen Finishers, Sanoli Road, Panipat.
35	M/s Goel & Co. Finishers, Des Raj Colony, Panipat.
36	Jai Shree Ram Woollen Finishers, Panipat.
37	M/s A.D.R. Finishers, Panipat.
38	M/s Modern Textile Fisnishers, Sanoli Road, Panipat.
39	M/s Mangla Processors Kutani Road, Panipat.
40	M/s Mittal Finishers, Gohana Road, Panipat.
41	M/s Om Woollen Finishers, Shiv Nagar, Panipat.
42	M/s R.C. Woolen Finishers, Kishanpura, Panipat.
43	M/s Super Finishers Sanoli Road, Panipat.
44	M/s Shree Ram Woollen Finishers, Kutani Road, Panipat.

45	M/s Shree Ganesh Processes Krishna Pura Road, Panipat.
Yamuna Nagar-Air Act	
1	M/s Ballarpur Industries, Yamuna Nagar.
2	M/s Kay Iron Works, Yamuna Nagar.
3	M/s Globe Engg. Corpn., Yamuna Nagar.
4	M/s Roshan Industries, Yamuna Nagar.
5	M/s Agro Steel & Casting, Yamuna Nagar.
6	M/s Indian Sugar & Gen., Yamuna Nagar.
7	M/s B.R. Casting, I/A, Yamuna Nagar.
8	M/s Globe Sales Corp. I/A, Yamuna Nagar.
9	M/s Aggarwal Agricultural Imp.
10	M/s Chanderpur Board, Yamuna Nagar.
11	M/s Gurnam Cement & Chemical I/A.
12	M/s Sunrise Paper Board, Yamuna Nagar.
13	M/s Ram Ditta Mall, Metal Ind.
14	M/s Vikram Engg. Works, Radaur Road.
15	M/s Oriental Engg. Works, I/A.
16	M/s Jai Forging & Stamping, Yamuna Nagar.

17	M/s Pb. Lime & Chalk Ind., I/A.
18	M/s Mahadev Steel Vill. Ballachaur.
19	M/s Upper India Smelting, I/A.
20	M/s Railway Workshop, Yamuna Nagar.
21	M/s Malhotra Kumar (P) Ltd., Industrial Area, Yamuna Nagar.
Hisar-Under Air Act.	
1	M/s Aravali Pipes Ltd.
2	M/s Swastik Udyog Ltd.
3	M/s Jindal Strips Ltd.
4	M/s Indo Furnace Pvt. Ltd.
5	M/s G.B. Oil Mills, Pvt. Ltd.
6	M/s Parkash Pipes Inds.
7	M/s The East Punjab Manf. Co.
8	M/s Lakhi Ram Steel Inds.
9	M/s S.M. Rubber Inds.
10	M/s Haryana Oil & Gen., Mill.
11	M/s Leeka Oxide Pvt. Ltd.
12	M/s Triupati Pasyan Udyog.

13	M/s Amar Alloys Inds.
14	M/s Laxmi Rolling Mills.
15	M/s Sarlia Steel Rolling Mills.
16	M/s B.D. Steel Rolling Mills.
17	M/s J.J. Chemical Inds.
18	M/s Hisar Silicate Inds.
19	M/s Rajgarhia Oil Mills.
20	M/s Sandley Industry.
21	M/s Hindustan Chemical Inds.
22	M/s Nand Steel Pvt. Ltd.,
23	M/s Hisar Oil & Gen. Mills.
24	M/s Neelam Agro Industry.
25	M/s Skipper Foods Pvt. Ltd.
26	M/s Bharat Iron Foundry.
27	M/s Haryana Udyog Nigam Inds
28	M/s Indovex Pvt. Ltd., Hisar.
Bhiwani-Under Air Act	
1	M/s H.S. Strips, Bhiwani.
2	M/s Mittal Chemical Udyog

3	M/s Friend Chemical
4	M/s Haryana Rolling Mill.
5	M/s Naveen Pipes Fitting and Manf. Co.
6	M/s Indo Chemical
7	M/s Nobel Paints & Chemical
8	M/s Bhiwani Vanaspati

Compensation

60. Prof. Sampat Singh: Will the Minister of State for Transport be pleased to state –

(a) the total number of motor vehicle and other accidents occurred in teh State during the years 1991-92 and 1992-93;

(b) the total number of persons died or injured in the above said accidents during the said period, separately; and

(c) the compensation, if any, given by the Govt. in each case to the persons injured and the families of deceased involvved in the said accidents?

Interim Reply

D.O. No. 114-MT-93

"Balbir Pal Shah

राज्य मंत्री,

परिवहन विभाग,

हरियाणा,

चन्डीगढ़ ।

Dated 23rd February, 1993.

Subject:- Unstarred Assembly Question No. 60 scheduled for 24.2.1993.

My dear Ishwar Singh,

The above-said Unstarred Assembly Question No. 60. is fixed for 24th February, 1993.

2. The information that has been sought by the Hon'ble Member in this question relates to total number of accidents in the State and the total number of people who have died or havve been injured in such accidents during 1991-92 and 1992-93.

3. Transport Deaprtment has information only regarding accidents involving Haryana Roadways buses. Total information would be available with teh Home Department and who would have to collect it from all the districts.

4. The time available is insufficient to collect the total inforamtion even for the Home Department. Accordingly, I am to request to postpose the question for some time. In the

meantime, I am also taking steps to have the question transferred to the Home Department.

With regards,

Yours sincerely,

Sd./-

(BALBIR PAL SHAH)

Sh. Ishwar Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Construction of New Roads

61. Prof. Sampat Singh: Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state –

(a) teh circlewise length of new roads in Kilometres constructed in the State during the years 1991-92 and 1992-93, separately and

(b) the circlewise expenditure incurred on te repairs and widening of roads during the period as referred to in part (a) above separately?

लोक निर्माण मंत्री (चौ. आनन्द सिंह डांगी):

(क) वर्श 1991–92 और 1992–93 (जनवरी 93 तक) में बनाई गई नई सड़कों की लम्बाई वृत अनुसार निम्नलिखित है:–

क्र. स.	वृत का नाम	बनाई गई लम्बाई वर्श 1991–92 (कि. मी.)	वर्श 1992–93 में (जनवरी 93 मे) (कि.मी.)
1	अम्बाला	18.50	9.80
2	भिवानी	31.60	5.90
3	चण्डीगढ़	7.60	3.50
4	गुड़गांवा	21.20	3.10
5	हिसार	41.85	41.42
6	जीन्द	25.00	6.69
7	करनाल	27.31	18.45
8	रोहतक	26.95	13.77
	कुल जोडः	200.01	102.63

(ख) वर्श 1991–92 तथा 1992–93 (दिसम्बर 92 तक) खर्चा जोकि सड़कों की मुरम्मत तथा चौड़ा करने पर किया गया, वृत अनुसार निम्नलिखित हैः–

	जो खर्चा किया गया

क्र. स.	वृत का नाम	वर्श 1991–92			वर्श 1992–93 (दिसम्बर 92 तक)		
		चौड़ा करना सुधार सहित (रू. लाखों में)	मुरम्मत कार्य (रू. लाखों में)	कुल जोड़ (रू. लाखों में)	चौड़ करना सुधार सहित (रू. लाखों में)	मुरम्मत कार्य (रू. लाखों में)	कुल जोड़ (रू. लाखों में)
1	अम्बाला	0.65	422.14	442.79	39.74	279.93	319.67
2	भिवानी	79.34	469.43	548.77	45.39	193.91	239.30
3	चण्डीगढ़	6.60	318.05	324.65	49.03	163.45	212.48
4	गुड़गांवा	48.64	506.57	555.21	48.54	275.17	323.71
5	हिसार	43.64	765.20	808.84	142.68	397.76	540.44
6	जीन्द	7.12	418.17	425.29	17.69	219.79	237.48
7	करनाल	42.15	397.42	439.57	22.31	316.54	338.85
8	रोहतक	30.35	441.74	472.09	38.50	211.70	250.20
	कुल जोड़	258.49	3738.	3997.21	403.88	2058.25	2462.13

Roads constructed by Haryana State Agricultural Marketing Board

@62. Prof. Sampat Singh: Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) whether any roads have been constructed by Haryana State Agricultural Marketing Board in the State during teh years 1991-92, 1992-93; and

(b) if so, the market committee-wise total length of such roads togetherwith their names and the expenditure incurred thereon?

Interim reply

"Harpal Singh

D.O. No. 520-Agri.(I)-93/Spl.

Agricultural Minister,

Haryana.

Dated 23-2-1993.

Subject:- Unstarred Assembly Question No. 62 fixed for reply on 24th February, 1993.

Dear Sh. Ishwar Singh Ji,

The Unstarred Assembly Question No. 62 relates to Market Committee-wise total length of roads constructed by

teh Haryana State Agricultural Marketing Board in the State during the years 1991-92 and 1992-93. Names of all he roads market committee-wise and the expenditure incurred thereon have also been asked. Thus the information relating to this question will have to be collected from all Market Committees numbering 98 and is thus a lengthy exercise. It is, therefore not possible to submit the reply within such a short notice i.e. 24th February, 1993.

May I, therefore, request you to kindly grant extension of time for three weeks for replying this Unstarred Assembly Question.

With regards,

Yours sincerely,

Sd./-

(HARPAL SINGH)

Sh. Ishwar Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Per Patient expenditure incurred on Medicine

65. Prof. Sampat Singh: Will the Minister for Health be pleased to state the per patient indoor/outdoor amount of expenditure incurred on the supply of medicines in the State during the years 1991-92 and 1992-93?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी):

वर्श	प्रति रोगी खर्च
1991—92	रूपये 7.68
1992—93	रूपये 5.83

Surplus Land in the State

63. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the district-wise total acreage of surplus land as on 1-11-1966 in the State;

(b) the land out of that as mentioned in part (a) above in the villages of the State togetherwith the details thereof; and

(c) whether land referred to in part (b) above has been allotted the among the persons belonging to scheduled castes tenants; if so, the districtwise details thereof?

अ.स. पत्र क्रमांक 443—ए.आर.0—1—93/3668

''भजन लाल अन्तरिक उत्तर

मुख्यमंत्री,

हरियाणा, चण्डीगढ़।

22 फरवरी, 1993

विशयः— विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 63 बाबत सरप्लस भूमि की अलाटमैंट।

आदरणीय चौधरी साहब,

मैं आपका ध्यान उपरोक्त विशय पर अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 63 की ओर दिलाकर कहना चाहूंगा कि उक्त विधान सभा प्रश्न दिनांक 24.2.1993 को विधान सभा में उत्तर के लिए नियत है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए वांछित सूचना राज्य मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं है। अतः सभी उपायुक्तों से सूचना मंगवाई गई। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तैयार करने में समय लगने की संभावना है।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उक्त प्रश्न का उत्तर तैयार करने हेतु रूल्ज आफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस इन दि हरियाणा विधान सभा के नियम 41 के परन्तुक 2 के अनुसार कम से कम एक मास की बढ़ौतरी दी जाये।

सादर,

आपका,

(भजन लाल)

श्री ईश्वर सिंह,

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़ ।''

घोशणाएं –

(क) अध्यक्ष द्वारा –

(i) सभापतियों के नामों की सूची

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Buisness in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chiarmen;

(1) Sh. Phool Chand Mullana,

(2) Kanwar Ram Pal Singh,

(3) Sh. Dhir Pal Singh; and

(4) Sh. Amar Singh Dhanak.

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I nominate the following Members to serve on the Committee on Petitions under Rule 286(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

1	Sh. Sumer Chand Bhatt, Deputy Speaker	Ex-Officeo Chairman
2	Sh. Phool Chand Mullana	Member

3	Sh. Rajinder Singh Bisla	Member
4	Sh. Amar Singh Dhanak	Member
5	Sh. Jai Pal Singh	Member

(iii) अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an intimation from Smt. Janki Devi Mann, M.L.A. which is as under:-

"It is brought to your kind notice that I am down with knee trouble for the last many days. I am going for treatment outstation at Bangalore and will not be able to attend Vidhan Sabha Session commencing from 23-2-1993.

I may kindly be allowed exemption from the period I remain under treatment during the Session period."

Question is –

That permission for leave of absence for the current Session of Haryana Vidhan Sabha be graned to the member.

Voices: Yes yes.

The motion was carried

(ख) सचिव द्वारा –

(i) राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker: Now the Secretary will make an annoucement.

सचिवः महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा न अपने दिसम्बर, 1992 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

विवरण

1	दि ईस्ट पंजाब बार एवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1992
2	दि हरियाणा को–आप्रेटिव सोसाइटीज (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1992
3	दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल, 1992
4	दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकेण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1992
5	दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1992
6	दि हरियाण लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैंशन आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1992
7	दि हरियाण लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1992

8	दि हरियाण लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पकीर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 1992
9	दि हरियाणा सैलरीज एंड अलांउसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1992

(ii) सांविधानिक विधेयकों के अनुसमर्थन से संबंधित राज्य सभा से प्राप्त दस्तावेज

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table of the House a copy each of the following documents received from the Council of States regarding the ratification of the Constitution (Seventy-secord Amendment) Bill, 1991 and the Constitution (Seventy-third Amendment) Bill, 1991;

(i) Letter dated the 18th January, 1993, received from the Secretary-General, Rajya Sabha, New Delhi;

(ii) The Constitution (Seventy-second Amendment) Bill, 1991 and the Constitution (Seventy. Third Amendment) Bill, 1991 (English And Hindi versions), as introduced in the House of People;

(iii) The Constitution (Seventy-second Amendment) Bill, 1991 and :the Constituion (Seventy-third Amendment) Bill 1991 (English and Hindi versions), as passed by the House of Parliament;

(iv) Lok Sabha Debate on the Constitution (Seventy-second Amendment) Bill, 1991 and the Constitution (Seventy-third Amendment) Bill, 1991; and

(v) Rajya Sabha. Debate on the Constitution (Seventy-second Amendment) Bill, 1991 and the Constitution (Seventy-third Amendment) Bill, 1991.

प्रो. सम्पत सिंह के विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज करना

श्री जय प्रकाश (करनाल): स्पीकर साहब, मैं आपके ध्यापन में लाना चाहता हूं कि 23.12.92 के सैशन में कुछ अन पार्लियामैंटरी और इल्लीगल वाक्यात हुए थे। चौ. संपत सिंह जी जोकि अपोजीशन के लीडर हैं, ने जान बूझकर 23.12.1992 को, माईक को जो सीट न. 76–77 पर लगा हुआ है, नुकसान पहुंचाया। उस माईक को न केवल चौ. सम्पत सिंह जी इस्तेमाल करते हैं बल्कि माननीय डिप्टी स्पीकर साहब भी उसको यूज करते हैं। स्पीकर सर, में इस बारे में आपसे यह गुजारिश करना चाहूंगा कि चौ. सम्पत सिंह जी के खिलाफ मिस कण्डक्ट तथा पब्लिक प्रोपर्टी को नुक्सान पहुंचाने का मामला बनता है इसलिए इनके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। (विघ्न)

सिंचाई मंत्री (चौ. जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, आपकी इजाजत से मैं भी इस मामले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि लीडर औफ दि आपोजीशन की यह जिम्मेदारी होती है कि उनका कण्डक्ट हाउस में ठीक हो और ऐसा कोई काम नह करें जिससे हाउस की

कार्यवाही में बाधा पहुंचे। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं यह बात हाउस को भी बताना चाहूंगा कि पिछले सैशन के दौरान आपने मैम्बर्ज को एक बार नेम किया, दो बार नेम किया लेकिन फिर लीडर औफ दि हाउस ने मेहरबानी करके उनको ऐडमिट करने दिया। स्पीकर सर, उसके बाद में इनका जो कण्डक्ट था, वह बहुत ही गलत था। खासतौर से चौत्र सम्पत सिंह जी जो बहुत ही जिम्मेदारी के पदों पर रखे हैं, मंत्री रहे हैं होम मिनिस्टर रहे हैं, इरिगेशन मिनिस्टर रहे हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा। अपोजीशन के नेता होने के नाते भी इनका इस प्रकार का कण्डक्ट नहीं होना चाहिए। जिस माईक को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वह पब्लिक प्रापर्टी है और इसको ठीक कराने पर करीब 10 हजार रूपये का खर्च आया होगां (विघ्न) स्पीकर सर, चौ. सम्पत सिंह जी सरकार में मितव्ययता की बात करते हैं और अपनी स्टेटमैंटस में भी यह कहते हैं कि सरकार का खर्चा कम होना चाहिए, सरकार के पास खर्च करन के लिए पैसा नहीं है। स्पीकर साहब, पब्लिक प्रापर्टी को डैमेज करना क्रिमिनल केस है। इस बारे मैं शकधर की पुस्तक के पेज 215 पर डिटेल दी हुई है जो इस प्रकार है:–

"A criminal act committed by a member within the House cannot be regarded as a part of the proceedings of the House for purposes of protection. Thus iin Maharashtra Legislative Asembly when a member shouted at the operator to connect his mike to the loudspeaker, threw a paper-weight in the direction of the loudspeaker operator and rushed towards

the Speaker adn grabbed the mike in front of the Speaker he was not only expelled from the House but was subseqently convicted under different Sections of the Indian Penal Code and sentenced to a rigorous imprisonment for 6 months."

स्पीकर सर, इसी तरह की कार्यवाही असैम्बली के एक मैम्बर ने की थी और उसे 6 महीने की सजा हुई थी। चौ. सम्पत सिंह जी ने भी पब्लिक प्रापर्टी को डैमेज किया और उन पर 10 हजार रूपये का खर्च हुआ। उन्होंने पब्लिक प्रापर्टी काो नुकसान पहुंचाया है, इसलिए क्रिमिनल ऐक्ट के तहत असैम्बली से बाहर उनके खिलाु केस भी दर्ज होगा। यह सबके सामने हुआ और यह रिकार्ड में है, इसलिए श्रीमान जी को 6 महीने की सजा भी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि पब्लिक प्रापर्टी को डैमेज करेन की भावना नहीं होनी चाहि, जैसा कि इन्होंने किया। स्पीकर सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह को जो कार्यवाही इन्होंने की है, उसके लिए इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए ओर इस तरह का मिस कण्डक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। इस बात को हाउस के सभी मैम्बर मानेंगे क्योंकि सभी मैम्बर चाहेंगे कि हाउस की कार्यवाही ठीक ढंग से चले। इसलिए मेरी सारे हाउस से रिक्वैस्ट है तथा स्पीकर साहब से भी गुजारिश है कि यह क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए ताकि श्री सम्पत सिंह जी को 6 महीने की सजा हो सके और भविश्य में उनका तथा उनकी पार्टी के मैम्बरों का कण्डक्ट हाउस में ठीक रहे।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, भाई जय प्रकाश जी ने मेरे खिलाफ केस रजिस्टर करने के लिए कहा और श्री जगदीश नेहरा जी ने उनकी वकालत की है। अध्यक्ष महोदय, जब उस विशय में आपकी रूलिंग भी आ गई और आपने मुझे नेम भी किया और उसके बाद आपने रि–काल भी कर लिया। अब सरकार का फैसला है कि सम्पत सिंह को सजा करवानी है। अध्यक्ष महोदय, आपने सजा दे भी दी है। अब ये कहते हैं कि देख लेंगे। इनसे दबने का तो कोई सवाल ही नहीं है।

चौ. जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, हमने यह नहीं कहा है कि हम देख लेंगे या बाद में देख लेंगे। (शोर एवं व्यवधान) न ही हम इनको कोई थ्रैट दे रहे है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि जो इन्होंने गलत बता करी है उसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Prof. Sampat Singh: Sir, it is not an advice. It is a threat and I am ready to face it.

Ch. Jagdish Nehru: Why are you converting this request into a threat?

Prof. Sampat Singh: Sir, he is saying that criminal case must be regsitered against Sh. Sampat Singh. It is a threat and I am ready to face it.

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी आप बिना इजाजत के न बोलें। आपने जो कुछ भी बोलना है वह परमिशन लेकर ही बोलें।

चौ. जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, अगर सम्पत सिंह जी को बोलना है तो इन्हें आपकी परमिशन लेनी चाहिए।

Prof. Sampat Singh: I am requesting the Hon'ble Speaker because he is custodian of the House.

चौ. जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इन्होंने जो पब्लिक प्रापर्टी को नश्ट किया है, उसके लिए इनके अगेन्स्ट केस दर्ज होना चाहिए। It is a criminal case and it does not come within the purview of the privilege. मेरी आपसे प्रार्थना है कि केस रजिस्टर होना चाहिए। इन्हें हाऊस का डैकोरम बनाकर रखना चाहिए।

श्री सतबीर सिह कादयान: अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी पर मंत्री जी की तरफ से ऐलीगेशन लगाए गए हैं। इन्होंने जो ऐलीगेशन लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और न ही कोई माईक टूटा है। उस बारे में कोई भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है। इन्होंने तो सम्पत सिंह जी को डराने के लिए ऐसा सब कुछ किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने जो कुछ भी कहना है, वह चेयर को ऐड्रस करके बोलें। आप कोई भी बात डायरेक्ट न बोलें।

श्री सतबीर सिह कादयान: अध्यक्ष महोदय, जो भी बात जगदीश नेहरा जी ने पढ़ कर बताई है, उसमें तो स्पीकर साहब, का माईक टूट गया, की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, अगर

माईक टूटा था तो पिछली दफा इतना लम्बा सैशन चला था, उसमें यह बात इन्हें कहनी चाहिए थी। अब ये प्रो. सम्पत सिंह जी ने घर में छापे मरवाते हैं, यह बहुत ही गलत बात है।

Mr. Speaker: The matter is under my consideration. As regards your asking Nehra Sahib not to suggest, he is Parliamentary Affiars Minister. He has every right to suggest. He has every right to plead his case in his arguments. The matter is under consideration. Now no more comments please.

ध्यानाकर्शण सूचनाएं

Mr. Speaker: The following is the list of Calling Attention Notices:-

(1)	Sh. Om Parkash Beri, MLA	Regarding supply of poor quality seeds of sunflower to the farmers of Haryana State by the Haryana State Seeds Development Corporation. It is Admitted for 25.2.19993.
(2)	Sathi Lehri Singh, MLA	Regarding waiving off of penalty on the farmers nad providing new seeds of sugarcane.

It is bracketted with call attention motion of Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding slow crushing of Sugarcane in Palwal Sugar Mill. It is admitted for 1.3.1993.

(3)	Sh. Ram Parkash MLA	Regarding agitation for liquor prohibition in Haryana. Comments

		are being asked within 48 hours.

स्थगन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members I have received an notice of Adjournment Motion from Sarvshri Sampat Singh, Satbir Singh Kadian, Ramesh Kumar, Balwant Singh, Mani Ram Rupawas, Ram Kumar Katwal, Bharth Singh, Mohan Lal Pippal, Dhir Pal Singh, Amar Singh Dhanday, Jai Pal Singh, Daryao Singh, Jaswinder Singh and Krishan Lal M.L.As. regarding various problems of the farmers in relation to providing subsidy, bonus, electricity at cheaper rates etc. and killing of farmers at Nissing by police firing.

Hon'ble Members, I have dis-allowed it on the following grounds:-

(i) It does not raise a specific matter of recent occurrence.

(ii) These matters have not suddenly arisen and have been continuing for some time, as such cannot be raised through Adjournment Motion; and

(iii) The Hon'ble Members will get ample opportunity to raise these matters in teh ordinary course of business, i.e. discussion on Governor's Address, Budget, Appropriation Bills, etc. etc.

वाक आउट

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मेरी आपसे सबमिशन है। हम तो आपसे यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि आप एडजर्नमैंट

मोशन को ऐडमिट करेंगे। जो दो किसान निसिंग में मारे गये हैं, वे तो आपके हल्के के ही हैं and you are also concerned. आपकी भी उनकी चिंता है। वे लोग प्रजातांत्रिक ढंग से यही मांग कर रहे थे कि टयूबवैल्ज के बिजली के रेटस जो कि हरियाणा प्रान्त में सबसे ज्यादा हैं, को कम किया जाए। हर आदमी को अपनी बात कहने का राइट है, हक है। मुख्यमंत्री जी स्वयं निसिंग में गये थे। एक तरफ तो इनका जलसा हो रहा था और दूसरी तरफ वहां किसानों की सभा हो रही थी। इनके हुक्म से ही उन किसानों को गोलियों से उड़ाया गया, लाठियों से मारा गया और वहां से भगाया गया।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आपको जो कुछ भी कहना है गवर्नर ऐड्रैस पर कह लेना। आपको पूरा टाईम देंगे।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, यह बहुत गम्भीर मामला है। अगर वहां पर स्वयं जिम्मेदार आदमी मौके पर थे तो इससे बुरी बात और क्या होगी? (विघ्न)

सिंचाई मंत्री (चौ. जगदीश नेहरा): स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है। सर, मैं एक बात स्पैसिफिक रूप से लीडर आफ दी अपोजीशन से कहना चाहूंगा। इन्होंने जो कहा है कि उनकी गोली चलाकर मार दिया तो यह बिल्कुल गलत बात है और यह बात रिकार्ड में नहीं आनी चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातें लीडर ऑफ दी अपोजीशन को नहीं करनी

चाहिएं। यह ठीक है कि ये इस मुद्दे को उठा सकते हैं कि निसिंग में इस तरह की बात हुई ? That is something else कि मुख्यमंत्री ने यह कहा।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर मौजूद थे और इन्होंने गोली चलाने के लिए कहा।

चौ. जगदीश नेहरा: स्पीकर सर, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आदमी दो तीन बार मुख्यमंत्री रह चुकी हो और अब भी मुख्यमंत्री हो तो वह ऐसी बात बिल्कुल नहीं कह सकते। सम्पत सिंह जो बात कर रहे हैं, वह बिल्कुल गलत बात है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह बात रिकार्ड में नहीं आनी चाहिए।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैंने कोई अनपार्लियामैंट्री बात नहीं कही। मैंने लोगों से खुद जाकर सुना, इनके खुद के भाशण का किया हुआ टेप रिकार्डर सुना, उसमें इन्होंने कहा कि गोलियां चल सकती हैं। स्पीकर सर, मैं भी रिकार्ड से बोल रहा हूं, फाइल में से बता रहा हूं, जैसे ये कहते हैं कि वे फाइल के बेस पर बता रहे हैं, ऐसे ही मैं भी फाइल के बेस पर बोल रहा हूं। यह जो घटना हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

Ch. Jagdish Nehra: Sir I am on a point of order. Within one minute he has changed his stand. (Noise & interruptions) Again he is saying, people are saying. (Interruptions). He has changed his stand.

Prof. Sampat Singh: No I have not changed my stand. मैंने टेप रिकार्ड में जो सुना उसमें इन्होंने बाकायदा यह कहा हे कि फायरिंग हो सकती है, गोलियां चल सकती हैं इसलिए मैं फटाफट बोलकर जलसा समाप्त करना चाहता हूं। स्पीकर सर, यह सब रिकार्ड पर है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। ये अपोजीशन के लीडर हैं इनकी कुछ जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। यह बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात इन्होंने की है। मैं तो सोचता था कि इनको इतना तजुर्बा हो गया होगा। (विघ्न) मेरा तो तजुर्बा है, मैं 1952 से लेकर अब तक राजनीति में हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता लेकिन इनकी तो यह आदत हो गई है जैसे बटोड़े से गुड़ की भेली नहीं निकल सकतीं यह तरीका है इनका बात करने का। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं आपकी रूलिंगय चाहता हू। बटोड़ा शब्द अनपार्लियामैंटरी है।

चौ. भजन लाल: बटोड़ा अनपार्लियामैंटरी शब्द नहीं है किसान का शब्द है। जब रोटी बनाते हैं तो ईंधन जलाते हैं तो यह ईधन का काम देता है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इन्होंने जो मेरे बारे कहा कि गोलियों से उड़ा दो, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि किसान जो बाहर नारे लगा रहे हैं उन्हें मेरे पास आकर शान्ति से

बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्वक मुझसे बात भी की और मेरे से कहके आए थे कि कोई एजीटेशन नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा भी था कि मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं, मेहरबानी करके कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे पुलिस और किसानों का टकराव हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह अच्छा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान है कि शायद आप भी उस वक्त वहां थे। हमने कभी भभी नहीं कहा कि किसानों को उड़ा दो, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है।

श्री अध्यक्ष: धीरपाल जी, आप बोलिए।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख को हरियाणा प्रदेश के कुछ किसान मुख्यमंत्री जी की कोठी पर आए और उन्होंने यह मांग रखी कि जो बिजली की दरे बढ़ाई गर्ठ हैं ये जायज नहीं हैं, इनको वापिस लिया जाए। (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री जी गुस्से में आ गये और उन्होंने उनको कोठी से बाहर निकलवा दिया। जो सात तारीख का वाक्या हुआ, उसको तो बचाया जा सकता था। मुख्यमंत्री जी भावुकता में बहकर अपनी बात पर दबाव देते हुए आदेशात्मक लहजे में यह कह गये कि गोली भी चलायी जा सकती है। अधिकारियों ने आदेश देकर दो बेगुनाह किसानों को, इसलिये मार दिया क्योंकि वे यह समझते थे कि हमें आदेश मिला हुआ है। कई जगहों पर मुख्यमंत्री जी यह कहते हैं कि किसान लोगों ने अपने साथियों को पत्थरों से मारा है। वे अपनी बात को बार–बार चेंज करके रिपीट करते हैं। कहीं

पर एक बात पर भी टिके नहीं रहते। कहीं पर कहते हैं कि गोलियां चलेंगी, उसके बाद यह कहते हैं कि किसानों को पत्थरों में मार दिया गया है। (व्यवधान व शोर) .....

Sh. Hari Singh Nalwa: Speaker, Sir, I want to raise a point of order. (interruptions)

Mr. Speaker: Nalwa Ji, I have permitted Sh. Dhirpal Singh to speak. You please take your seat.

Sh. Hari Singh Nalwa: Speaker, Sir, I am just on a point of order.

Mr. Speaker: You will be allowed later on. You please take your seat.

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, हम आपसे रिक्वैस्ट तो कर सकते हैं। आप ही हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम कहां जाकर अपनी बात कहेंगे? (व्यवधान व शोर) मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो यह कहते हैं कि गोलियां भी चलायी जा सकती हैं लेकिन दूसरी तरफ यह कहते हैं कि किसानों को पत्थरों से मारा गया है।

Mr. Speaker: Dhirpal ji, please take your seat. I have already disallowed the adjournment motion and no mor discussion on it now.

श्री धीरपाल सिंह: हम आपसे हम्बल सबमिशन कर रहे हैं कि आप अपनी रूलिंग पर पुनर्विचार करने की कृपा करें। अगर यह बात हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे?

Sh. Hari Singh Nalwa: I just want to know from the Hon'ble Chair that when you have rejected the adjournment motion, cna there be discussion on it now? This is the wastage of time of the House. Under what rule, they are speaking now? They should be asked to take their seats. (व्यवधान व शोर) यहां एक मिनट पर स्टेट की पब्लिक का डेढ़ हजार रूपया खर्च हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: नलवा जी, आप बैठाये। मैंने इनकी एडजर्नमैंट मोशन पहले ही डिसअलाऊ कर दी है।

Sh. Hari Singh Nalwa: Speaker, Sir, there are set rules. There is law. They do not know anything about the rules. They should be asked to take their seats. (interruptions)

Mr. Speaker: Nalwa ji, you also please take your seat. Are you also joining them? If not, why are you interrupting?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आपने हमारी एडजर्नमैंट मोशन को रिजैक्ट किया है इसलिये हम एज ए प्रौटैस्ट वाक–आउट करते हैं।

(इस समय प्रो. सम्पत सिंह तथा समाजवादी जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक–आउट कर गये।)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met at 10.00 A.M. on Tuesday, the 23rd February 1993 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

However, on Tuesday, the 23rd February, 1993, the Assemgly shall meet immediately half an hour after the concluson of the Governors Address and adjourn after the conclusion of Business entered in the list of business for the day.

The Committee also recommends that the House shall adjourn on 5th March, 1993 to meet again on Tuesday the 9th March, 1993, at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. On Friday, the 12th March, 1993, it shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of business for the day.

The Committee, after some discussion also recommends that the Business from 23rd February, 1993 to 5th March, 1993 and from 9th March, 1993 to 12th March, 1993 be transacted by teh Sabha as under:-

The House will meet Imediately half an hour	1.	Laying a copy of the Governor's Address on the

after the Conclusion of the Governor's Address on the 23rd February, 1993.		Table of the House.
	2.	Obituary References.
Wednesday, the 24th February, 1993. (9.30 A.M.)	1.	Question Hour.
	2.	Presentation and adoption of the first Report of the Business Advisory Committee.
	3.	Motion under Rule 30.
	4.	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5.	Discussion on Governor's Address
Thursday, the 25th February, 1993. (9.30 A.M.)	1.	Question Hour.
	2.	Motion under Rule 121.
	3.	Resumption of discussion on Governor's Address.
Friday, the 26th February, 1993 (9.30 A.M.)	1.	Question Hour.
	2.	Presentation of Supplementary Estimates

		for the year 1992-93 and the Report of the Estimates Committee thereon.
	3.	Resumption of discussion on Governor's Address.
Saturday, the 27th February, 1993		Off Day
Sunday, the 28th February, 1993		Holiday
Monday, the 1st March, 1993 (2.00 P.M.)	1.	Question Hour.
	2.	Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.
	3.	Discussion and Voting on Demands for Grants on the Supplementary Estimates for the year 1992-93.
Tuesday, the 2nd March, 1993. (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation of Budget Estimates for the year 1993-94.
Wednesday, the 3rd March,	1.	Questions Hour.

1993. (9.30 A.M.)		
	2.	Papers to be laid on the Table of the House, if any.
	3.	General discussion on Budget Estimates for the year 1993-94.
Thursday, the 4th March, 1993. (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Non-official Business.
Friday, the 5th March, 1993. (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Resumption of General discussion on Budget Estimates for the year 1993-94.
Saturday, the 6th March, 1993.		Off day
Sunday, the 7th March, 1993.		Holiday
Monday, the 8th March, 1993.		Holiday
Tuesday, the 9th March, 1993. (9.30 A.M.)	1	Questions Hour.

	2	Resumption of General discussion on Budget Estimates for the year 1993-94 and reply by the Finance Minister.
Wednesday, the 10th March, 1993. (9.30 A.M.)	1	Questions Hour.
	2	Discussion and Voting on Demands for Grants on the Budget Estimates for the year 1993-94.
Thursday, the 11th March, 1993. (9.30 A.M.)	1	Questions Hour.
	2	Non-Official Business.
Friday, the 12th March, 1993. (9.30 A.M.)	1	Questions Hour.
	2	Motion under Rules 15 regarding non-stop sitting.
	3	Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die.
	4	Presentation of Assembly Committees Reports.
	5	Official Resolutions.

	6	The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 1992-93.
	7	The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1993-94.
	8	Legislative Business. if any.
	9	Any other Business.

11.00 बजे

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees withe the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, I beg to move –

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved –

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री बंसी लाल (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, ये जो बिजनैस एडवाजरी कमेटी की मीटिंग की प्रोपोजल्ज हैं, मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं हैं। स्पीकर साहब, आल इंडिया लैवल पर सभी प्रिजाइडिंग औफिसर्ज और सभी पार्टीज और सभी पार्टीज के लीडर्ज की एक कांफ्रैंस दिल्ली में हुई थी जिसमें आप भी थे, मैं भी था और पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर्ज भी थे। उसमें यह फैसला हुआ था और लोक सभा के अध्यक्ष ने यह कहा ाि कि किसी भी हाउस की एक साल में नब्बे से कम सीटिंग्ज नहीं होनी चाहिए और आपने अपनी स्पीच में यह कहा था कि साठ से कम तो होनी ही नहीं चाहिएं। मैं समझता हूं कि इसमें गवर्नर ऐड्रैस पर बोलने के लिए और बजट पर जनरल डिस्कशन के लिए बहुत ही कम समय रखा गया है। जो टाईम रखा गया है, यह समय बहुत थोड़ा है। इसमें एक–एक दो–दो दिन बढ़ने चाहिएं क्योंकि इतने कम समय में सिकी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा और न कोई अपनी कांस्टीच्यूंएसी के बारे में अपनी बात कह सकेगा। इसलिए इमसें एक–एक दो–देा दिन जनरल डिस्कशन औन बजट और गवर्नर ऐड्रैस पर डिस्कशन के लिए और बढ़ने चाहिएं।

प्रो. सम्पत सिंह (भट्टू कलां): स्पीकर सर, मैं भी बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में हाजिर था। अब बजट सैशन है, गवर्नर ऐड्रैस पर भी साथ ही लोगों ने बोलना है। गवर्नर ऐड्रैस भी सारे साल की एक स्टेटमैंट होती है कि सरकार आने वाले साल के अन्दर क्या कर रही है, क्या सरकार की मन्शा है? इन

सभी बातों पर सभी मैम्बर साहेबान अपने अपने विचार रखना चाहेंगे। स्पीकर सर, यह 90 मैम्बर्ज का हाउस है और इसमें अपोजीशन की भी अच्छी स्ट्रैन्थ है। कुछेक मंत्री भी ऐसे हैं जिनको इन्होंने भारमुक्त करके एम.एल.ए. बना दिया है, वे भी अपने–अपने विचार रखेंगे, वे भी अपने हल्कों से सम्बन्धित बोलना चाहेंगे। सभी को बोलने के लिये पूरा समय दिया जाना चाहिये ताकि सभी खुल कर अपने विचार यहां सदन के सम्मुख रख सखें। जब जनरल डिस्कशन होती है तो पार्टी लीडर्ज भी बोलते हैं। जैसा कि चौ. बंसी लाल जी ने कहा कि कुछेक मैम्बर्ज नये भी होते हैं, उनको भी अने अपने हल्कों से सम्बन्धित सभी समस्याओं पर बोलने का पूरा–पूरा टाईम मिलना चाहिए ताकि वे अपनी दिक्कतों को यहां रख सकें। साथ में दूसरी बातें भी कहनी होती हैं। यही एक मौका होता है हरेक मैम्बर को अपने अपने हल्कों से सम्बन्धित अपने अपने विचार रखने का। लेकिन यहां होता क्या रहा है कि कभी एक दिन का सैशन, कभी दो दिन का सैशन। पिछली बार चार दिन का सैशन था मगर तीन दिन में ही समाप्त कर दिया गया। आज सरकार की हाउस में फुल मैजोरिटी है। उधर फरीदाबाद में कांग्रेस (आई) का सैशन भी होने जा रहा है। इसलिये सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सरकार इस बजट सैशन की सीटिंग्ज को बढ़ा दे। सरकार के लिये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीकर सर, जितनी डिटेल में मैम्बर साहेबान बोलेंगे उतनी ही डिटेल में सरकार भी जवाब देगी और काफी हैल्दी डिस्कशन होगी। इससे सभी को फुल सेटिसफैक्शन भी

होगी और सरकार को भी कोई डिसटरबैन्स नहीं होगी। स्पीकर सर, आप बड़े पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं, आपके देश्रा के अन्दर व देश के बाहर डेलीगेट के तोर पर बड़े–बड़े सैशन अटैन्ड किये हैं, और आप डेमोक्रेसी पर विलीव भी करते हैं। आपका ऐटीच्यूड हमारे प्रति बड़ा ही अच्छा रहा है, अनपैरेलल रहा है। हमारी जो आप सदा वकालत करते हैं, उसके लिये हम आपके कुतज्ञ हैं। इसलिये हमारी आपसे रिक्वैस्अ है कि आप सरकार पर गुड सैन्स प्रिवेल करके और अपने आफिस का गुड यूज करके, सरकार पर दबाव डालें और इस बजट सैशन की सिटिग्ज को 13 से बढ़ाकर कम से कम 23 करवाने का यत्न करें। वैसे तो हम चाहते थे कि इस बजट सैशन की सिंटिग्ज कम से कम 40 होनी चाहिएं। आप ही इस हाउस में हमारे प्रिवलेज और राईटस के कस्टीडियन हैं। बस इतनी ही रिक्वैस्ट करते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, अपना स्थान लेता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, अभी चौ. बंसी लाल जी व अपोजीशन के लीडर प्रोफेसर सम्पत सिंह जी ने अपने–अपने विचार यहां हाउस में रखे और बिजनैंस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को जिक्र प्रो. सम्पत सिंह जी ने किया। स्पीकर सर, पिछले दिनों दिल्ली में प्रिजाइडिंग आफिसर्ज की मीटिंग हुई थी जिसमें लोकसभा के स्पीकर महोदय ने कहा था कि साल के अन्दर कम से कम 90 दिनों की सिटिग्ज अवश्य होनी चाहियें। उन मीटिंग में सर, आप भी मौजूद थे लेकिन आपने 60 दिनों की

सिटिग्ज की परपोजल दी थी। अब आप ही बताइये कि क्या सैशन की केवल 12 सिटिंग्ज ही हो सकती हैं? क्या आप ऐन्श्योर करेंगे कि अगर बजट सैशन की केवल 12 सिटिंगज होंगी तो फिर बाकी की 48 सिटिग्ज कब होगी? हमें इसका ऐतराज कोई नहीं है कि इन्होंने बजट सैशन की केवल 12 दिनौं की सिटिग्ज रखी हैं लेकिन बाकी की 48 सिटिग्ज का फैसला भी करवा लें कि वे कब कब होंगी? अफसोस तो इस बात का है कि इन 12 सिटिंग्ज में कल का दिन सरकार ने नौन आफिशियल रखा था जिसको ये आफिशियल में कंवर्ट करने के लिये अभी एक मोशन ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कोई प्रस्ताव विद–इन टाईम आया ही नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: सर मुझे इस बात का पता नहीं है। यह तो केवल एक चौंकाने वाली बात है कि इतनी थोड़ी सिटिंग्ज में एक दिन नौन आफिशियल का था जिसको अब सरकार आफिशियल डे में बदलने जा रही है। कितने दुख की बात है कि केवल तीन दिन गवर्नर एड्रैस पर और तीन दिन बजट पर डिस्कशन के लिये सरकार ने निर्धारित किये हैं। स्पीकर साहब, लगभग 60 मैम्बर ट्रेजरी बैचिंज पर हैं और 30 के करीब अपोजीशन में हैं। वन थर्ड टू थर्ड की रेशो है, सरकार को किसी भी प्रकर का डर नहीं है। वैसे भी मांगे राम जी की एक प्रोपोजल थी और हम मानते भी हैं कि 10 मन्त्री और हटाए जाने की संभावना है लेकिन मुख्यमंत्री जी के अनुसार तीन मंत्री और लिए

जाएंगे। स्पीकर साहब, इस तरह देखा जाए तो प्रदेश की बुरी स्थिति है, प्रदेश बुरी तरह से पिछड़ा गया है। 10 मन्त्रियों की छुट्टी ये लोग करने वाले हैं। अच्छा हो अगर सरकारउनको पहले ही मौका दे दे ताकि वे खुलकर यहां पर बोल लें, अपने अपने हल्कों की बात कह लें। अब क्योंकि इन लोगों को मंत्री पद दे रखे हैं इसलिये वे बेचारे बोल नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि आप अीाी बता दें कि आप आप की छुट्टी होनी है इसलिये आपने जो बोलना है बोल लें। मांगे राम जी सीनियर मैम्बर हैं और इन द्वारा कही गई बात कोई मायने रखती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इनके ब्यान में कुछ वजन है। तो स्पीकर साहब, मैं गुजारिश कर रहा था कि समय बहुत थोड़ा दिया जा रहा है। पीछे अखबारों में आया था कि सैशन 20 मार्च तक चलेगा। मेरी फिर गुजारिश है कि यह समय बहुत कम है, पूरा समय दिया जाना चाहिए ताकि मैम्बरान अपनी अपनी कांस्टीच्यूएंसी की सारी बातें कह सकें। आज विकास के कार्य बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं और पहले के जो काम चालू हैं, वे भी रूक गए हैं। इसलिये सैशन का टाईम बढ़ाया जाए ओर इस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता और न ही हम इन्कार करते हैं कि सभी माननीय सदस्यों को सैशन में बोलने का पूरा मौका मिलाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस बार कोई लैजिसलेटिव बिजनैस नहीं है। एक रैजील्यूशन है जिसको

पार्लियामैंट के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास कर रखा है, और कोई सरकारी कार्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौ. बंसी लाल थे तो 1968 में दो दिन तो गवर्नर एड्रैस पर बहस हुई थी और दो दिन कमें बजट पास हो गया था। इसी तरह से 1971 में इन्होंने एक दिन में बजट पास किया। यह रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से चौ. देवी लाल जी के वक्त में दो दिन और तीन दिन तक गवर्नर एड्रैस और बजट पर बहस हुई। 1978 मे जब इनका राज था तो उस समय केवल 8 दिन सैशन चला था। (विघ्न) मैं तो चाहता हूं कि जनता का पैसा विकास कार्यो पर लगना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि नौन आफिशियल–डे को आफिशियल–डे में बदला जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपने बताया कि कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। तो जब कोई रैजोल्यूशन ही न हो तो उस दिन को भी यूज करना है। इस सैशन में चार दिन तो गवर्नर साहब के एड्रैस पर बहस चलेगी और चार दिन बजट पर चलेगी। जब से हरियाणा बना है, तब से लेकर यह सबसे ज्यादा टाईम रखा गया है। एक आध टाईम की बात तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मुझे याद है, पहले दो तीन दिन से ज्यादा बहस गवर्नर साहब के एड्रैस पर और बजट पर नहीं हुई। इसलिये लैजिसलेटिव बिजनैस न होने की वजह से यह प्रोग्रोम तय किया गया। कल की बी.ए.सी. की मीटिंग में सम्पत सिंह जी खुद हाजिर थे। हमारी पहले 12 सिटिंग करने की परपोजल थी लेकिन इन्होंने कहा कि एक दिन और बढ़ाओ और हमने इनकी बात मान ली।

वहां पर तो ये सारी बात मान कर आए लेकिन अब यहा पर एतराज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्होंने कह दी कि स्पीकर साहब, हम तो आपके आदेशों की बड़ी भारी पालना करते हैं, आप जो कहते हैं हम उसके मुताबिक चलते हैं। आपने देखा होगा कि ये आज भी आपकी रूलिंग के खिलाफ वाक आउट करके चले गए थे। यह तो स्पीकर साहब की रूलिंग थी, इसमें सरकार की तरफ से कोई बात नहीं थी। आपने स्पीकर साहब की रूलिंग का मान–सम्मान नहीं किया तो आप और क्या कर सकते हैं? (विघ्न) कोई नया मैम्बर हो तो बात दूसरी थी, आप तो पुराने मैम्बर हैं, आपको काफी तजुर्बा हो गया है। फिर आपकी तरफ से ऐसी बात हो, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो कल की मीटिंग में फैसला हो चुका है, उसको लागू किया जाये और इसे मन्जूर किया जाये।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे समय के वर्श 1968 के बारे में बताया है। इस संबंध में मैं बताना चाहात हूं कि उस वक्त हालात कुछ और थे और आज हालात कुछ और हैं। इन्होंने चौ. देवी लाल के समय का और मेरे समय का समय बताया कि कितने कितने दिन सैशन चला। उस सम ये भी मंत्री थे। मैं इनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कम सिटिंग होने की वजह से ही लोकसभा के अध्यक्ष ने सभी स्टेटों की, सभी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी क्योंकि टाईम सैशन का बहुत कम रखा जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते

हुए लोक सभा के अध्यक्ष ने यह मीटिंग बुलाई थी कि ज्यादा से ज्यादा दिन सैशन चलना चाहिए। इन्होंने मेरे और चौ. देवी लाल के समय का तो जिक्र कर दिया लेकिन इन्होंने अपने समय के बारे में नहीं बताया।

चौ. भजन लाल: मैं अपने वक्त के बारे में भी बता देता हूं। 1979 में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो उस वक्त 20 दिन सैंशन चला। 1980 में 17 दिन, 1981 में 16 दिन, 1982 में 16 दिन, 1983 में 15 दिन सैशन चला। इनमें से 4 दिन गवर्नर एड्रैस पर बहस हुई और तीन दिन बजट पर बहस हुई। फिर 4–4 दिन बजट पर बहस हुई और 3 दिन गवर्नर एड्रैस पर बहस हुई। 1984 में 18 दिन सैशन चला। इसमें 3–3 दिन गवर्नर एड्रैस पर बहस हुई और तीन दिन बजट पर बहस हुई। 1985 में 4 दिन गवर्नर एड्रैस पर और 3 दिन बजट पर बहस हुई। फिर 1987 में ये श्रीमान जी (बंसी लाल) मुख्यमंत्री आये तो इनके उस समय में 10 दिन सैशन चला। इसमें 2 दिन गवर्नर एड्रैस पर और दो दिन बजट पर बहस हुई।

श्री बंसी लाल: 1973–74 की भी बता दें कि उस समय कितने कितने दिन सैशन चला।

चौ. भजन लाल: 1973 में 4 दिन गवर्नर ऐड्रैस पर और 3 दिन बजट पर बहस हुई।

श्री बंसी लाल: आप 1973 से लेकर अब तक पूरे साल यानी एक साल की कितनी कितनी सीटिंग हुई, वह भी बता दें।

चौ. भजन लाल: चौ. साहब, आप और मैं ऐसी बात पूछें, वह अच्छी नहीं लगती। कोई दूसरा सदस्य पूछे तो अगल बात है। (विघ्न)

Mr. Speaker: Question is –

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affiars Minister will move the motion under Rule 30.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, I beg to move –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transated on Thursday, the 25th February, 1993.

Mr. Speaker: Motion moved.

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended

and Government business be transated on Thursday, the 25th February, 1993.

Mr. Speaker: Question is –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transated on Thursday, the 25th February, 1993.

The motion was carreid.

सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker: Now, a Minister will relay/lay the papers on the Table of the House.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, I beg to relay on the Table –

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 64/H.A.20/73/S.64/92, dated the 18th Sepatember, 1992 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1992 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 71/H.A.20/73/S.64/92, dated the 1st October, 1992 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1992 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 28/Const./Art. 320/92, dated

the 10th April, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Sixth Amendment Regulations 1992 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 33/Const./Art. 320 (Amd.(9)/92, dated the 10th June, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Sixth Amendment Regulations 1992 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 40/Const./Art. 320/Amd.(7)/92, dated the 30th June, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Sixth Amendment Regulations 1992 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 43/Const./Art. 320 (Amd.(8)/92, dated the 15th July, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Seventh Amendment Regulations 1992 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 44/Const./Art. 320 (Amd.(10)/92, dated the 24th July, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Eighth Amendment Regulations 1992 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 46/Const./Art. 320 (Amd.(11)/92, dated the 12th August, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Eleventh Amendment Regulations 1992 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 66/Const./Art. 320 (Amd.(12)/92, dated the 24th September, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Tewelfth Amendment Regulations 1992 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 95/Const./Art. 320/C (3)/92, dated the 2nd November, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Thirteenth Amendment Regulations 1992 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 76/Const./Art. 320/Amd. (14)/92, dated the 13th November, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) 14th Amendment Regulations 1992 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 81/Const./Art. 320/C (15)/92, dated the 3rd December, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fifteenth

Amendment Regulations 1992 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 82/Const./Art. 320/C (16)/92, dated the 4th December, 1992 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Sixteenth Amendment Regulations 1992 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I also beg to lay on the Table.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 83/Const.-Art. 309/92, dated the 9th December, 1992 regarding the seniority of ad-hoc class-II employees, as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 84/Const./Art. 320/92, dated the 9th December, 1992 as regarding under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 6/Const./Art. 320/Amd. (I)/93, dated the 11th January, 1993 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations 1993 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 9/Const./Art. 320/ Amd. (2)/93, dated the 12th February, 1993 regarding the Haryana

Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations 1993 as required under Articles 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 92/H.A. 20/73/S. 64/92, dated the 23rd December, 1992 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1992 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1992 No. (1) (Commercial) of the Government of Haryana in Pursuance of the Provisions of Clause (2) of Articles 151 of the Constitution India.

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the discussions Governor's Address will take place. Sh. Phool Chand Mullana, may move his motion.

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आप टाईम नोट कर लें ताकि रेशो के हिसाब से सब पार्टीज के मैम्बर्ज बोल सकें।

Mr. Speaker: Time will be given proportionately.

Ch. Phool Chand (Mullana, S.C.): Sir, I beg to move –

"That an Address be presented to the Governor in the following terms:-

"That the Members of the Haryanha Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 23rd Bebruary, 1993."

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा का यह सैशन 23 फरवरी को शुरू हुआ और हरियाणा के राज्यपाल श्री धनिक लाल मण्डल जी इस सदन में आए ओर अपना अभिभाशण पड़ा। उसके लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा कि हम उनका धन्यवाद करें। आदरणीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाशण में जिक्र किया कि भारत देश बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि जब भी केन्द्र में या प्रान्तों में गैर कांग्रेस सरकारें आई तो अस्थिरता का दौर रहा और डिवैल्पमैंट की पुस्तिका बन्द रही। जब भी कोई गैर कांग्रेसी सरकार देश में आई तो उसका चरित्र देश की एकता और देश की अखण्डता को तोड़ने का रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में आज जो सरकार चल रहा है वह बड़े ही स्थायी ढंग से चल रही है। देश का जो आर्थिक ढांचा बिगड़ गया था इसने उसको सुधारा है। आज बाहर के देशों से लोग भारत में आ रहे हैं। वे अपने अर्थशास्त्रियों को भारत में कर आते हैं और भारत के साथ कोई न कोई आर्थिक समझौता करके जाते हैं। मैं भारत सरकार को और अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कि अभी जो हाल में इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री जान मेजर के नेतृत्व में टीम भारत आई थी, उसने यमुना नगर के थर्मल पावर प्रोजैक्ट को

बनाने की जिम्मेदारी ले ली है और पैसा लगाने का निर्णय कर लिया है। इस बात के लिए हमारे प्रान्त के वासी और हमारी सरकार बधाई की पात्र है। बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगेगा। अध्यक्ष महोदय, यह तभी हो पाया, जबकि देश में स्थान सरकार आई, देश दंगीरहित रहा। लेकिन कुछ ताकतें इस स्थायित्व से भयभीत होकर आज भी इस देश को दंगों की ओर धकेल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, हमीर एक विरासत रही है। हमारे यहां बहुत बड़े ऋशि मुनियों ने ईवन भगवान भी जब यहां पर अवतार लेकर आये तो किसी ने भी किसी विशेश धर्म का प्रचार नहीं किया और इसी बात से प्रेरित होकर भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को निर्मित किया। उन्होंने इस देश का क्रैक्टर क्या रखा? उन्होंने इस देश का क्रैक्टर रखा कि यह देश धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। अध्यक्ष महोदय, यदि आप संविधान के प्रिएम्बल को पढ़ें तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि –

"We, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a soveriegn Socilist Secular Demceratic Republic and to secure to all its citizens; Justice, social economic and political; liberty of though expression, belief faith and worship; equality of status and of opporunity; and to promote among them all; fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation."

तो कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही यही रहा है कि प्रिएम्ल के मुताबिक, विधान के मुताबिक उसके धर्मनिरपेक्षता को हमेशा बनाये रखा और इस देश को आगे बढ़ाया तरक्की के

फील्ड में। लेकिन कुछ शक्तियां आज भी तुली हुई हैं कि इस देश की एकता और अखंडता को प्रभावित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस देश का चरित्र एकता का है। बड़े बड़े मुनियों ने और कबीर दास जी ने एक शब्द में कहा था कि ''ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत एक, नाम हदय मन में दया और तन सेवा में लीन'' कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। इकबाल साहब ने भी यही कहा था – ''मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी है हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा''। हमारा हिन्दु स्तान क्या था? पहले जो सिंध नदी के पास से हम ऐरियनज आए थे, उनके कारण ही इस देश का नाम हिदुस्तान पड़ा था और उस हिन्दुस्तान में सब जातियों के लोग आकर बस गए थे। हिन्दुस्तान की तरक्की करना, सभी मजहबों की तरक्की करना इस देश के वासियों का परम ध्येय रहा है। इस बारे में जैसा कि चर्चा भी की गयी है, तो आइये हम इस बात से ऊपर उठें और सब लोग इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखें। मैं यह बात कहे बिना नहीं रह सकता अध्यक्ष महोदय, पहली नवम्बर, 1966 को जब हरियाणा प्रदेश वजूद में आया था और यह पंजाब से अलग होकर बना था तो उस समय हमारी दशा बहुत खराब थी। न सड़कें थी, न बिजली थी, न बसें थीं और यहां तक कि हमारे पास दफतर तक भी नहीं थे लेकिन बाद में चहुंमुखी विकास हुआ, यह कैसे हुआ? यह इसलिये हुआ जबकि प्रान्त में स्थाई सरकार रही और स्थाई सरकार तभी रही जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और जब जब गैर कांग्रेसी पार्टियां सत्ता में रहीं, तब तब जाति पाति

का भेदभाव हुआ, तरक्की की बात नहीं हुई बल्कि लड़ाई झगड़ों की बातें हुई। गलत तरह की बातों को उभारा गया और जैसे कि चर्चा भी हो रही थी कि कोई भी बिजली का प्लांट कोई भी तरक्की का काम किसी प्रकार का भी काम कहीं पर भी नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय, ने कानून और व्यवस्था पर भी चर्चा की हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के लिये कानून और व्यवस्था की स्थिति का सही होना परमावश्यक था क्योंकि हमारी सीमाएं पंजाब से लगती हुई थीं और जिस दौर से पिछले अरसे से पंजाब गुजर रहा था, वह किसी से भी छिपाी हुई बात नहीं है। मैं बधाई देना चाहूंगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस अधिकारियों की पंजाब की सरकार को कि पिछले अर्से में जिस सख्ती से जिस मजबूती से वे इस समस्या से निपटे हैं, वाकई वे बधाई के पात्र हैं। पंजाब का असर हरियाणा में भी पड़ता रहा है फिर भी उस पर काबू पा लिया गया। हरियाणा भी धार्मिक दंगों से अछूता नहीं रहा। मेवात में कुछ ताकतों में कुछ ताकतों ने दंगे भड़काने की कोशिश की किन्तु हरियाणा की जनता ने संजीदगी का परिचय दिया।

अध्यक्ष महोदय, हमने विकास की गति की चर्चा की है। समाज के सभी वर्गों के लिये उत्थान अवसर जुटाने हेतु बहुत भरसक प्रयत्न किए गए हैं। यह सही बात है कि हरियाणा में सभी तरह के लोग रहते हैं। किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। हमारे धर्म और इंसानियत का भी यही तकाजा है कि हर वह व्यक्ति जो

सदियों से दबता रहा है उसको ऊपर उठाना चाहिये। हमारे विधान ने भी यही चाहा है और संकल्प किया है। अध्यक्ष महोदय मैं यह चर्चा करूंग कि जब हरियाणा वजूद में आया था उस समय हमारी क्या स्थिति थी। बिजली कहीं कहीं मिलती थी लेकिन आज हरियाणा के प्रान्त के हर गांव मैं, खेतों में घरों में बिजली है, सड़कें हैं। हरिजन बस्तियां तक बिजली से जुड़ी हुई हैं और खेतों में आज बिजली की स्थिति, यदि आप आंकड़ों में पढ़े तो पहले से बेहतर है। किसानों का नाम लेने वाले कुछ भाई हैं लेकिन किसानों की बेहतरी के लिये उस अर्से में जब उनका राज था, उन्होंने क्या कार्यक्रम दिए, यह बात नोट करने वाली है। अध्यक्ष महोदय, आज किसानों के खेतों में भी बिजली है, घरों में भी बिजली है किन्तु इन्होंने किसानों को उकसाया कि बिजली के रेट बढ़ गए, खद के रेट बढ़ गए। अध्यक्ष महोदय, परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि एक विशेश खाद जो विदेश से आता है। जिसका डी.ए.पी. बोलते हें, अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर उसके रेट बढ़ गए। उस समय चाहे कोई सरकार होती रेट जरूर बढ़ते लेकिन सरकार ने फिर भी उसमें सबसिडी देकर किसानों को खाद के रेट के कम मूल्य की घोशणा की। उसके साथ साथ जो कीमतें किसानों को दी गई चाहे वे गन्ने की हैं, चाहे वह जीरी की हैं, चाहे गेहूं की स्पोर्ट प्राइस की है, हम हिसाब लगाएं तो पता लगेगा कि किसान की बेहतरी के लिये ऐसे कदम पहले कभी नहीं उठाए गए। पिछली सरकार के समय में कीटनाशक दवाइयों में सबसिडी खत्म कर दी गई थी। अजा उसमें सबसिडी है। जो बीज की समस्या थी, पिछले

दिनों काफी खराब बीज आए थे, अब हमारी यही कोशिश रही है कि किसानों को अच्छे बीज मिलें ताकि अच्छी पैदावार करने में उनको सहायता मिले। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाशण में कहा कि हमारे राज्य में जो विद्यार्थी विकलांग हैं, उनको छात्रवृति मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रान्त में 7 लाख 59 हजार जो वरिश्ठ नागरिक हैं, उनको ओल्ड एज पैंशन मिलती है ओर 1 लाख 73 हजार निराश्रित महिलाऔं और विधवाओं की पैंशन मिलती है। 11900 विद्यार्थी अपंग हैं, उनको छात्र? वृत्तियां मिलेंगी हरिजनों की भी इस में काफी चर्चा है। गवर्नर महोदय ने चौपालों के लिए सबसिडी देने की, ग्रान्ट देने की भी बात की है लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि समाज में हर व्यक्ति केवल रोटी रोजी का भूखा नहीं है। क्योंकि अगर रोटी का हीमसला होता तो अमरीका जैसे देश रोटी का मसला तो बहुत रोज पहले से हल कर चुके हैं। उसको आत्म सम्मान भी चाहिये ताकि वह समाज के अन्दर अपनी गर्दन ऊंची करके चल सके। वह आत्म सम्मान भी हमको चाहिये इसलिये सरकार इस बारे में प्रयासरत है कि समाज के दबे हुए अंगों को दूसरे वर्गो के साथ बराबरी पर लाया जाये और उनके अन्दर कोई भेदभाव न हो। आज जो रिजर्वेशन है, उसकी सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। जो बैकलाग है, उसको जल्दी से पूरा किया जाये। सरकार ने इस बारे में बहुत कुछ किया है परन्तु काफी कुछ करना अभी बाकी है। उसको पूरा करने की परम आवश्यकता ळैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट आयी है, उसको सहारा लेकर, जो मंडल

आयोग की रिपोट्र से सम्बन्धित पोर्शन है, उसकी रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं की गयी है कि उसको कैसे लागू करना है। किस प्रकार से रूप रेखा बनाकर हमें फायदा देना है, यह करना अभी बाकी है। उसको अवायड करने के लिये कि रिजर्वेशन का फायदा न मिल सके, उस किताब को उठा लिया जाता है कि मंडल आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। लेकिन उस फैसले को हमारे हक में लागू करने के बारे में अभी कदम उठाये जाने शेश हैं। इनको जल्दी से जल्दी लागू करने की परम आवश्यकता है ताकि जो दबे हुए समाज के अंग हैं, उनको ऊपर उठाया जा सके। यह हमारी पार्टी को और हमारी सरकार को फैसला करना है। हमारे यहां कई जगहों पर अध्यक्ष महोदय, हुड्डा ने अर्बन एस्टेटस बनायी हैं और कालोनीज बनायी हैं। कई प्राइवेट स्कूल वाले कहीं कहीं कई कई एकड़ जमीन ले जाते हैं और उकसे डिवैल्प करते हैं। मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमारे जो हरिजन भाई या पिछड़े हुए वर्ग के भाई रविदास भवन, बाल्मिकि भवनज या इस तरह का किसी दूसरे पीर पैगम्बर और गुरूओं के नाम से विद्या भवन बनाना चाहते हैं, उनको इन कालोनीज के अन्दर रिजर्व प्राईम पर प्लाट दिये जाने चाहियें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। जहां तक कृशि की पैदावार का सम्बन्ध है, हमारे यहां पैदावार बढ़ी है। गन्ने का मूल्य जैसे मैंने कहा, 50 रूपये प्रति क्विटल हरियाणा सरकार ने देश में सबसे ज्यादा दिया है। सिंचाई के क्षेत्र में खालों को पक्का करने, नहरों को पक्का करने और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिये वित्तीय

सहायता बाहर के बैंकों ने मंजूर की है। यह एक बहुत अच्छा कदम है। आज सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। अगर सिंचाई खेत में नहीं ळे तो खेतीबाड़ी बिगड़ती है। अध्यक्ष महोदय कई स्थानों पर नहरों की आवश्यकता है। कहीं पर, जैसे आपके और मेरे क्षेत्र में दादुपुर नलवी नहर की बहुत आवश्यकता है। मारकंडा बैराज की परम आवश्यकता है। यमुना की जो अम्बाला नहर परियोजना है, उसकी भी परम आवश्यकता है। गवर्नर महोदय ने चर्चा की कि हमारी सरकार एस.वाई.एल. कैनाल को बनाने के लिये पूर्णतया प्रयासरत है। पिछले कुछ दिनों से इस पर काम रूका हुआ था। हमारी सरकार इसके प्रति पूर्णतया जागरूक है और हमारी योजना है कि इसमें जल्दी से जल्दी पानी आये और हमारा किसान खुश हाल हो। टयूबवैल्ज का जहां तक ताल्लुक है, एम.आई.टी.सी. ने कुछ टयूबवैल्ज लगाये हैं, उन टयूबवैल्ज का वाटर लैवल कुछ नीये चला गया है। जो एग्जिस्टिंग मोटर्ज हैं वे पानी नहीं फैंकती। वहां पर बड़ी मोटर्ज लगाकर उनको लोअर करके टयूबवैल्ज को चालू किया जाये ताकि उन क्षेत्रों में जहां पर नहरों का पानी नहीं है, पानी दिया जाय। जैसे मेरा और आपका इलाका ऐसा ही है। वहां पर किसानों को यह सुविधा देने की परम आवश्यकता है। एक बात राज्यपाल महोदय ने और की है। उन्होंने पश्चिमी यमुना नहर की विस्तार से चर्चा की हैं। पंजाब के साथियों ने भी इस बारे में यह कहा है कि यमुना के पानी में हमारा भी हिस्सा है। लेकिन मैं इस सदन में आपके माध्यम से यह बात साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि जब सतलुज ब्यास वाटर

डिस्पयूट के बारे में चर्चा होती थी तब यमुना की तो चर्चा ही नहीं थी। यमुना का तो एक्सक्यूसिवली यू.पी. और हरियाणा से सम्बन्ध है। पंजाब से इसका कोई संबंध ही नहीं है। हरियाणा का उस पर पूरा क्लेम है। यमुना वाअर पर तो पंजाब वालों ने क्लेम इसलिये खड़ा कर दिया है ताकि एस.वाई.एल. को पूरा करने में रूकावट डाली जा सके। एस.वाई.एल. को यमुना से जोड़ना चाहते हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. कैनाल को जल्दी से पूरा किया जाये और यमुना के वाटर में अपनी टांग न फंसाए। बिजली की सप्लाई के बारे में जैसा मैंने बताया कि तरक्की के काम तभी हुए जब कि स्थायी सरकार आई। जब स्थायी सरकार आई उस समय बिजली के प्लांट लगे। स्पीकर साहब, मुझे आशा हे कि यमुनानगर के थर्मल प्लांट का काम शीघ्र ही शुरू होगा और फरीदाबाद में जो गैस आधारित विद्युत संयंत्र बनने जा रहा है उस पर भी काम जल्दी ही शुरू होगा ताकि हरियाणा के किसान, कारखानेदार और आम आदमी को बिजली की कोई दिक्कत न रहे। यह सरकार बिजली की समस्या जल्दी ही दूर कर देगी यह बात इस ऐड्रैस में दर्शाया गर्ठ है। स्पीकर साहब, आज देखने में यह आया है कि कई स्थानों पर बिजली को वोल्टेज की स्टेबिलाईजेशन नहीं है। यह ठीक बात है कि बहुत सारी जगहों पर बिजली को स्टेबिलाईजेशन के लिये सब–स्टेशन बने हुए हैं लेकिन कई स्थानों पर नहीं है। जैसे मुलाना में 66 के.वी. ओर केसरी धीन में सब–स्टेशन की जरूरत है। बिजली बोर्ड को चाहिये कि वोलटेज को स्ट्रेंन करने की दिशा में अधिक से अधिक

काम करे। शाहबाद में 220 के.वी. का एक नया उपकेन्द्र असन्ध और चंदोली में 132 के.वी. के दा नए उपकेन्द्र तथा चंदहरट और शहजादपुर में 66 के.वी. के दो नए उपकेन्द्र और 33 के.वी. के पांच नए उपकेन्दों को भी चालू किया जा चुका है। बीड़ जिला हिसार में भी 132 के.वी. के एक और उपकेन्द्र का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इससे प्रदेश की बहुत उन्नति होने की आशा है। स्पीकर साहब, करनाल में रिफाईनरी की चर्चा चल रही है और मुझे आशा है कि उस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। मुझे पता लगा है कि वह प्रोजैक्ट मन्जूर हो चुका है और इसके चालू हो जाने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। स्पीकर साहब, हरियाणा का चहुंमुखी विकास हो रहा है। इस ऐड्रैस में डेरी डिवलेपमैंट के बारे मैं जिक्र किया गया है, पशुओं का जिक्र किया गया है और हरिजन चौपालों का जिक्र किया गया है। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिये इस तरह से काम होने बहुत आवश्यक हैं। स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने फैसला किया था कि हरिजन बस्तियों में बिजली दी जाएगी और उस फैसले के अनुसार बिजली दी गई। मैं अपनी सरकार से यह आशा करता हूं कि वह सभी जगहों पर हरिजन चौपालें बनाए और जहां नहीं हैं वहां हर हरिजन बस्ती में हरिजन चौपाल बनाए। इसमें बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं हैं हरिजनों और पिछड़ वर्गो का किसान तथा दूसरे वर्गो के लोग काफी ख्याल रखते हैं। मैं अपनी सरकार से चाहूंगा कि जिन हरिजन चौपालों की मुरम्मत होनी बाकी है उनकी मुरम्मत सरकार कराए

क्योंकि हरिजन तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के पास साधन नहीं है स्पीकर साहब, हमारे प्रान्त में चुनाव हुए और उस समय गवर्नर साहब ने बहुत ही निश्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। उसके बाद पंचायतों के चुनाव हुए वे भी बहुत ही निश्पक्षता से हुए। हमारे प्रान्त में 1985 में पंचायत समितियों के चुनाव कराए गए थे। अब सरकार ने 31 मार्च, 1993 तक पंचायत समितियों के पांचवें आम चुनाव का काम पूरा करने का निर्णय किया है। 108 पंचायत समितियों में से 87 पंचायत समितियों के चुनाव अब तक पूरे हो चुके हैं। स्पीकर साहब, ये सभी चुनाव स्वतन्त्र और निश्पक्ष हुए हैं। सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हो रहा है। हमारे प्रान्त में उद्योगीकरण फैल रहा है। जब हरियाणा बना था उस समय प्रान्त मैं सैंकड़ों की तादाद में उद्योग थे लेकिन आज लाखों की तादाद में उद्योग हमारे प्रान्त में लग गए हैं। नई औद्योगिक नीति में कृशि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और इलैक्ट्रानिक उद्योग पर विशेश बल दिया गया है। विदेशी पूंजी का निवेश हरियाणा में बढ़ रहा है। उद्योग को कुशल कारीगर उपलब्ध करवाने और शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर जुटाने के उदेश्य से सरकार ने राज्य में बहुत सारी संस्थाएं बनाई हैं ताकि वह प्रान्त आगे बढ़े। स्पीकर साहब, सरकार ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने फैसला किया है कि एक परिवार में एक नौकरी जरूरी दी जाएगी। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके लिये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एम्पलाएमैंट ऐक्सचैंजिज में नामों का सर्वे हो

रहा है। मुझे आशा है कि एक परिवार में एक नौकरी देने से बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। मैं सरकार से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी की जाएं कि वह इस स्कीम को कठोरता से लागू करे। स्पीकर साहब, यहां पर पैंशन की बात आई थी, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में भी सर्वे होना चाहिये। एक परिवार एक नौकरी की स्कीम के बारे में भी सर्वे होना चाहिये तभी हम रोजगार देने में सफल होंगे। इस तरह गरीबी को दूर करने में सरकार सफल होगी और हर परिवार रोटी खा सकेगा। यह सरकार का बहुत सराहनीय कदम है।

इससे आगे स्पीकर साहब, सरकार ने बेरोजगार युवकों को बसों के रूट परमिट देने का जो फैसला लिया है, यह एक बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि कई रूटों पर सरकारी बसें ज्यादा सवारी नहीं उठा सकतीं। इसके लिये सरकार नियम बनाने जा रही है। लेकिन मेरी मुख्यमंत्री महोदय से यह गुजारिश है कि इस काम के लिये कम से कम समय निर्धारित कर दिया जाए ताकि इस समय में यह सारा काम तय हो जाए। इस समय के अन्दर ऐप्लीकेशंज काल कर ली जाएगी, इससे बेरोजगार युवकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसा करने से सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन भी जरा ऐक्शन में आ जाएगा। तभी छोटे रूटों पर बसें चलनी शुरू हो जाएगी। इससे ज्यादा अच्छी बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह की है कि इसमें 20 परसैन्ट का परमिट कोटा

हरिजनों के लिये और 10 परसैन्ट बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिये रिजर्व कर दिया है। ऐसा करने से गरीब परिवारों के बच्चों को, काफी लाभ हो सकेगा। यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है।

इसी तरह से हैल्थ सैन्टर्ज की बात भी गवर्नर एड्रैस में बड़ी अच्छी कही गयी है। प्रान्त में 30 हजार की आबादी के पीछे एक हैल्थ सैन्टर होगा। एक हैल्थ सैन्टर के तहत कई कई सब सैन्टर्ज भी इस समय कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने की व्यवस्था है, जिनमें विशेश सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन मैं यहां सरकार से यह कहूंगा कि गुप्ता जी खासतौर पर मेरी बात की ओर ध्यान देवें कि कुछेक सब सैन्टर्ज की बिल्डिंग ऐसी हैं जो सरकार की वित्तीय स्थिति के कारण खस्ता हालत में हैं। बड़ी दिक्कतें वहां पर हो रही हैं। कई जगहों पर डाक्टर्ज का, और दवाईयों जैसी सुविधाअें का भी सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़ें। इसी तरह से स्पीकर साहब, आयुर्वेदिक व यूनानी सिस्टम जो है हमारे प्रान्त में, उसको भी बहुत तरक्की से देखा जा रहा है। इस ओर भी सरकार को पूरी रूचि लेनी चाहिए। लेकिन एक बात में यह कहना चाहता हूं कि ऐसी डिसपैंसरियों, जिन को पंचायतें चलाती हैं, उनकी हालत थोड़ी बहुत खस्ता है क्योंकि कई पंचायतों की अपनी वित्तीय

स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे उस बिल्डिग की मुरम्मत करवा सकें। इसलिये मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि जो बिल्डिग सरकार को डिसपैंसरियों के लिए पंचायतों ने दे रखी हैं, उनकी देखभाल व मुरम्मत का काम सरकार अपने हाथ में ले ताकि डिस्पेसरियां बन्द न हों और लोगों को भी उन का फायदा होता रहे। अब विभाग क्या करता है? अगर किन्हीं डिस्पैंसरियों की हालत खराब होती है तो विभाग उनको बन्द कर देता है। इसलिये सरकार इस और ध्यान दे।

इसी तरह से लड़कियों की शिक्षा की बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा। सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई की ओर विशेश ध्यान दिया है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर एक परिवार का लड़का पढ़ता है तो एक परिवार पढ़ता है और अगर एक लड़की पढ़ती है तो उसके पढ़ने से मां बाप का परिवार और ससुराल दोनों परिवार शिक्षित होते हैं। इसके साथ–साथ सरकार ने लड़कियों के लिये बी.ए. तक की शिक्षा मुफ्त कर दी है। यह कितनी सराहनीय बात इस सरकार ने की है। इसके साथ–साथ टैकनीकल ऐजुकेशन में भी उनकी शिक्षा सरकार ने मुफ्त कर दी है। स्कूलों के दर्जे भी सरकार ने बढ़ा दिये हैं ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा करने के लिये दूर–दूर न जाना पड़े और नजदीक ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें।

12.00 बजे

स्पीकर साहब, अब मैं सड़कों के बारे मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि जब गैर कांग्रेसी सरकारें आई, तब तब सड़कों की तरक्की बिल्कुल ठप्प हो गई। जो पहले हमीर सरकारों ने काम चालू करवाया था, वह भी ठप्प हो गया। फोर लेनिंग का काम 1986–87 में हमारी सरकार ने ही शुरू करवाया था जिसकी 1992 तक समाप्त हो जाने की सम्भावना थी। हमारी यह टारगैट था कि हम 1992 तक इस काम को खत्म कर दैंगे। बीच में इनकी सरकार आई गई। उस वक्त इसके निर्माण का एस्टीमेट था केवल 40 करोड़ रूपया लेकिन आज एक सौ कुछ करोड़ का इसका एस्टीमेट है लेकन फिर भी इनसे बन न पाई। इन्होंने न कोई डिसीजन लिया और न इनके किसी काम में स्थिरता ही रही। सारा काम ठप्प सा हो गया। आज यह फोर लेनिंग अम्बाला करनाल तक बनकर तैयार होनी चाहिये थी लेकिन अब हमारी सरकार आने पर इस फोर लेनिंग का काम फिर से शुरू हो गया है। इसके अलावा दूसरी सड़कों की मुरम्मत हुई है और बहुत सारी नई सड़कें बनाने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस के राज में कितने बड़े बड़े स्टेट हाई वेज बने, आज उनकी स्ट्रैंथनिंग की जरूरत है। ज्यों ही हमारे पास साधन उपलब्ध हों उनकी तरफ विशेश ध्यान दिया जाए। वैंसे इसके लिए प्रावधान किया गया है और इसकी मुझे खुशी भी है। इसके अलावा जो सड़कें मुरम्मत करनी रह गई हैं, साधन आते ही उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। इसी प्रकार से जो मिसिंग लिंकस हैं उनकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो सबसे सराहनीय काम हुआ है वह गांव गांव

में पीने का पानी पहुंचाने का हुआ है। पहले हमारी माताएं बहियें पता नहीं कितनी कितनी दूर से पानी लाया करती थीं। उस समय नहाने को तो क्या पीने को भी पानी नहीं मिलता था। आज आप देख रहे की गांव में टूटियां चल रही हैं। हमारे यहां प्रति व्यक्ति पानी की जो कमी है उसका 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बढ़ाने का काम भी यह सरकार कर रही है। इसके लिए कुछ गांव तो सिलैक्ट कर लिए हैं और कुछ किए जा रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यह सरकार पानी मुहैया करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, पहले नगरपालिकाओं की दशा बहुत खराब होती थी। इस सरकार ने उनके चुनाव करवाए हैं और उनको ग्रांटस भी दीं हैं। आज सरकार ने नगरपालिकाओं की सड़कों की भी मुरम्मत करवाई है। मेरे भाई राम बिलास जी आज बैठे नहीं हैं। वे चर्चा किया करते थे कि वे बी.जे.पी. के शहरी नुमायंदे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आज की सरकार ने नगरपालिकाओं की सड़कों की तरफ भी ध्यान दिया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की परिवहन आज देश में एक अग्रणी परिवहन है जो उन्नति की तरफ बढ़ रही है। हमारे वहां 68 बस अड्डे हैं तथा 11 और निर्माणाधीन है। इनके अलावा कुछ और बस अड्डे भी बनाने की आवश्यकता है। जैसे मुलाना, सढ़ौरा। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों के लोगों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए हुड्डा ने विभिन्न शहरों में 15 नए रिहायशी सैक्टर बनाए हैं। इसके अलावा हमारे आवास बोर्ड ने हजारों लोगों को मकान बना कर दिए हैं। इसी तरह से और बहुत

विकास कार्य हुए हैं। मैंने इस सरकार की पिछले डेढ़ साल की उपलब्धियां गिनवाई हैं लेकिन गत वश्र से शत प्रतिशत काम हुए हैं जिनमें सड़कों की मुरम्मत तथा नई सड़कों का निर्माण और डिजनी लैंड जसी परियोजना को कैंसिल करना, 60 वर्श से अधिक की आयु वाले लोगों को पैंशन देना। इसके अलावा 33 हजार विधवाओं और 34 हजार विकलागों को पैन्शन देने पर लगभग 115 करोड़ रूपया सालाना खर्च आता है। इसके अलावा हमारी सरकार ने महिलाओं की बी.ए. तक की शिक्षा भी फ्री कर दी है। इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लिए एक 25 सूत्री कार्यक्रम भी बनाया गया है जोकि पूरे जोर से चला रहा है। इसके अलावा तीर हजार टयूबवैल्ज को कनैक्शन देना कोई छोटी बात नहीं है। हमारी सरकार ने बिजली की सप्लाई भी बढ़ाई है। बिजली के नए संयंत्र यमुना नगर और हिसार में बनने जा रहे हैं और फरीदाबाद का तैयार है। इसके अलावा हमारी सरकार ने सिंचाई के लिए पानी की सुविधा देना जिसमें खालों को पक्का करना और जलमार्गों को पक्का करना शामिल है। यानी नहरों की सफाई भी होगी तथा उनको पक्का भी किया जाएगा। हमारे प्रदेश के अन्दर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा इस सरकार ने कृशि के क्षेत्र में भी किसानों को बहुत लाभ दिए हैं। इस सरकार ने किसान को गन्ने का भाव 50 रूपए क्विंटल दिया है। इसी तरह से पैडी का एकदम 40 रूपए क्विंटल के हिसाब से रेट बढ़ाया है। तो इन बातों से यह साबित होता है कि नारे देने वाले और थे, काम करने वाले और हैं। अध्यक्ष महोदय,

सरपंचों और पंचों की जो पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए थी वह इस सरकार ने कारवाई है। हमारी सरकार ने सारे देश की अपेक्षा हैल्थ के मामले में बहुत अच्छाक काम किया है। गांवों में स्वच्छ शौचालय बनाए हैं उत्थान के जितने कार्यक्रम हैं उन सभी को प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। सरकार ने जो पिछली सरकार के समय नाजायज कब्जे कुछ भाईयों ने कर लिए थे, उनको हटवाया है। (विघ्न) हां, बराड़ा में भी नाजायज कब्जे हुए हैं। वहां पर कुछ सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए। हम इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय से मिले। मुख्यमंत्री महोदय ने कमीश्नर को भेजा जिसकी वजह से लोगों को कुछ राहत मिली। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं गवर्नर महोदय ने जो अन्त में कहा है, उसकी चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त के साथ 'हरि' शब्द जुड़ा हुआ है। यहां पर 'हरि' आये थे। इसलिए सभी साथियों से गुजरिश है कि हम सब मिलकर हरियाणा को फिर आगे ले जाएं ताकि 'हरि' फिर से यहां पर आ सकें। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अन्त में कहा है कि मुझे आशा है कि हम अभिभाशण में व्यक्त मुद्दे इस गरिमामय सदन में परिचर्चा का ठोस आधार बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में आप अपना पूर्ण योगदान करेंगे और राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं हाउस के सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मिति से पारित किया जाए

ताकि उनको हम धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मिति का भेज सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब श्री राजिद्र सिंह बिसला इस मोशन को सैकंड करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव जो चौधरी फूल चन्द मुलाना ने रख है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट अधिवेशन के शुरूआत में राज्यपाल महोदय ने हमारी हरियाणा प्रदेश की जो लोकप्रिय सरकार है, उसकी पिछले साल की क्या उपलब्धियां रहीं और अगले साल की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया है। इसके साथ साथ राज्यपाल महोदय ने बताया है कि पहली बार देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, उसका भी जिक्र किया है। कुछ साम्प्रदायिक और पृथकतावादी शक्तियों ऐसी हैं जो इकट्ठी होकर इस देश की आजादी को, इस देश की अखण्डता को और धर्मनिर्पेक्षता को तोड़ना चाहती हैं। ऐसी ताकतों ने देश के सामने एक बड़ी भारी चुनौती के रूप में समस्या खड़ी की है। सारे देश के लोगौं द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नर सिम्हा राव जी का जितना भी धन्यवाद किया जाये, कम है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने जिस गंभीरता से, जिस प्रभाव पूर्ण उत्तर–दायित्व से धीरे धीरे करके समस्याओं पर काबू पाया है, उसके लिए केन्द्र सरकार का जितना भी धन्यवाद किया जाये, वह कम है। अध्यक्ष

महोदय, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया है, उसका परिणाम सारे देश में देखने को मिला है। इन परिणामों से हमारा शांतिप्रिय हरियाणा भी अछूता नहीं रहा। हमारे मेवात के क्षेत्र में, विशेशकर हमारे फरीदाबाद जिले, में जो हथीन का क्षेत्र हैं, जहां से भाई अजमत खां जी विधायक हैं, वहां पर काफी हद तक मुसलमान भाइयों की पापुलेशन है। मैं आदरणीय भजन लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे जिला प्रशासन फरीदाबाद ने यानी वहां के डी.सी. साहब ने और एस.पी. साहब ने तुरन्त प्रभावशाली कदम उठा कर हालात पर काबू पाया है। वहां पर बी. जे.पी. के भाई और कुछ राजनैतिक दल जो लाशों पर अपनी राजनीति करना चाहते थे, ने साम्प्रदायिकता का जहर फैलाया, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रसाशन में शांति कायम रखी। स्पीकर साहब, यह दुर्भाग्य है कि गुड़गांव जिले में नूंह वगैरा में कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई। इसमें कोई दो राय नहीं कि धीरे–धीरे जो तथ्य हैं, वे हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने आए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पते की बात है कि हमारे फरीदाबाद और गुड़गांव में, सदियों से हिन्दुओं और मुसलमानों में बढ़िया भाईचारा रहा है और दुख–तकलीफ में एक दूरसरे से जुड़ने की जो मिसाल यहां कायम हुई है वह सारे देश में कहीं नहीं मिलती। यहां के लोगों ने जात बिरादरी से ऊपर उठकर काबिल व्यक्ति को वोट दिया। आदरणीय चौ. भजन लाल जी ने जब वहां से एम.पी. का चुनाव लड़ा था तो बहुत भारी बहुमत से लोगों ने उन्हें जिताया और आज उनके नेतृत्व में हरियाणा

सरकार पर लोगों को दृढ़ विश्वास है। मेवात मैं धीरे–धीरे शान्ति लौट रही है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सारे हाऊस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में नाहर सिंह राजा हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा भारी संघर्श किया था। स्पीकर साहब, आप स्वयं इतिहास के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके नेतृत्व में जब दिल्ली में लोगों को फांसी दी गई थी तो हमारे मेवात के एरिया से करीम खां और दूसरे मुसलमानों को भी फांसी दी गई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लोगों में राश्ट्रभक्ति की भावना भरी हुई है और लोग उस भावना से प्रेरित हुए हैं। हमें अफसोस है कि लोग कांग्रेस पार्टी से हटकर दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी साम्प्रदायिकता की सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की है। मैं और चौ. अजमत खान कई हिन्दुओं और मुसलमानों के गांवों में गए, वहां पर लोगों ने बताया कि कुछ ऐसे लोग आएं जिन्होंने हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिन्दुओं के खिलाफ भड़काया। वहां के लोग उसके बहकावे में नहीं आए। लोगों ने हमें बताया कि वे ऐसे लोगों को गांवों में घुसने नहीं देंगे जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और साम्प्रदायिकता के नाम पर उनको लड़ा रहे हैं। प्रशासन ने भी इसमें अपना पूरा योगदान दिया है। अधिकारियों ने प्रदेश के इस क्षेत्र के अन्दर बहुत ही अच्छा काम किया है और अब वहां पर शांति लौट रही है। एक बार फिर हरियाणा के इस क्षेत्र में हिन्दुओं और मुस्लमानों में भाई चारा पूरी परह से कामयाब होगा।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने अपने अभिभाशण में सरकार की भविश्य की कार्यप्रणाली और योजनाओं का जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया है, मैं उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा और जो बहुत जरूरी बातें हैं, केवल उन पर ही चर्चा करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हें कि हमारे प्रदेश में हरिजन और बैकवर्ड कलासिज के काफी लोग हैं। हरियाणा प्रदेश के कुछ लोग यह सोचते हें कि उनको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत ही नहीं है। हमारे हरिजन और पिछड़े वर्ग के भाई आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इनके पास रहने के लिए उचित मकान नहीं हैं। वे 50–50 जगह की छोटी–छोटी झोपड़ियों में सपरिवार रहते हैं। उन लोगों के लिये चौपालें बनाने का एक कार्यक्रम हैं। चौपालें बनाने के कार्यक्रम को हमारी सरकार से पिछली सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी, शायद वे यह सोचते थे कि ये लोग हमारे समाज के अंग नहीं हैं। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने पिछड़े लोगों के लिए चौपालों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी है। जो चौपालें टूट गर्ठ थीं, उनकी मुरम्मत का कार्यक्रम भी युद्धस्तर पर चल रहा है। इस बजट में इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पूरा पैसा मिलेगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां उन सभी लोगों के लिए चौपालों के रूप में या जो दूसरे आर्थिक कार्यक्रम हैं, उनमें कोई परिवर्तन किया जाएगा। उन लोगों को उन कार्यक्रमों का पूरा लाभ पहुंचेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो हमारी सरकार ने शुरू किया है। आज से 30 साल पहले जिन गांवों की आबादी 4 हजार थी, आज 10 हजार हो गई है। गांवों में पहले मां, बहन और बेटी को दो–दो किलोमीटर दूर शौचालय के लिए खुले में जाना पड़ता था। इस असुविधा के कारण हमारी मां, बहन और बेटियां अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होती थीं। हमारी सरकार ने सारे देश में सबसे पहले गांवों में शौचालय बनाने की पहल की है। इसके लिए हरियाणा की सरकार धन्यवाद की पात्र है। अगर कोई हरिजन अपने घर में शौचालय बनाना चाहता है तो उसे वहां पर प्रयोग होने वाले मैटीरियल के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वह सब कुछ सरकार देगी। उसे तो सिर्फ शारीरिक तौर पर मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यहां पर जो यू.पी. और बिहार से लोग आते हैं, वे कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने यह बहुत ही अच्छा काम किया है और गांव वालों को यह बहुत ही अच्छी सुविधा दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले भाई फूल चन्द मुलाना जी ने बोलते हुए कहा कि हमारे प्रदेश का औद्यौगिकरण में विकास हो रहा है। इस बारे में एक बहुत ही अच्छी पालिसी है और हरियाणा की समस्त जनता के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हरियाणा प्रदेश जोगराफीकली एक छोटा प्रदेश है लेकिन यहां की महान परम्पराएं रही है। हमारी इस सरकार में भजन लाल जी के नेतृत्व में एक दिन ऐसा आएगा कि आज दुनिया की जो बड़ी

इन्डस्ट्रीयलिस्ट स्टेटस हैं, उनमें सबसे पहले इन्डस्ट्रीज के लिए हरियाणा का नाम होगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खुशी की बात है कि हरियाणा भवन में हमारे चीफ सैक्रेटरी आए हुए थे। वे बाहर लौज में बैठकर बाहर से आए हुए लोगों को हरियाणा में इन्डस्ट्रीज लगाएं, यहां पर बढ़िया पानी है, बिजली है और ला एंड आर्डर की स्थिति भी अच्छी है। मैं समझता हूं कि हरियाणा में बहुत ही बढ़िया इन्डस्ट्रीज लगेंगी और हरियाणा को काफी टैक्स मिलेगा, हरियाणा के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां पर बहुत की बढ़िया सामान मिलेगा जो बाहर के देशों के मुकाबले का होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि अच्छी इन्डस्ट्रीज को बनाने के लिए हमें लेबर्ज के लिए शान्ति बनाए रखनी चाहिए। मैं तो यह कहना चाहात हूं कि यह पहली सरकार है जिसके समय में 6 हजार रजिस्टर्ड इन्डस्ट्रीयल यूनिटस में कोई लेबर प्रौब्लम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब मजदूर फैक्ट्री में अपना खून–पसीना बहाता है तो उसके हितों की रक्षा करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना सरकार का परम कर्त्तव्य बनता है। भाई हुड्डा ने इस विभाग को जिस अच्छे तरीके से संभाला है, वह बहुत अच्छी बात है। हमारी सरकार से पहली जो सरकार थी तो उस समय सम्पत सिंह किसानों के ठेकेदार के रूप में अपने भाशण दिया करते थे। इन्होंने अपने राज में एक ''एल.एस.एस.'' बनाया हुआ था जिसको हरियाणा में लूट मार संघ'' कहा जाता था। इस संघ के लोग फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरों को लट्ठ मारते थे और कहते थे कि सम्पत सिंह का आदेश है, चौटाला

साहब का आदेश है। वे कहते थे कि यह कैसा राज चला रहा है, राज तो हमारा है। अध्यक्ष महोदय, उस समय इस तरह के हालात इन्होंने कर दिये थे जिसका परिणाम यह हुआ कि हरियाणा से इंडस्ट्रीज का पलायन शुरू हो गया। फरीदाबाद में भी आधे से ज्यादा कारखाने वालों में शांति न होने की वजह से और उनसे पैसा वसूलने के कारण वहां से भागना शुरू कर दिया था। अब यह फख्र की बात है कि इंडस्ट्रीज बैल्ट जैसे सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत और फरीदाबाद वगैरह हैं, में पूर्ण शांति हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां सरकार मजदूर के हक की पूरी वफादारी के साथ रक्षा करती है, वहां वह इंडस्ट्रीयलिस्ट को भी जिन बातों की जरूरत है, को पूरा करा रही है, इसी के साथ साथ पहली बार हमारी सरकार ने बेरोजगारी की समस्या से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए कार्यक्रम बनाया है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी समझते हैं कि गांव और शहरों में हर घर में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं। वे कोशिश करते हैं कि उनको पुलिस में भर्ती कर लिया जाए, क्लर्क लगा दिया जाए लेकिन सरकार के पास इतनी जगहें नहीं हैं। बेराजगारी खत्म करने के लिए केवल मात्र एक ही रासता है और वह रास्ता है टैक्नीकल ऐजुकेशन का। बेरोजगार लोगों को टैक्नीकल ऐजुकेशन दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पहली बार जब से हरियाणा बना है, इस विभाग को प्रो. छत्तर पाल सिंह के नेतृत्व में इतना महत्व दिया गया है। चौ. भजन लाल जी ने प्रो. छत्तरपाल सिंह साहब को इसके लिए इतनी छूट दी है कि उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में जारक टैक्नीकल ऐजुकेशन के बारे

स्टडी की है ओर वहां पर देखा कि टैक्नीकल ऐजुकेशन का क्या स्टैन्डर्ड है? किस तरह वहां पर नौजवानों को टैक्नीकल ऐजुकेशन दी जाती है अभी हमारे फरीदाबाद में भी डिवेल्पमैंट आफ टैक्नीकल ऐजुकेशन इन हरियाणा का एक सेमीनार हुआ था जिसका चौ. भजन लाल जी ने स्वयं उदघाटन किया था। उसमें सारे हरियाणा के इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे तथा हमारे टैक्नीकल ऐजुकेशन के अधिकारी भी थे। यह बड़ा अच्छा सेमीनार था। इससे हमारे गांवों के नौजवान यह बात समझते लगे हैं कि खाली बी.ए., एम.ए. करने से रोजी रोटी मिलने वाली नहीं। हमें तो रोजी रोटी कमाने के लिए मैट्रिक के बाद ही टैक्नीकल ऐजुकेशन लेगी होगी। टैक्नीकल ऐजुकेशन के विस्तार के लिए सरकार ने बड़ी भारी कोशिश की है। जगह–जगह पर पोलेटैक्निक कालेज और आई.टी. आईज. खोले जा रहें हैं। मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि फरीदाबाद में पहला विमैन पोलेटैक्निक कालेज मंजूर किया है। अब मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे, भाई और बहनें टैक्निकल ऐजुकेशन पढ़ेंगे। फरीदाबाद में इस कालेज के खुल जाने से अब हमारी बहनों को भी पूरा लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है कि सारे प्रदेश में जो पांच लाख बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार जुटाना है। अध्यक्ष महोदय, यह पहली सरकार है जिसने बेरोजगारी की इस भयंकर समस्या से निपटने की कोशिश की है। चाहे नौजवान बच्चों को हम बसों के रूट परमिट दें, चाहे उन्हें टैक्निकल ऐजुकेशन दें या दूसरी तरह का ज्ञान दें। निश्चित रूप

से जो बेरोजगारी की समस्या है, उसका क्या समाधान हो और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए सरकार ने जो कार्यक्रम बनाए है, वे सारे के सारे कार्यक्रम सराहनीय हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन में हमारे जो विपक्ष के आदरणीय नेतागण हैं, भाई राम बिलास जी नहीं है लेकिन भाई सम्पत सिंह जी बैठे हैं, ये सब बड़ा शोर मचाते हैं, बिजली के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कवैश्चन आवर में जवाब देते हुए बार–बार यही कहा था कि बिजली का उत्पादन हो रहा है जो कुछ थर्मल प्लांट वगैरह लगे हैं वे कांग्रेस पार्टी के समय में और नेतृत्व में लगे हैं। अगर उन्होंने थर्मल हाइड्रोलिक में कोई प्रोजैक्ट बनाकर कोई भागोदारी की है तो संपत सिंह जी जब अभिभाशण पर बोलेंगे, इस पर अपने विचार रख सकते हैं। बिजली उत्पादन में भारी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी बिजली का उत्पादन बढ़ा है। इसमें एक और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, इस सदन में हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पहली बार हमारे बिजली बोर्ड के चेयरमैन का एक टैक्नोक्रेट के हाथ में यह भार सौंपा है इस तरह के लोग जिनको टैक्नीकल नालेज है वे इस क्षेत्र में किसी भी समस्या का समाधान शीघ्र ढूंढ सकते हैं। हमारी सरकार यह चाहती है कि बिजली का उत्पादन बढ़े और हर किसान ओर इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली दी जाए। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से बिजली विभाग को बिजली के अधिक उत्पादन में लाभ होगा। हमारे प्रदेश में हमारी सरकार की बहुत कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं की हों, चाहे

हरिजन या शहरों के लोगों की हैं, उनके लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं शीघ्र कार्यान्वित हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, 2–3 बातें जो मेरे जिले से संबंधित है और बहुत जरूरी है, उन पर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं। जो हमारे रूलिंग पार्टी के साथी हैं और अपोजीशन के आदरणीय मैम्बर्ज हैं, उन्होंने मिलकर कहा कि हमारी जो आगरा कैनाल है, हमारे फरीदाबाद जिले को उसका मैनेजमैंअ सौंप दिया जाए। हमारे आफिसर्ज, हमारे इंजीनियर्ज उसकी मैनेजमैंट में भागीदार हों। उस आगरा कैनाल की लाइनिंग वगैरा हो जाए तो सारे फरीदाबाद के एक–एक खेत को पानी मिल सकता है। किन्तु भरसक कोशिश करने के बाद भी उस आगरा कैनाल का मैनेजमैंट हमारे हरियाणा प्रदेश के अधिकारियों और हमारे इंजीनियरों के हाथ में नहीं आया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर विशेश कदम उठाकर इस समस्या का समाधान करें। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिसार में इंजीनियरिंग कालेज शुरू किया है। मैं सारे जिले फरीदाबाद की तरफ से आग्रह करना चाहूंगा कि सारे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में फरीदाबाद एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इसलिए फरीदाबाद में भी इंजीनियरिंग और पोलेटैक्निक कालेज होना चाहिए। उससे वहां के इंडस्ट्रीयलिस्ट एंव शहर के लोगों को बड़ा भारी लाभ होगा। अन्त में मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि 27–28

मार्च को, एक बार फिर फरीदाबाद में 24 साल के बाद, कांग्रेस के महाधिवेशन का आयोजन इनके प्रयत्न से प्रदेश में इनके कुशल नेतृत्व में होने जा रहा है। यह समस्त हरियाणा की जनता के लिए गौरव की बात है, इसके लिए मैं सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from Sarvshri Bansi Lal, Amar Singh, Ram Bhajan, Chhattar Singh, Pri Chand, Karan Singh Dalal and Attar Singh, to this Motion. This may be deemed to have been read and moved.

Mr. Speaker: Motion moved –

"That an address be presented to the Governor in the following terms –

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha, assembled in this session are deeply grateful to the Governo for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 23rd February, 19993."

That in the motion, the following be added at the end namely:-

"but regret that no mention has been made of –

1. Concrete steps which the Government proposes to take arrest Price rise and bring back the price-line to January 1990-level.

2. Concerete steps proposed to be taken by the Government to streamline the deteriorating Public Distribution system.

3. To facilitate the formation of Co-operative societies of the unemployed educated yourth in the State which would be preferred for the allotment of Bus-rote permits, under the present policy of the Government Private agencies like gas petrol pumps, tractors, four wheelers cement kerosene oil Automobiles etc. and contracts fro developmental works like digging/desilting canals, construction of Govt. buildings and roads.

4. Fixing a time-frame for clearing the back-log in filling up the posts reserved for S.C.s' and B.C.'s by time bound recruitment/promotion.

5. Declaration of Government intention to nationlise all the mines in the State to prevent looting of precicus resources of the State by the vested interests.

6. Intention of the Government to allow police personnel to form Association.

7. Declaration of the intention of the Government to ban colonization by private parties and to have it done only through HUDA Co-operative Societies of unemployed youth, Housing board to put a step to exploitation of the public by the private colonisers.

8. Scheme for giving employment to one member of each family in the State; even though he or she may be unfortunate to have remained un-educated.

9. Concrete steps which the Government proposes to take to compelete SYL Canal to familitate the farmers to irrigate their field in the State.

10. Concrete steps which the Government proposes to take to give adequate price to the farmers of their crops and provide wheat and rice to the poor consumers (weaker section of the Society in the States on subsidised rates with in their approval.

11. Lowering of age for grant of old age pension to 55 years and provision of inclusion of old persons ingnored or not included in revised system of old age pension."

प्रो. सम्पत सिंह (भट्टू कलां): स्पीकर सर, आपका धन्यवाद। गवर्नर साहब का कल एड्रैस हुआ था। मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। गवर्नर साहब की जो स्टेटमैंट है, स्पीकर साहब, यह सरकार ने जो पिछले साल काम किये हैं, और आगे सरकार जो कुछ करने जा रही है, इसके बारे में मैं एक स्टेटमैंट है। जो स्टेटमैंट गवर्नमैंट ने गवर्नर साहब को तैयार करके दी, वह उन्होंने यहां हाउस में आकर पढ़कर सुनायी। जिस सरकार ने यह गवर्नर एड्रैस तैयार किया है उसके राज में आज सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। स्पीकर साहब, सरकार के मुखिया अपने कारनामों की वजह से बन्द कमरों में बन्द हैं पुलिस बन्दोबस्त के बिना वे बाहर पब्लिक में नहीं जा सकते। कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। मर्डर की औसत एक की आयी है। स्पीकर सर, बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन

है। यह इसलिये हो रहा है क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग ऐसा कर रहे हैं। यह इसलिये हो रहा है क्योंकि राजनीतिक सरंक्षण प्राप्त लोग ऐसा कर रहे हैं। कौन ऐसे अपराधियों को पकड़ेगा जब वह खुद ही ऐसे मामलों में शामिल होंगे। राजनीतिक लोग जो सत्ता में हैं, उनका उनको संरक्षण मिला हुआ है। इसी तरह से करप्शन का भी चारों तरफ बुरा हाल है। लैंड ग्रैबिग बहुत ज्यादा हो रही है। कहीं पर गवर्नमैंट लैंड हो, सैमी–गवर्नमैंट लैंड हो, या प्राइवेट लैंड हो, उस पर नाजायज कब्जे किये जा रहे हैं। जो लोग अपनी मांग पेश करते हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, उनको गोलियों से भूना जाता है। प्रजातन्त्र नाम की कोई चीज नहीं रही है। आज फार्मर्ज दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं, एम्पलाईज दुखी हैं और प्रैसमैन दुखी हैं। कहने का मतलब यह है कि समाज का हर वर्ग हरियाणा में बेचैन है। जहां तक कम्युनल हारमोनी की बात का ताल्लुक है, हरियाणा प्रदेश में टोटल डिस–हारमोनी है। हारमोनी जैसी कोई बात ही नहीं है। फाइनैंशियल क्राइसिज हैं। सारी व्यवस्था चरमराने को हो रही है और हमारे फाइनैंस मिनिस्टर महोदय बड़े चिन्तित हैं। इसी तरह से कहीं पर व्यापारी अपना सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं पर पंजाबी अपने सम्मेलन कर रहे हैं। व्यापारियों को सम्मेलन करने की इजाजत नहीं दी जाती, इसका अरोड़ा जी को पता है। कहीं पर स्टूडैंटस अनरैस्ट है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हरियाणा प्रदेश में सारे ही दुखी हैं। लोग अपना जीवन बड़ी मुश्किल से व्यतीत कर रहे हैं। जो कुछ मुलाना जी ने कहा है कि

एक परिवार के एक सदस्य को सरकार द्वारा नौकरी दी जायेगी। स्पीकर साहब, मैं यह सोच रहा था कि मुलाना साहब ने इसकी शुरूआत गवर्नर एड्रैस पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करके की है कि एक परिवार के एक आदमी को नौकरी दी जायेगी, कहीं यह उन पर ही लागू न हो जाये। उनके भी परिवार में से एक ही आदमी को नौकरी मिल सकती है, दूसरे को नहीं मिल सकती। कल, हो सकता है, उनको भी सैशन के बाद मंत्री पद की शपथ दिया दी जाये और अगर इनकी पत्नी भी नौकरी करनी हो Then he will have to get her resignation. तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी क्योंकि पाबन्दी के रहते हुए एक ही आदमी रह सकेगा। इसलिये अगर यह पाबन्दी न लगायें तो हमें कोई एतराज नहीं है। वह पाबन्दी भी रहे और आप भी नौकरी में रहें, तो भी हमें बहुत खुशी होगी। हमारा और आपका काफी पुराना वास्ता रहा है। एक बात इन्होंने यह कही कि जब भी नौन–कांग्रेसी गवर्नमैंटस आयी हैं, प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। जब कांग्रेस गवर्नमैंटस आयीं, तो काफी डिवैल्पमैंट हुई है। बिसला जी ने भी यही कहा है। सदन में मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनके एक बात कहना चाहता हूं। यह बात ठीक है कि आज वे कांग्रेस की गवर्नमैंट में बैठे हुए हैं। वे यहां पर 1982 में एन्टी कांग्रेस वोट लेकर आये थे और सपरिवार पूरी तरह से हमारी पार्टी के साथ थे लेकिन उसके बाद पलटा मारकर कांग्रेस में चले गये। वरना ये आदमीं हमारी पार्टी के ही थे। स्पीकर साहब, हालत यह है कि इस गवर्नमैंट की लैजीटिमैंसी खत्म हो गई है, पोलिटीकल ग्राउंड खत्म हो चुका है और लीगल

ग्राउन्ड खत्म हो चुका है। स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर सामने बैठे हैं। इनके बारे में दो रिपोर्ट हैं। एक रिपोर्ट तो सैन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (केन) की है और दूसरी हिसार के सैशन जज की रिपोर्ट है। स्पीकर साहब, एक प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर थे। उनको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया .....

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, यह मामला सब–जुडिस है इसलिए इनको मैन्शन नहीं करना चाहिए।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, रिपोर्ट आ गई है, केट की तरफ से .....

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, केट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और यह केस सब–जुडिस है। इसलिए उसको मैन्शन न करें।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, स्थिति यह है कि बाकायदा मैलाफाइडी डिक्लेयर की है और डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर पर मैलाफाइडी का इल्जाम है। Then he has no right to continue, Sir. इसी तरह से हिसार के अन्दर, जो पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे मि. गुरमेश बिश्नोई और उनके भाई को नाजायज हिरासत में रखा गया और टौरचर किया गया। उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट में केस किया, पैटीशन डाली गई। हाई कोर्ट ने इंक्वायरी के आर्डर किए और सैशन जज हिसार ने रिपोर्ट दी कि पुलिस ने ज्यादती की और पुलिस ने बाकायदा

नाजायज तौर पर हिरासत में रखा। स्पीकर साहब, किसी को नाजायज हिरासत में रखने का पुलिस को क्या इंट्रैस्ट हो सकता है? इंट्रैस्ट इनका अपना था, इसलिए उनको पुलिस की हिरासत में रखवाया गया then he also does not deserve as Chief Minister at this time. So he should resign and go from here. इसी तरह से जहां तक मौरल और पौलिटीकल ग्राउन्ड की बात है, उसकी आज हालत यह है कि जब ये किसी सभा में जाते हैं तो इनको हाजरी नहीं मिलती। इसलिए ये गुस्से में आ जाते हैं और गोलियों और लाठियां चलाने का हुक्म दे देते हैं। स्पीकर साहब, ये बार–बार फाइल और रिकार्ड की बात करते हैं। मैं फाइल के हवाले से ही कहना चाहता हूं कि हिसार के अन्दर रीजनल सैन्टर जो यूनिवर्सिटी का था, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाना था और काउंडेशन स्टोन की सैरेमनी में मुख्यमंत्री को जाना था। वहां डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन औफिसर ने सब–डिविजनल ऐजूकेशन औफिसर को चिट्ठी लिखी। स्पीकर साहब, बड़ी सरप्राइजिंग चिट्ठी है। डी.ई.ओ. लैटार एस.डी.ई.ओ. हिसार को लिख रहे है एस.डी.ई.ओ. ने आगे आदेश दिए हैं। वे आदेश हैं – लैटर नम्बर जी.–1–921–365, दिनांक 14.12.1992। विशय दिनांक 28.12.1992 को इंजीनियरिंग कोलेज के प्रांगण में होने वलो समारोह में भाग लेने बारे। इसमें लिखा है – आप एक हजार अध्यापक और अध्यापिकाओं को आदेश दें कि वे इस समारोह में पहुंचे क्योंकि समारोह में भीड़ आने की उम्मीद नहीं है। आगे लिखते हैं कि हिसार में स्थानीय तथा आठ किलोमीटर यानी हाउस रैंट स्टेशन

पर नियुक्त गवर्नमैंट हायर सैकेन्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राईमरी स्कूल और वे स्कूल जो गवर्नमैंट से एडिड स्कूल हैं, सारे अध्यापकों को वहां ढोया जाए, वहां लाया जाए। It is based on facts. It is based on record. It is based on file. जिसको ये बार–बार मैन्शन करते हैं। स्पीकर साहब, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इनकी पापुलेरिटी क्या रह गई है? इनको कोई भी सुनने के लिए नहीं आता। स्पीकर साहब, इससे आगे लिखते हैं – अगर ढील बरती गई तो आगामी कार्यवाही के लिए आप जिम्मेदार होंगे .....

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): यह चिट्ठी किसकी तरफ से है?

प्रो. सम्पत सिंह: यह डी.ई.ओ. ने एस.डी.ई.ओ. को लिखा है। स्पीकर साहब, कहते हैं कि आगामी कार्यवाही के लिए आप जिम्मेदार हैं और आगे लिख दिया कि आपको कोई टी.ए., डी.ए. नहीं मिलेगा। स्पीकर साहब, जब सरकार की यह हालत हो जाए, सरकार को लोगों को यूं ढोना पड़ जाए तो यह क्या सरकार रह गई? कोई मौरल ग्राउन्ड नहीं रह गया। स्पीकर साहब, चौटाला गांव के अन्दर वजीरों की फौज गई। ये लोग ऐसे गए जैसे रेड डालने के लिए जाते हैं। सात मिनिस्टर और सैंकड़ों पुलिस की गाड़ियों और इसके बावदूक सबर नहीं आया। अपने साथ जो पोलीटिकल लोग ले गए थे, उन लोगौं से हवाई फायरिंग करवाते गए, जैसे कोई गांव पर कब्जा कराने आ रहे हैं।

लेकिन स्पीकर साहब, अगर कोई आदमी सत्ता के नशे में चूर हो जाए और सत्ता की वजह से उसकी आंखों के आगे चरबी आ जाए तो वह चरबी पब्लिक हटा भी देती है। उन लोगों ने डैमोक्रेटिक तरीक से उस दिन चरबी हटाई और एक–एक कुर्सी पर चार–चार वजीरों को बैठकर का चलाना पड़ा। यह हालत इन लोगों की है। स्पीकर साहब, अगर लोग इनको नहीं चाहते हैं तो क्यों ये पब्लिक में जाएं? मैजोरिटी इनके साथ है। बन्द कमरों में अपना राज चलाते रहें। लोगों में जाने की जरूरत क्या है? ये लोगौं में जाने की जरूरत क्या है? लोगों में क्यों अनडैमोक्रेटिक मैथड अपनाते हैं? लोगों में जाने की जरूरत क्या है? इन लोगों में रिस्पैक्ट नाम की कोई चीज नहीं रह गई हैं। स्पीकर साहब, भाई इल्यास, सुभाश बतरा, शकरूल्ला कैबिनेट के वजीर क्रिकेट देखने गए थे। मैं कहना चाहता हूं कि जाना ही था तो ये लोग मुख्यमंत्री के साथ चले जाते। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चण्डीगढ़ यूनियन टैरोटरी कोई हम से अलग नहीं है। हमारा भी इस पर पूरा हक है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे तीन वजीर वहां पर जाएं और उनके साथ दुर्व्यवहार हो और उनको सीढ़ियों में घुसने न दिया जाए। हमारे भाई छतर पाल सिंह जी पिछले दिनों अजमेर के अन्दर किसी लड़की को देखने गये थे तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो कहा मंत्री हूं। रिश्े की बात थी। उन्होंने कहा हमारे से सारे का सारा हरियाणा कोई भूला नहीं है। मन्त्रियों की हरियाणा में जो इज्जत है, हमें मालूम है। इस तरह की इनकी शौहरत हो और फिर ऐसी हालात

के अन्दर कन्टीन्यू करे, कितनी शर्म की बात है। स्पीकर सर, जगह जगह रीकाल की मांग हो रही है। काफी कांग्रेस (आई) को एम. एल.एज. को लोग री–काल कर चुके हैं। सबसे पहले इनके ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर हरपाल सिंह जी, को फिर होडल के अन्दर, गोहाला के अन्दर और निसिंग के अन्दर और फिर मुख्यमंत्री महोदय के अपने हल्के आदमपुर के अन्दर लोगों ने रीकाल किया। स्पीकर साहब, कम से कम एक लाख लोगों ने हाथ खड़े करके कहा था कि हम री–काल की मांग करते हैं। फिर हमने यह कहा कि क्या कोई री–काल की मांग के विरूद्ध तो नहीं है? स्पीकर साहब, एक हाथ भी इनके हक में खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब तो यह है कि पोलिटीकली और मौरली जब सभी ग्राऊंडल इनके खत्म हो चुके हैं तो फिर इनको चीफ मिनिस्टर रहते का कोई हक नहीं है। अगर ऐसे हालत हो जाएं तो पब्लिक इनको क्या कहेगी? यहां तक ही नहीं, स्पीकर साहब, ये स्वयं मुख्यमंत्री के पद से भी सन्तुश्ट नहीं हैं। ये हिसार ट्रक यूनियन के प्रैजीडैन्ट बनना चाहते हैं। पहले इन्होंने इसके लिये एस.पी. का सहारा लिया, फिर नवयुवक छतरपाल सिंह जी का सहारा लिया और फिर नये मैम्बर पार्लियामैंट जोकि इन्होंने अभी अभी बनाए हैं, उनका सहारा लिया। अब जो नये नये शहीद होकर कांग्रेस में जा बैठे हैं, उनका सहारा ले रहे हैं। ये क्या करते हैं, पुलिस वहां पर भेजते हैं कि ट्रक यूनियन का दफतर उठा लायो। तोड़ दो, लगा दो आग सारे के सारे दफतर को। तो स्पीकर साहब, अगर ये मुख्यमंत्री का पद पाकर सन्तुश्ट नहीं हुए हों तो फिर हिसार की

ट्रक यूनियन के प्रैजीडैन्ट बनकर क्या सन्तुश्ट नहीं हुए हों तो फिर हिसार की ट्रक यूनियन के प्रैजीडैन्ट बनकर क्या सन्तुश्ट हो पाएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि ये कभी भी सन्तुश्ट नहीं होंगे। अगर इस तरह की इनकी कार्यशैली होगी तो वह प्रजातन्त्र विरोधी कहलाएगी। इनकी जो कार्यशैली है, वह भड़काऊ है, आतंकवाद से प्रेरित है। स्पीकर सर, अगर इनकी यही बात रही तो वह दिन दूर नहीं है जब लेाग 1986–87 की तरही से सड़कों पर निकल आएंगे। कहीं ऐसा न हो कि इनकी इस मरी हुई हरियाणा सरकार की लाश को किसी और के गले में डालकर जाना पड़े। पिछली बार तो गल्ती से चौधरी बंसी लाल जी ने अपने गले में डाल ली थी लेकिन इस बार ऐसा करने को शायद कोई तैयार न हो। स्पीकर साहब, आज प्रदेश के अन्दर कोई भी कार्य डिवैल्पमैंट का नहीं हो रहा है। डिवैल्पमैंट नाम की कोई बात नहीं है। आप ऐग्रीकल्चर से स्टार्ट करे तो आपको पता लगा जाएगा। आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर 75 प्रतिशत लोगों की मैजोरिटी कृशि पर आधारित है। लोग कृशि का धन्धा करते हैं लेकिन कृशि की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज किसानों को सरकार कीतरफ से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम बार बार यह रिपीट कर रहे हैं कि आज किसान की इनपुटस का खर्चा दुगुना हो गया है। चाहे फर्टीलाईजर हो, चाहे सीडज का मसला हो, चाहे पैस्टीसाईडस का मामला हो, फार्म मशीनरी का हो, पावर को हो, सारी चीजों के दाम दुगुने हो गये हैं। दूसरी तरफ फार्म प्रोडयूस के जो दाम हैं, वे आधे रह गये हैं। चाहे आप गेहूं, बाजरा, सरसों

को ले लो, सारे के सारे दाम आधे रह गयै हैं। चाहे आप गेहूं, बाजरा, सरसों को ले लो, सारे के सारे दाम आधे रह गये हैं। नर्मा व कपास को ले लो, और तो और गन्ने का भी इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। किसान आज गन्ने को अपने खेतों से उखाड़ चुका है क्योंकि उसको उसके पूरे भाव नहीं मिल पा रहे हैं। यह बात अगर गल्त हो तो आप रिकार्ड निकलवा कर देख लें। जब ऐसी पोजीशन हो जाए और लोग अपनी आवाज उठाएं, यही नहीं खुद मुख्यमंत्री जी की हाजिरी में निसिंग में गोलियां चलाई जाएं तो मैं चाहता हूं कि इस मुख्यमंत्री जी की हाजिरी में निसिंग में गोलियां चलाई जाएं तो मैं चाहता हूं कि इस मुख्यमंत्री के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। हमें बड़ा दु:ख है, हम उस स्थान पर जा कर आए हैं। वे दोनों फारमर्ज आपके हल्के के हैं। स्पीकर साहब, आपके हल्के के फारमर्ज बड़े प्रोग्रेसिव है इसलिए वे डैमोक्रेटिक–वे से अपनी बात कहने के लिए गए थे। उनकी बात सुनने की बजाए उनके साथ जो इन्होंने व्यवहार किया उससे बुरा व्यवहार कोई नहीं हो सकता। (शोर) स्पीकर साहब, इनकी खुद की सी.आई.डी. ने इनको इनफार्म कर दिया था कि आप वहां न जाएं, लोगों में गुस्सा है, अगर जाना है तो पहले आप उनकी बात को मानो। एम.एल.एज. का तो आना जाना रहता है। आज कांग्रेस के एम.एल.एज. उधर बैठे हैं ओर कल को वे इधर भी हो सकते हैं। कुछ कांग्रेस के एम.एल.एज. जिनको आज सो–काल्ड डिसीडैंअ कहा जाता है, वे असली कांग्रेसी हैं। जो लोग वाया भटिंडा आए थे, आज वे ओरिजीनल कांग्रेसी बने बैठे

हैं। जिनको ये डिसीडैंट कहते हैं, वे लोग किसानों की बता प्रधान मंत्री जी तक लेकर गए जिसके लिए हम उनकी आभारी हैं क्योंकि उन्होंने हमारी बात को वहा तक जाकर उठाया। स्पीकर साहब, उन्होंने बादली और बापोली को सील कर दिया। बादली के बारे में तो हमारे प्रधान जी बताएंगे लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर लोकल लोगों को वहां पर आने नहीं देना था तो मुख्यमंत्री को वहां जाने की क्या जरूरत थी? बाहर के मुलाजिमों को चिट्ठी लिख दी कि आपको वहां आना पड़ेगा वरना आपके खिलाफ एक्शन होगा। आप उन अफसरों को चण्डीगढ़ में एडरेस कर लो, क्यों आप लोगों को धमकाने के लिए वहां जाते हो? अभी यहां इरीगेशन के बारे में जिक्र आया था और ये बार बार एस.वाई. एल. और यमुना के वाटर का जिक्र करते हैं। स्पीकर साहब, आप इनकी प्रियारिटी देखें। ये यमुना वाटर को प्रियारिटी दे रहे हैं। गवर्नर एडरैस के पेज 6 पर आप देखें, पैरे के लास्ट में दो लाइनें ऐसे लिख दी हैं जेसे पैन की स्याही सूखने वाली हो और जल्द से जल्द दो लाइन पासिग रिमार्कस के तौर पर लिख दीं। इनकी पूरी डिटेल में लिखा चाहिए था कि कैसे करेंगे। अभी मुलाना साहब कह रहे थे कि – एस.वाई.एल. पर काम चालू हो चुका है जबकि इस अभिभाशण में लिखा है कि उस काम को चालू करवाने के लिए सरकार भरसक प्रयतन कर रही है। स्पीकर साहब, एस. वाई.एल. नहर का काम बिल्कुल बन्द पड़ा है। मैं आन दि फलोर आफ दि हाउस कहना चाहता हूं कि जब तक श्री बेअंत सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तब तक इस नहर पर काम शुरू

नहीं हो सकता। वे तो अकालियों से भी दो कदम आगे चले गए। वे कहते हें कि इस इशू को री–ओपन करने के बाद हम आपसे बात कर सकते हैं वरना नहीं करेंगे। इस तरह से उन्होंने एस.वाई. एल. के मामले को और भी पेचीदा कर दिया है। उन्होंने एस.वाई. एल. को यमुना से लिक कर दिया है। वे कहते हैं कि पहले हमें यमुना के पानी का हिस्सादो तब हम एस.वाई.एल. नहर के बारे में बात करेंगे। पंजाब के गवर्नर एडनैस के पेज 7 पर उनके गवर्नर साहब कहते हैं–

"My Government feels strongly that the Yamuna waters ought to be taken into account in determining the quantum of water apportioned between the two successor States."

इससे फालतू और क्या कहेंगे। ये पंजाब के सी.एम. को बड़ा प्यार करते हैं। कभी उनको ये भारत रत्न और कभी पदम श्री दिलवाना चाहते हैं। ये उनके साथ बैठकर लड्डू–जलेबी खाते हैं। इनकी उनके साथ क्या बात हो रही है, उसको मुख्य मन्त्री महोदय कलियर कर दें। वे कहते हैं कि जब तक यमुना का पानी हमें नहीं मिल जाता, तब तक एस.वाई.एल. नहर का काम शुरू नहीं हो सकता। ये यमुना वाटर के बारे में कोई मीटिंग दिल्ली करके आये। आते ही इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उस कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने एम.आ.यू. यानी मैमोरेण्डम आफ अन्डरटेकिग पास करवाया। जो भी केन्द्र में प्रधान मंत्री होता है, उसके ये यौस–मैन हो जाते हैं। इसके लिए ''नो'' का तो सवाल ही पैदा

नहीं होता। जो वहां से आदेश होता है उस पर ये ठप्पा मार देते हैं। अपनी कैबिनेट मीटिंग करने के बाद उस दिन फिर ये कहते हैं कि हथनी कुण्ड बैराज बन जाएगा और 500 करोड़ रूपये आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हथनी कुण्ड बरोज बनना एक सैपरेट इशू है। इन बातों को इस गवर्नर एड्रैस में कोई जिक्र नहीं है। में सारी रात देखता रहा लेकिन इस अभिभाशण में मुझे ये बातें कहीं पर भी नहीं मिली। वाटर का शेयर जो है वह अलग इशू है और निर्माण का जो काम होना है, वह अलग इशू है। ये आंकड़े बढ़ा–चढ़ा कर पेश करते हैं। इनकी कैबिनेट ने अभी उस एम.ओ. यू. पर अपनी मोहर लगाई है। 1954 के समझौते के मुताबिक 2/3 हिस्सा हरियाणा का और 1/3 हिस्सा यू.पी. का यमुनान के पानी का होगा। हम तो कहते हैं कि इस यमुना के पानी के इशू को बार बार री–ओपन मत कीजिए। आप गद्दी के लिए स्टेड के हितों से खिलवाड़ न कीजिए। हम चाहते हैं कि स्टेट के हितों के लिए आप गद्दी को सैक्रिकाई कर दें ताकि आपको हरियाणा की जनता याद रख सकें, नहीं तो कहीं आपका भी हाल नायक जैसा न हो जाए। अब ये इस फैसले से हरियाणा के लिए क्या लेकर आए हैं। There will be no compromise on our 2/3 share Sir. What they have brought? Total water is 11.983 Billioncubic meter. Out of it Haryana will get 5.730 B.C.M. Speaker Sir Whether it is 2/3? Then they are saying that U.Ps' share is 4.032 BCMs, Rajasthan's 1.119 B.C.M. Himachal's 0.378 B.C.M., Delhi's 724 B.C.M. when U.P's 1/3 share is 4.032 B.C.M. then Haryana's share should be 8.0 B.C.M. something.

In this way they have lost their more then 1/3 share and only 1/2 share remains. This they have mentioned in their M.O.U. .... (Interruptions) .... If it is not that way, then you can deny it in your reply.

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, कल को यह बात अखबारों में आ जाएगी। इसलिए मैं स्थिति कलियर कर देता हूं कि 1954 का 2/3 का शेयर का एग्रीमैंट ज्यों का त्यों कायम है। 2/3 से एक बूंद भी कम पानी होने का सवला ही पैदा नहीं होता। (विघ्न) ताजेवाला हैड से जो पानी आता है, उसका 2/3 का शेयर हमारा ज्यों का त्यों कायम है। ये जो कह रहे हैं यह आगे की बात है।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, 11.9.83 बी.सी.एम. में से 5.730 कैसे 2/3 शेयर बनता है? इनको हिसाब–किताब नहीं आता। (विघ्न) ये कह रहे थे कि एस.वाई.एल. नहर बन जाएगी और यह नहर हरियाणा की लाईफ लाईन है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से हमारी इण्टेलीजैंट शिक्षा मंत्री से यह लाईफ लाईन 5–7 महीने टयूशन लगा कर सीखी थी। अब ये उसी लाईु को छोड़ गई हैं।

चौ. भजन लाल: ओखला से जो पानी यू.पी. में जाएगा, यह अलग बात है। हरियाणा को जो मिलेगा वह ताजेवाला से मिलेगा। 2/3 से कम हम नहीं लेंगे। यह आगे की बात है।

प्रो. सम्पत सिंह: इसका सवाल ही नहीं है। ये आगे की बात कहते हैं, पीछे की नहीं हम तो यह कहते हैं कि 2/3

ताजेवाला हैड पर हो, इससे कम कोई भी बात हम एक्सैप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।

चौ. भजन लाल: हमने इस बात को नहीं माना है और न ही हम इस को मानेंगे।

प्रो. सम्पत सिंह: आपने इसको मान लिया है।

चौ. भजन लाल: कैसे मान लिया है? अगर हमने इसे मान लिया होता तो अब तब एग्रीमेंट हो जाता। इससे एक बूंद भी पानी कम नहीं हो सकता है। (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, कुछ लोग जो ओरीजनल कांग्रेस में ओरिजनिल बैठे हैं जिन्होंने कांग्रेस के अन्दर बड़े–बड़े ओहदे लिये हैं, जिन लोगौं ने कांग्रेस में जान फूंकी थी, वे लोग अजा कई जगहों पर गवर्नर भी है गवर्नर रूल के अन्दर भी फैसले लिये जाते हैं। उन लोगों ने इस बात को नहीं माना था। इसी वजह से यह मामला रूका था। 1/3 पानी हरियाणा का खराब करके इस लोगों ने लड्डू बांट लिये थे। स्पीकर सर, पावर के बारे में इन्होंने तीन मेन चीजों का जिक्र किया। हिसार थर्मल पावर प्लांट का जिक्र किया, फरीदाबाद और यमुनानगर पावर प्लांट का जिक्र किसा। स्पीकर सर, यमुना पावर प्लांट का तो इन लोगों ने गला ही घोंट दिया। गवर्नर एड्रैस में इन्होंने कहा है कि 2×210 मैगावाट का थर्मल प्लांट लगेगा। स्पीकर सर, हमने सुना था कि वह 4×210 का लगेगा लेकिन गवर्नर एड्रैस के अन्दर

2×210 का कहां से आ गया। स्पीकर सर, 840 मेगावाट का यह सुपर थर्मल पावर प्लांट था लेकिन इसकी आधी कैपेसिटी तो इन्होंने पहले ही पोंछ दी और ये कह रहे हैं कि इस प्लांट के लिए फाईनैंशियल ऐड आ रही है। यह बात ठीक है कि 1977 में इसके लिए लैण्ड ऐक्वायर हो गई थी और किसानों को उनका पैसा भी मिल गया था। इस प्लांट पर पैसा खर्च हुआ है लेकिन स्पीकर सर, यह रिकार्ड और फाईल की बात है कि इस थर्मल प्लांट की मन्जूरी सैंटर की कैबिनेट से अभी तक नहीं आई है। इन्होंने कह दिया कि फलां इसको फाईनैंस कर देगा। अपने बाहर के दौरे को जस्टीफाई करने के लिए भाशणबाजी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाए हैं। ये हिसार के थर्मल पावर प्लांट को 2×250=500 मैगावाट बनाने का जिक्र करते हैं। इसके लिए पहले मेजर साहब का जिक्र आया और अब यह कह रहे हैं कि अमरीकन कम्पनी मैसर्ज कोजनटिक्स टाईप ने इसे बनाना माल लिया है और एम.ओ0यू. उसके साथ साईन हो गया है। उस कम्पनी के साथ अण्डरस्टैडिग हो गई है कि वह कम्पनी इसको बनाएगी। स्पीकर सर, प्राईवेट तौर पर तो ये इस बात को मानेंगे, भले ही हाऊस में इस बात को न मानें, कि इसके सामने कितनी अड़चनें हैं। कप और लिपस के अन्दर बहुत डिफरैन्स है, जब चुस्की लेंगे तब पता चलेगा। आज उनके सामने कितनी हर्डल्ज डाल रखी हैं। कोल लिन्केज का एग्रीमैंट हुआ था। उसके अन्दर था कि कोल की सप्लाई की जाएगी। वह सप्लाई करणपुर से होनी थी। आज

गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने कह दिया कि करणपुर से हम अनी कोल सप्लाई नहीं कर सकते। उसके कण्डीशन लगा दी कि यह कम्पनी जो कोल लिन्केज की साईट होगी उस पर इन्वैस्ट करेगी। दूसरे स्पीकर सर, रेलवे की बात है। रेलवे महकमा भी कह रहा है कि लगते हाथ मैं भी अपनी बात कर लूं। वे कह रहे हैं कि जो रेलवे वैगन इस्तेमाल होने हैं वे वैगन बनाने के लिए जब यह कम्पनी इन्वैस्टमैंट करेगी, तब हम आपके साथ बातचीत करेंगे वरना बातचीत करने के लिए वे तैयार नहीं है। इसी तरह से ऐनवायरमैंट डिपार्टमैंट से भी इसकी मन्जूरी अभी तक नहीं आई है और ये बात कर रहे हैं कि इस पर काम शुरू हो जाएगा, यह काम कैसे शुरू होगा? स्पीकर सर, डजन से फालतू इसकी सैक्शन्ज बकाया पड़ी है ये आज कह रहे हें कि काम कल शुरू हो जाएगा, यह ठीक नहीं है। इसी तरह से फरीदाबाद का गैस प्लांट था उसमें गैस की ऐश्योरड सप्लाई बाकायदा 1990 में कन्फर्मड हुई थी। लेकिन आज वह भी कह रहे है कि शायद हम यह सप्लाई आपको न दे पाए। पहले जो कोल की ज्वायंट सैम्पलिंग होती थी वह पावर स्टेशन पर होती थी। यानि अगर फरीदाबाद में है तो फरीदाबाद में और अगर पानीपत में है तो पानीपत में। लेकिन लास्ट ईयर जुन से जनाब के आने के बाद इन्होंने क्या किया, they made the joint sampling at the site of collary. अब हमारे अफसर वहां जाएं। वहां जाकर क्या होगा, जो भी माल होगा वह सारे का सारा सांठ सांठ गांठ करके घटिया आयेगा। poor coal will be received at the cost of superior quality वह यहां से

वापिस भी नहीं कर सकते हैं पहले अगर माल घटिया होता था तो वे वापिस करते थे और उन्हें कोई पैसा नहीं भरना पड़ता था, लेकिन अब उसके ऊपर कैरेज हमारा लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज बिजली बोर्ड में साढ़े पांच सौ करोड़ रूपये का घाटा है। हममें जो भी घाटा है वह कन्ट्री में सबसे ज्यादा है। पंजाब के मुकाबले में तो यह बहुत ही ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, यह क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि बिजली चोरी हो रही है। अब ये कह दैंगे कि सबूत लाओ। तो मैं साबित भी कर दूंगा। जनाब के खुद के रिश्तेदार की भानू स्टील इन्डस्ट्री है। यह मै रिकार्ड की बात कर रहा हूं। हर इन्डस्ट्री में मैक्सीमम अथोराईज्ड लोड दिया जाता है। हरियाणा में किसी और इन्डस्ट्री के रिकार्ड में बिलों के अन्दर यह बात नहीं मिलेगी कि जो अथोराईज्ड लोड है केवल उसकी ही बिलिंग हुई हो। किसी की भी बिलिंग इस तरह नहीं हुई है। हरेक में 10, 20, 30 या 50 प्रतिशत की अधिक बिलिंग होती है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जितना भी अथोराईज्ड लोड है, वह दिया जता है कि आपका लोड इतना होगा और आप इतना इस्तेमाल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब उसकी बिलिंग होती है तो इनकी भानू स्टील इन्डस्ट्री को छोड़कर बाकी किसी इन्डस्ट्री के अन्दर केवल मैक्सीमम अथोराईज्ड लोड का ही बिल नहीं है बल्कि उसेस 20, 30 प्रतिशत फालतू का बिल होता है। सिर्फ एक ही इन्डस्ट्री का हरियाणा मे अथोराईल्ड लोड का बिल है। इससे हरियाणा बिजली

बोर्ड को डेलो करीबन 5 लाख रूपये का नुकसान हो रहा है। इसको कोन रोकेगा। ऐट दी हेल्म आफ अफेयरज तो खुद श्री भजन लाल बैठे है और उन्हीं के दामाद बिजली की चोरी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सहकारी विभाग को जदी–जायदाद बना लिया है, प्राईवेट महकमा बना लिया है। इनकी मर्जी हो तो किसी को उसमें भर्ती कर लिया या उसको हटा दिया है। मर्जी आए तो किसी को लोन दे दिया या उसका लोन कैंसिल कर दिया। इनकी मर्जी हो तो उसका पैसा सिकी भी बैंक में जमा करवा दिया। वह भी किसी कोआप्रैटिव बैंक या दूसरे कोआप्रेटिव अदायरे के बैंकों को नहीं देना है। अध्यक्ष महोदय, उसमें जो कमीशन आता है वह प्राईवेट आदमी के हाथों में दे देते हें ताकि उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को डायरेक्ट पहुंच जाए। इस संबंध में जब बहन चन्द्रावती जी ने पिछले सैशन में बात उठाई थी तो इन्होंने सिर्फ एक एम.डी. को लटका दिया। अकेले एक ही एम.डी. को लटकाने से बात नहीं बनेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर तो हाई–लैवल की इन्कवायरी होनी चाहिए। इनको चाहिए कि इसमें कोई जुडिशियल इन्कवायरी करवाएं ताकि पता चले कि एक अदायरे से दूसरे अदायरों में कितना कमीशन खाया गया है। अध्यक्ष महोदय, न जाने इस तरह के कितने कमीशन खाए गए हैं। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमैंट में खाया गया होगा, एच.एस.आई.डी. सी. में खाया गया होगा, दूसरे पब्लिक अन्डर टेकिग्ज में खाया

होगा। इस तरह से करोड़ों रूपया खाया होगा। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सरकार के ऊपर ऐलिगेशन है इसकी इन्कवायरी करवाई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, वैलफेयर का जिक्र आ गया। मांगे राम जी ने सुबह कहा कि बुढ़ापा पैंशन को कन्टीन्यू रखने का उनका कोई इरादा नहीं है, सरकार कंटीन्यू करेगी तो ठीक है वरना लोगों को जवाब देह होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ऐनीमल हसबैन्डरी विभाग है। खेती के साथ पशुपालन बहुत जुड़ा हुआ है। पशुओं को पालने के लिए लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। पशुओं को रखने के हाउसिज बनाने के लिए लोन दिया जाता है। इसी तरह से उनकी नस्ल को स्ट्रैन्गथन करने के लिए भी लोन दिया जाता है। सोमन बाहर से मंगवाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं रिकार्ड की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सात लाख रूपए का सोमन आस्ट्रेलिया से आया था। इनके इस विभाग के मंत्री ने, चाहे वह पहले वाला हो या अब वाला हो, इसे नान सीरियसली लिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, उस मंत्री के बारे में मैं बताता हूं। जब इनकी गवनमैंट थी, उसकी डेट मेरे पास है, ये अपने आप अन्दाजा लगा लें। यह मंत्री आस्ट्रेलिया गया, साथ में भारी भरकम टीम लेकर गया और वहां पूरा खर्चा करके आए। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वे वहां पर क्या क्या करके आए। वे सात लाख रूपए खर्च करके सीमन लाए। अध्यक्ष महोदय,

डायरेक्टर ऐनीमल हसबैन्डरी ने 22.7.92 को कमीशनर ऐनीमल हसबैन्डरी को लिखाः—

'सरकार को सूचित यिका जाता है कि आस्ट्रेलिया से जो ए.एफ.एस. सीमन आयात किया गया था, वह लैबोरेटरी टैस्ट के बाद डैड पाया गया।''

13.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, सात लाख रूपए इस तरह से गुल हो गए। जहां तक इंडस्ट्रिलाईजेशन की बाज है मैं बताना चाहता हूं कि आज इंडस्ट्रीज की जो हालत हरियाणा प्रदेश में है, वह सबको पता ही है। ये बारबार कह रहे है कि हम इंडस्ट्रीज बाहर से लेकर आ रहे हैं। एन.आर.आई. से बड़े एनक्रज्ड हुए हैं। हमने उनको बुलाया है तो मेरा सरकार को चेलैंज हे कि जब मुख्यमंत्री जी अपना जवाब दे तो वे उस सयम बता दे कि जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कौन कौन से प्राईवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने प्रोजैक्ट लगाने के लिए इनके टाईम में ऐप्लाई किया है? अगर किसी ने भी ऐप्लाई किया हो और उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो गय हो तो यह एक भी नाम बता दें। स्पीकर सर, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। वे कैसे अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे, लाखों अड़चनें जो हैं। एक मेरे माननीय उद्योग मंत्री जी जो बड़े स्याने हैं, काबिल हैं ओर जिनको महकमे का ज्ञान हैं, ने बहुत अच्छी इंडस्ट्री सिरसा में चलायी है। वरना

तो मुख्यमंत्री जी का दखल रहता है, इसलिए ही सारी गड़बड़ हो जाती है। मैं उद्योग मंत्री के काम को एप्रिशियेट करता हूं लेकिन बाकी और कोई इंडस्ट्री नहीं चली है। वह इंडस्ट्री उनके अपने सन इन ला की है, बहुत अच्छी बात है। हम उनका वैल्कम करते हैं, वे हमारे दोस्त भी रहे हैं। स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब था कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी है। इसके अलावा, अगर बिजली का कनैक्शन देना हो तो पैसे लाओ, प्लाट देना हो तो पैसे लाओ, लोन देना हो तो पैसा लाओ। जबकि वे लोग (एन.आर. आईज.) इस बात के आदी नहीं हैं। अगर कमीशन एक जगह देना हो तो भी कुछ ठीक है लेकिन पता नहीं कहां कहां पर देना पड़ता है? वे लोग इनके सारे परिवार को कहां से पैसा देंगे? स्पीकर सर, इस तरह से वे बेचारे लुटे जाते हैं। इसलिए ही नयी इंडस्ट्रीज लगने का कोई मतलब नहीं है। स्पीकर सर, मेरे पास आंकड़े हैं, यह 1991 की बात है। आपकी सैंशन की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है –

"The number of farm workers short of from 16.11% to 19% in 1991.

आगे लिखते हैं–

"The percentage of workers engaged in manufacturing wastess then one engaged on farms i.e. 12.87% against 19%.

स्पीकर सर, अगर यह बता होती तथा ये उनको एनक्रेज करते तो काम करने वाले लोगों की संख्या उस सैक्टर में घटती क्यों जा रही है? यह देखने वाली बात है तथा रिकार्ड की बात भी है।

इसी तरह से लोकल बाडीज का जहां तक सवाल है, उसका भी इन्होंने कचूमर निकाल कर रख दिया। इन्होंने लोगों पर बोझ तो इतना डाल दिया कि चार गुना से लेकर आठ गुना तक वाटर के रेटस बढ़ा दिए। लेकिन बाद में कैबिनेट ने स्टे कर दिया और स्टे करने के बाद दोबारा से फिर लेना शुरू कर दिया। कई कमेटियों ने तो बढ़ा हुआ रेट ले भी लिया। (विघ्न) आप तो मंत्री हैं बड़े प्रभावशाली हैं, आप तो पंजाबी सम्मेलन बुला लेते हो। हो सकात है उसके वहां पर रेट न लिए गए हों लेकिन और म्यूनिसिपल कमेटियों में यह रेट लिए गए हैं। स्पीकर सर, पता नहीं क्यों लोकल बाडीज से इन्हें इतना प्यार हो गया है? यमुनानगर में एक म्यूनिसिपल इंजीनियर हैं। पानीपत में उसके खिलाफ लाखों रूपये के गबन के ऐलीगेशंज लगे थे। लेकिन इन्होंने उसको फिर भी यमुनानगर में लगा दिया। मुख्यमंत्री को शायद याद होगा कि इस बारे में 18 म्यूनिसिलप कमिश्नगर इनसे मिले थे। वे याददाश्त को ताजा कर लें, उन्होंने इनसे कहा था कि उसने पहले भी गबन किया है और यहां भी गबन कर रहा है। उन्होंने इनको प्रूफ भी दिये थे। लेकिन इस सबके बावजूद भी वह वही बैठा है। न जाने इनकी क्या मजबूरी है? इनको इसकी

इक्वायरी करानी चाहिए वरना शक की उंगलियां वापस फिर यही आएंगी क्योंकि जो भ्रश्टाचार/गबन नदियों के रूप में वह रहे हैं, वे सारे के सारे यहीं आकर समुद्र में गिरते हैं। स्पीकर साहब, इस तरह के आदमी को, जो कि आलरेडी चार्जशीटड पैसे के गबन के केस मैं हैं, इन्होंने वहां पर क्यों लगा रखा है?

इसी तरह ले ऐजुकेशन महकमें की बात है। वैसे तो बहन जी इसमें काफी सुधार करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन फिर भी अभी नकल जारी है। आप इन पर कंट्रोल करो। स्पीकर सर, इसी तरह से दो साल से प्राइवेट कालेजों के अन्दर गवर्नमैंट ने लेक्चरर की कोई पोस्ट सेक्शन नहीं की है। ऐजुकेशन महकमें को इसको करना चाहिए। मांगेराम जी थोड़ा आप भी करो। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के अन्दर है, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्षः क्या आपके टाईम में पोस्ट सैंक्शन करी थी?

प्रो. सम्पत सिंहः जी नहीं।

श्री अध्यक्षः तो आप इनको कैसे कहते हो? (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंहः स्पीकर सर, खुद मुख्यमेंत्री जी को पता है कि इनकी हिसार से अग्रोहा, आदमपुर और भादरा से होते हुए बसें चलती है। मैं इनको स्टैडिंग आफर देता हूं आप पता करवाएं कि वहां से जो प्राइवेट बसें चल रही हैं वे माइलेज के हिसाब से आपको पैसेंजर टैक्स कितना देती हैं और आपकी

रोडवेज कितना देती है। रोडवेज पर इल्जाम लगाते हैं कि कंडक्टर खा गया, फलाना खा गया, ढिकाना खा गया। प्राइवेट वाले आधे से कम पैसेंजर टैक्स देते हैं। मुख्यमंत्री जी जानते हैं और हमें भी पता है कि आपके जानने वाले मित्रों दोस्तों की भी बसें हैं, उनका पता तो करवाएं कि उनकी जेबों में पैसा क्यों जा रहा है, स्टेट एक्सचैकर के अन्दर वह पैसा आना चाहिए। इसी तरह से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमैंट है। बार–बार वायदे किए गए कि यह कर रहे हैं, वहकर रहे हैं। फरीदाबाद जिले में मंडकोला गांव में हमारी सरकार के वक्त में वोकेशनल ट्रैनिंग एजुकेशनल सैन्टर खोला गया था। गांव के लोगों ने 6 एकड़ जमीन दे दी और 8 लाख रूपये दे दिए, उसके बावजूद सरकार उस आई.टी. आई. को उठाकर न जाने कौन से जिले में ले गई। वहां पर लोगों को भूख हडताल करनी पड़ी और हमने उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई। स्पीकर सर, जिस किस्म की आज राज्य में इनकी गवर्नमैंट है, वह प्रजातांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही है। हमने उनको कहा कि घर बैठ जाओ, अपनी जब सरकार आएगी तो आई.टी.आई. खुल जाएगी। स्पीकर सर, इसी तरह से पब्लिक हैल्थ डिपार्डमैंट वाले गांव–गांव में टूटी लगाते हैं। बात टूटी से नहीं बनती। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह प्रोजैक्ट हमारे टाइम का था। हर गांव के अन्दर पानी देने की स्कीम थी लेकिन आज कहीं भी पानी नहीं है। अकेले हांसी सब डिवीजन के 30 गांवों के अन्दर, खुद इनके चौ. वीरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, मसूदपुर, लोहारी और भदोड़ हांसी सब–डिवीजन के इन गांवों के अन्दर पानी का

इतना घोर संकट है कि औरतों को जोहड़ों से पानी लाना पड़ता है। भट्टू कलां की तो बात ही छोड़ दो। भट्टू का तो वाटर वर्क्स बन्द कर दिया। वहां बिजली के कनैक्शन बंद, पानी बन्द, सब कुछ बन्द उसकी कोढ बात नहीं क्योंकि वह तो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। स्पीकर सर, पब्लिक रिलेशंज डिपार्टमैंट सरकार की कारगुजारियों को बताता है और लोगों को बताता है कि सरकार ने क्या–क्या काम किए हैं। इस डिपार्टमैंट ने पिछले दिनों क्या किया? मदान भाई जी हमारे साथ ही रहते हैं। मैं उनको वाया बाम्बे लेकर आया था लेकिन भजन लाल जी तेज निकले और इनको वाया आदमपुर ले आए, खैर ले आए। कैलेन्डर छप गए, क्या बुरी बात है, छप गए लेकिन सरकार नहीं लिखा। स्पीकर सर, हरियाणा देश का सिम्बल है, सिर्फ सरकार लिखवाने के लिए सारे कलैन्डर दोबारा छपवा दिए। लाखों रूपये का खर्च हो जाए, फिर भी इनको तसल्ली नहीं होती। मुख्यमंत्री जी गांवों में सभाओं में जाते हैं, भीड आती नहीं है। जीन्द में ऐसा ही हुआ, इनकी सभा में उपस्थिति हजार–बारह सौ की थी जबकि किसानों की सभा में 20–30 हजार लोगों की भीड़ थी। मदान बेचारा इस बारे में क्या करे यह कहां से अखबारों में फोटो छपवा दे। अखबार वालों के फोटो घासी राम, किसान यूनियन के प्रधान का छाप दिया। उससे मुख्यमंत्री जी को इतनी पीड़ा हुई कि चण्डीगढ़ में सबसे पुराना चलने वाला जो अखबार है, उसके ऐडिटर को आनन–फानन में टेलीफोन मार दिया। उसको धमकाने की कोशिश की। आज तक तो कौरसपौंडेट को धमकाया था लेकिन अब उनके

ऊपर जिप्सी चढ़ाने की कोशिश की, उनको जान से मारने को कोशिश की। अब ऐडीटर को धमकाया क्योंकि मुख्यमंत्री बी–टीम तैयार कर रहे हैं। वहां पर भी बी–टीम में कोई शख्स बैठा है, उसकी दो लड़कियों को नौकरियां दी हैं। एक को तो हरियाणा पब्लिक रिलेशन में लगा दिया दूसरी लड़की को हरियाणा चाइल्ड वैल्फेयर कैंसिल में लगा दिया। उसको कहा कि तुम पब्लिसिटी नहीं करा पाए, उन्होंने कहा कि जब तक ये ऐडिटर बैठे हैं तब तक हम तो पब्लिसिटी नहीं करा सकते हैं। दूसरे अखबार का सम्पादक कई दिन से नाराज हो रहा था। समझौता भी जल्दी करते हैं, भिड़ाते भी जल्दी हैं। जैसे ए.सी. चौधरी को कहा दिया कि पंजाबी सम्मेलन करो। लछमन दास अरोड़ा से कह दिया कि विरोध करो। दूसरे अखबार वाले को टेलीफोन करके कह दिया कि में माफी मांगता हूं, आज तक जो कुछ हुआ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऐसी हालत अखबार वालों के साथ ही रही है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, न तो हम अखबार वालों को गलत बात कहते हैं और न माफी मांगते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब डैमोक्रेसी के चार स्तम्भ होते हैं, हालात ऐसे हो गये हैं कि उन चारों को इन्होंने क्रप्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरी तरह से चारों स्तम्भों को अपने काबू में करने में लगे हुए हैं। स्पीकर साहब, मैं तो इस

मामले में अपनी ही बात कह सकता हूं और यह अश्योर कर सकता हूं कि जैसे हालात आ रहे हैं, हमें जल्दी ही मौका मिलेगा। हमारा राज आयेगा तब हम कोशिश करेंगे कि पी.एच.डी. की डिग्री जो इन्होंने हासिल की है, उससे आगे की प्रजातन्त्र के चारों स्तम्भों को भ्रश्ट करने के बदले में डी.लिटट. की डिग्री दे दी जाये। ऐसी हम सिफारिश जरूर करेंगे ताकि इनको यह उपाधि मिले और लोगों को इनके बारे में पता चल सके। इसके साथ ही फाइनैंस मिनिस्टर को भी पता है कि फाइनैंसिज का बहुत बुरा हाल है। मंत्री जी इस बारे में बता भी चुके हैं कि हालात काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कट लगाये जा रहे हैं। मुलाजिमों की तनख्वाह तक देने के लिये पैसे नहीं हैं। रिसोर्सिज इक्ट्ठे करने के लिये इन्होंने ए.सी. चौधरी जी की डियूटी लगायी थी। स्पीकर साहब, बार–बार हमने यहां पर हाउस में कहा कि एक्साईज पालिसी इस तरह से बनायी जाये लेकिन हमारे बार–बार कहने के बावजूद इन्होंने उस तरह से ऐक्साईज पालिसी नहीं, बनाई। पता नहीं किन किन इंडीविजुअलज को फायदा देना था जिसके लिये इन्होंने इस तरह की पालिसी बनायी। इनकी पालिसी से तकरीबन 70 करोड़ रूपये की एक्वाईज के अन्दर गड़बड़ हुई है। स्पीकर साहब, यह सरकार इस बार फिर थूक कर उसी को चाट रही है। अब कह रहे है कि नहीं आपका जो सुझाव था, वह ठीक था। स्पीकर साहब, हमने इनसे कहा था कि घरों घरों में आप दारू न फैंकी। स्पीकर साहब, अल्कोहल के कोटे को जाहं तक संबंध है, ये कहते है कि 10 परसैंट हम हर साल बढ़ाते आए

हैं। आज कहते हैं कि हमने नहीं बढ़ाया है। आज यह कह रहे हैं कि जो एट प्रेजैंट कोटा है, यह भी फालतू पड़ जायेगा। ऐसे हालात हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं कि इतना कोटा ही फालतू पड़ जायेगा। लेकिन इस सबके बावजूद जो इन्क्रीज हुई है, वह केवल 7 परसैंट इन्क्रीज हुई है। 7 परसैन्ट इन्क्रीज इन–इन्कम जो हुई है, वह बहुत कम है। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ अवश्य हो रही ळै। 10 परसैन्ट तो अल्कोहल का कोटा बढ़ाते हैं लेकिन रैवेन्यू इनक्रीज केवल 7 परसैंट ही होती है। इस 10 परसैंट इन्क्रीज से मैं तो यह कहूंगा कि कम से कम रैवेन्यू में 25–30 परसैंट इन्क्रीज होनी चाहिये थी। इसी कारण भी में आन रिकार्ड ओर आन फाईल कहता हूं। मुख्यमंत्री जी नोट कर लें। आपके खुद के रिश्तेदार की एसोशियेटिड डिस्टिलरीज से जो ट्रक जाते हैं, वे बिना एक्वाईज डियूटी दिये हुए चले जाते हैं। ट्रकों के नम्बर अगर आप कहेंगे तो वह भी मैं दे दूंगा। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में अभी तो टाईम लगेगा लेकिन मैं आपको बाद में भेज दूंगा। अगर इन्क्वायरी करा सकें तो क्रा लें। पता चल जायेगा। ट्रक धड़ाधड़जोू रहे हैं। स्पीकर साहब, 3–4 लाख रूपये डेली का नुकसान स्टेट का हो रहा है। इसी तरह से ला एंड लार्डर का जहां तक सवाल है, ला एंड आर्डर के बारे में मैंने शुरूआत करते हुए कुछ जनरल बातें बतायी थीं कि स्थिति बहुत खराब है। बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। तब मैंने जनरल बात कहीं थी, अब मैं इस डिपार्टमैंट की बात पर आ रहा है। तब मैंने जनरल बात कही थी, अब मैं में इस डिपार्टमैंट की बात पर आ

रहा हूं। स्पीकर साहब, जो कुछ हो रहा है वह सबको पता है। आजकल, रेप और किडनैपिग हो रही है। छोटे–छोटे इम्मैचयोर बच्चौं के साथ रेप किया जा रहा है। उसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियों भी शामिल हैं। उनकी किडनैंपिग करते हैं, उनको रेप करते हैं, फिर उनको मारते भी हैं। इस तरह से हालात हो रहे हैं। अकेले हिसार में, जो आपका शहर है, दो छोटे बच्चों के साथ जनवरी, 1993 में रेप हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आप हंस रहे हैं। स्पीकर साहब, यह तो एक बहुत ही हीनियस क्राईम है। समाज के अन्दर इससे फालतू हीनियस क्राईम हो नहीं सकता ओर मुख्यमंत्री जी हंस रहे हैं। अगर ऐसे ही बात करेंगे तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इनके अपने हिसार के अन्दर सिटी मैजिस्ट्रेट ने रेप का अटैम्पट किया है। एच.एस.ई.बी. कालोनी के अन्दर वह रात को गया। वहां जाकर एक महिला के साथ रेप करने की कोशिश की। उनके साथ और भी सरकारी मुलाजिम थे। स्पीकर सर, क्या किया? उसके अगेन्सट केस रजिस्टर कर लिया। वह जमानत पर चला गया। इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ आदमी अगर इस तरह से सलूक करता है, तो उसको गिरफतार करना चाहिये था। उसको लोगौं के सामने सबक सिखाना चाहिये था। लोगों के सामने सबक होता कि अगर ऐसा करोंगे तो ऐसा होगा। इतना बड़ा हीनियल क्राईम कोई भी करेगा तो उसके साथ ऐसा सलूक होगा। सिटी मैजिस्ट्रेट के पद पर बैठे हुए आदमी को ऐसा काम नहीं करना चाहिये था। इसी तरह से स्पीकर साहब, गवर्नमैंट हाई स्कूल, बैहल की तीन गांवों की लड़कियों को, जब वे पढ़ने जा

रही थीं, तो कुद बदमाश लोग उठा कर ले गये। हमें बड़ी ही शर्म से यह कहना पड़ रहा है कि उनको नेक्ड किया गया। उनके फोटो खींचे गये। उसके मां–बाप को और उनको एक्सपलायट किया गया। स्पीकर साहब, फिर भी यह सरकार सोई रहती है। इस तरह की प्रवृति समाज के अन्दर बढ़ती जा रही है, इसको करव करना चाहिये। हैवी हैंड से इसको दबाना चाहिये। अगर इस तरह से होगा तो किसी भी आदमी की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। ऐसे हालात इन्होंने कर रखे हैं। लोगों को इतना तंग किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अनाथालयों को भी नहीं बख्श रहे हैं। चौ. बंसी लाल के शहर भिवानी में एक अनाथालय है। वहां पर जो सन्नी नाम का लड़का था उसको बुरी तरह से पीटा गया। वहां पर 47 लड़के और चालीस लड़कियां थीं उन सबको बुरी तरह से पीटा गया। इसलिए पीआ गया क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं है। स्पीकर साहब, इसी तरह से भिवानी में दो बाल्मीकियों को उठा लिया गया और उनका आज तक कोर्ठ पता नहीं है। ये लोग पुलिस का इस्तेमाल राजनैतिक परपज के लिए करते हैं। आज हालात यह है कि पुलिस में डिमौरेलाईजेशन आ गई है। कांस्टेबल से लेकर डायरेक्टर जनरल तक डिमौरेलाईज हो गए हैं। स्पीकर साहब, आपको पता है कि डी.जी.पी. डेपुटेशन पर जाना चाहते थे लेकिन इनकी तरफ से रूकावट डाली गर्ठ है और उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिए के लोग बहुत दुखी हैं। कास्टेबल और हैड–कांस्टेबल सभी में असंतोश है। जिसका प्रोमोशन हो गया है इसका डिमोशन कर देते हैं। जब प्रोमोशन

देना होता है, पहले वाले को इग्नोर कर दिया जाता है और दूसरे को प्रोमोशन दे दी जाती है। जिसको प्रोमोशन होना हो उसकी रिपोर्ट खराब कर दी जाती है। स्पीकर साहब, डी.आई.जी. ओर आई.जी. रैंक की पोस्टस खाली पड़ी हैं लेकिन लोगों को प्रोमोशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि तीनों आदमी इनको अच्छे नहीं लगते हैं स्पीकर साहब, इनको डयू प्रोमोशन देना चाहिए। फिर ये लोग कहते हैं कि पोलिटिक्स लोगों को रगड़े लगाओ। स्पीकर साहब, मैं इस हाउस का आनरेबल मैम्बर हूं। मेरे घर पर इन्होंने रेड करवाए। हाउस में इन्होंने कह दिया था कि बाहर मैं देख लूंगा। श्रीमान भजन लाल जी, वे दिन फिर आ जाएंगे, आपको दुबारा भी पब्लिक में जाना होगा। स्पीकर साहब, छब्बीस जगहों पर रेड डाले गए। स्पीकर साहब, सम्पत सिंह को आवाज को दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती। मैं इस सरकार में व्यापक भ्रश्टाचार के खिलाफ बाकायदा लड़ता रहूंगा। जब तक मेरे अन्दर एक बूंद भी खून की है, मैं ऊंची आवाज से बोलता रहूंगा, दबने का कोई सवाल ही नहीं है। (घंटी) स्पीकर साहब, आज इसी वजह से स्टेट के अन्दर हिसहारमनी है। आज मेवात के अन्दर क्या हालात हैं। वहां पर कम्यूनल हिसहारमनी हो गई है। वहां पर किस तरह से लोगों को मारा गया। वहां पर हिन्दू और मुसलमान प्यार से रहते थे लेकिन आज वहां क्या हो रहा है। स्पीकर साहब, वहां पर माइग्रेशन हो रहा है लेकिन इनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं। ऐसे हालात में

सरकार चुपचाप देख रही है। इन पर यह कहावत लागू होती है आग लगाकर जमाली दूर खड़ी।

स्पीकर साहब, जहां तक क्रप्शन का ताल्लुक है आज करप्शन बेइन्ताह है। आज नौकरी लगने के लिये पैसा चाहिए, नौकरी से हटने से बचने के लिए पैसा चाहिए, बदली के लिए पैसा चाहिए, बदली रूकवाने के लिए पैसा चाहिए। प्रोमोशन चाहिए तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। किसी को पकड़वाना हो तो पैसा चाहिए, सिकी को सस्पैंड करवाना हो तो पैसा चाहिए। किसी सरपंच को सस्पैंड करवाना हो तो पैसा चाहिए और उसको रिइंस्टेट करना हो तो पैसा चाहिए आज मुख्यमंत्री की पोजीशन यह है कि इनके काबू का आज सौदा नहीं रहा है। आज इनके परिवार के लोग सत्ता पर हावी हो रहे हैं। मैं रिकाड की बात कर रहा हूं। फरीदाबाद में सैक्टर पन्द्रह में 1414 नम्बर मकान, 31 दिसम्बर, 1992 को खाली हुआ। अलौटमैंट की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक पत्रकार को यह मकान दे दिया जाए लेकिन इनके साहबजादे ने कहा कि यह मकान रोहतक के कोई राज्य मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार किसी मुलाजिम को अलौट कर दिया जाए। जबकि आलरेडी उसके पास मकान है लेकिन आखिर में साहबजादे की जीत हुई।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक जमीनों पर कब्जों का संबंध है, मैं पुराने कब्जों का जिक्र नहीं करूंगा। मैं तो केवल जिक्र करूंगा इस सरकार के कारनामों का। स्पीकर साहब, मैं नाथूपुर

की 27 एकड़ लैन्ड का जिक्र नहीं करूंगा, इस तरह से 60 एकड़ जमीन कराड़े, 12 एकड़ जमीन झज्जर की और न ही लाडवा में 65 हजार रू. किले में बेचने का जिक्र करूंगा। गुड़गांव में टूरिज्म की 80 एकड़ जमीन ये खा गये, उसका जिक्र भी नहीं करूंगा, न ही फतेहाबाद की जमनी का ही जिक्र करूंगा क्योंकि उन बारे में तो इनके परिवार के लोगों ने पहले ही मान लिया है। चलो कोई बात नहीं करोड़ों की जमीन थी जोकि इनके परिवार के लोगों ने केवल लाखों में खरीद ली। लेकिन जो गुड़गांव के गांव की जमीन थी, उस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि मौजा इनायतपुर की 90 एकड़ जमीन, जोकि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, मारूति के नजदीक, दोनों तरफ दिल्ली रोड हे, उस जमीन के 645 मालिक थे। 22.12.92 और 23.12.92 को पावर आफ अटार्नी के द्वारा रजिस्टरी करवाई गई। चार फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बरों 1083, 1084, 1087 व 1090 से यह रजिस्ट्रेशन हुई है। स्पीकर सर, जो पावर आफ अटार्नी देता है, उसके अंगूठे का निशान या दस्तखत होते हैं। पावर आफ अटार्नी में नाम लिखे गए कुल 130, लेकिन साईन व अंगूठे केवल लगे हैं 59 आदमियों के। बाकी 71 के न तो अंगूठे हैं न ही साईन हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (शोर)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, उस तहसीलदार को सस्पैंड कर दिया गया है और बाकायदा इंक्वायरी भी चल रही है। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। (शोर)

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, किस बात की इंक्वायरी चल रही है? (शोर) ब्रिगेडियर के.एस. कटारिया, वह काफी पढ़ा लिखा है, इंटेलीजैंट है। उसके नाम के आगे इन्होंने अंगूठे चेप रखे हैं और रजिस्ट्री होती है 30 तारीख को लेकिन इन केसिज में विटनैस कौन है, यह मैं बताता हूं।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। तहसीलदार को सस्पैंड कर दिया गया है ओर जांच चल रही है। (शोर)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, शमशेर सिंह नाम के एक आदमी के ऐज विटनैस साईन हैं और इनका छोटा साहबजादा बाकायदा फरीदाबाद के अन्दर उसके मकान के अन्दर रहता रहा है। मैं हाउस नम्बर भी बता दूंगा। (शोर)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, छोटे वाला लड़का एक दिन भी वहां ठहरा हो और ये साबित कर दें तो जो सजा कहोगे में भुगतने के लिए तैयार हूं। यह बिल्कुल निराधार कह रहे हैं। (शोर)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह रजिस्ट्री इनके साहबजादे के हुक्म से हुई है। बाकायदा मुख्तयारनामा लिखा गया है। इन्होंने केवल मुकदमा क्या दर्ज किया है, चार सौ बीसी का। उसको गिरफतार कर लिया और वह अपनी जमानत कराके पार हुआ। फिर ये तहसीलदार को सस्पैंड करने की बात करते हैं। यह

कार्यवाही भी तब हुई जब हमने इनके विरूद्ध आवाज उठाई। केवल तहसीलदार को सस्पैंड ही कर दिया, उसको तो गिरफ्तार करना चाहिए था।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, यह सब इनकी ही पेशबन्दी थी (शोर) हमने बाकायदा इस केस में कार्यवाही की है।

प्रो. सम्पत सिंह: हमारी कोई पेशबन्दी नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं थी।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं डिटेल में इनकी सारी बातों को जवाब दूंगा। मेहरबानी करके ये यहां पर रहें तो इनको सभी बातें क्लीयर करूंगा कि वे किस के आदमी हैं, कौन हैं और उन्होंने क्या क्या किया है? (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, तहसीलदार जो रजिस्टरी करता है, उसकी केवल सस्पैंड किया गया जबकि उसको अरैस्ट करना चाहिए था। (विध्न) आप कहते हैं कि वह हमारा आदमी होगा। हम तो खुद कहते हैं कि अगर तहसीलदार ने हमारे कहने से कुछ किया है तो आज ही उसकी गिरफ्तारी के हुक्म डी. सी. को दो। ऐसी जमीनें म्यूनिसिपल कमेंटी और विलेज पंचायतों में वैस्ट कर गइ हैं तो इससे फालतू गड़बड़ ये और क्या करेंगे। यह 90 एकड़ जमीन पूरे सौ करोड़ रूपए की है। एक लाख साढ़े 87 हजार के हिसाब से चार रजिस्ट्रियां करवाई गई। यह सब खुद इनके साहिबजादे की वजह से हुआ है। इसमें इनका खुद का

कमिशन है। इसी तरह से पलवल का जिक्र भी मैं करना चाहता हूं। अब ये पलवल के लिए भी कह देंगे कि वहां भी इनके आदमी हैं।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये जानते हैं कि मैं सारी बातें जवाब देते वक्त कहूंगा इसलिये पहले से ही ये पेश बन्दी करना चाहते हैं। (शोर) हम आपको जो भी बात कहेंगे वह औन औथ कहेंगे।

प्रो. सम्पत सिंह: मैं भी औन औथ कहता हूं कि आपके छोटे साहिबजादे कुलदीप सिंह का यह काम था। उसको देखते हुए इनका बड़ा साहिबजादा पलवल पहुंच गया। उसने सोचा कि तू छोटे से कम क्यों रह जाए। स्पीकर साहब, पलवल में बस अड्डे के लिये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट ने लैंड एकवायर की थी और वहां पर बस अड्डा बन गया। उन्होंने थोड़ी लैंड अपने पानी की निकासी के लिए रखी थी। उस जमीन के लिये इनका बड़ा साहिबजादा वहां के जी.एम. से लिखवा कर लाया कि इसकी हमें जरूरत नहीं हैं। उस जमीन को उन्होंने रिलीज किया। हरियणा में ऐसे सैंकड़ों केस हुए हैं कि पहले लैंड एकवायर करने के नोटिस जारी हुए और बाद में विदड्रा हुए उसी प्रकार से इन्होंने उस नोटिफिकेशन हो विदड्रा किया लैंड वापिस कर दी। उसके बाद हुक्म जाता है कि यह जमीन हारे आदमियों के नाम कर दी। मैं आपको तारीख बताता हूं। हरियाणा गवर्नमैंअ ने 11.2.92 को नोटिफिकेशन किया था कि जुमला मालिकान की जमीन, शामलात

देह की जमीन कमेटी और पंचायत में वैस्ट करेगी। उसके बाद फरीदाबाद के डी.सी. 3.12.92 को उस आर्डर की इम्पलीमैन्टेशन के लिए तहसीलदार को आर्डर करते हें उसके बाद वे खुद तहसीलदार को बुला कर कहते हें कि आप इस जमीन की रजिस्टरी करो। जब वह इन्कार कर देता है तो डी.सी. 29.12.92 को वहां खुद जाता है। तहसीलदार सोचता है कि वह मेरे से रजिस्टरी पर दस्तखत करवाएगा इसलिये वह छुट्टी चला जाता है। उसके बाद नायब तहसीलदार को बुलाते हैं और उससे 13 रजिस्ट्रियां करवाते हैं। आज उस जमीन पर 150 दुकानें खड़ी की जा रही हैं। अगर एक दुकान का मूल्य दो लाख रूपया भी लगाएं तो वह तीन करोड़ रूपये की जमीन सीधी इनके पास आई है। हम अमाऊंट में नहीं जाते लेकिन फिर भी वह तीन करोड़ रूपए से ऊपर की जमीन है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पलवल वाली जमीन जो बस स्टैंड के लिये थी, उसे मुख्यमंत्री के दोनों लड़कों ने खरीदा है।

चौ. भजन लाल: आप यह बात साबित कर दें तेा मैं आज दी अस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 5 मिनट बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय 5 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, 29 तारीख को 13 रजिस्ट्रियां नायब तहसीलदार से करवाते हैं। फिर एक दिन बाद यानी 30 तारीख को ....(शोर)

चौ. भजन लाल: ये रजिस्ट्रियां किसके नाम हैं यह भी बता दें।

प्रो. सम्पत सिंह: यह रिकार्ड की बात है और फाईल आपके पास है। 29 तारीख की रजिस्ट्रियां होती हैं और फिर 30 तारीख को जो जमीन बची रह गर्ठ मुस्तरका मालिकान की, उसको म्यूनिसिपल कमेटी के नाम कर दिया। कहने का मतलब यह है कि उन जमीन को, जो इन्होंने ली, उसको तो छोड़ दिया और बाकी जमीन को एक दिन बाद ही म्यूनिसिपल कमेटी के नाम ट्रांसफर कर दिया। जब यह मुद्दा हमारे आदरणीय नेता चौ. ओम प्रकाश चौटाला ने उठाया तो उस आदमी को सस्पैंड कर दिया जो तहसीलदार के पद पर मि. रंगा थे। उनको इसलिए सस्पैंड कर दिया क्योंकि उन्होंने रजिस्टरी करने से इंकार कर दिया। सस्पैंड तो नायब तहसीलदार को करना चाहिए था लेकिन उसको इसलिये नहीं किया क्योंकि उसके रजिस्टरी कर दी और उसे उस की कुछ

हिस्सेदारी मिल गई होगी। उस तहसीलदार ने वाकई बड़ी बहादुरी का काम किया कि रजिस्टरी पर दस्तखत नहीं किए। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से ये होडल के अन्दर 1505 कनाल 26 मरले लैन्ड पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इनकी ऐसी जमीनों पर कब्जा करने के लिए गिदध की तरह नजर लगी रहती है। यह होडल की जमीन 1505 कनाल 26 मरले बस अड्डे के पास है, जिसमें जोहड़ की भी जमीन शामिल है, उस बारे में मेरा कहना यह है कि ऐसी सारी जमीनों का जो मुस्तरका मालिकान की हैं, अगल अलग से उसका इंतकाल करने की बजाये जो शहरों में पड़ती हैं उनको संबंधित म्यूनिसिपल कमेटीज को ट्रांसफर कर दिया जाये और जो ऐसी जमीन गांवों में पड़ी हैं, उसको पंचायत के नाम ट्रांसफर कर दिया जाये ताकि ऐसी जमीनों पर कोई नाजायज कब्जे कभी कर ही न सके। स्पीकर साहब, इसीतरह से में बताना चाहता हूं कि भिवानी में रामतलाई नाम की एक जगह है। स्पीकर साहब, 3 एकड़ जमनी लोगों ने अखाड़े के लिए दी हुई थी। वह जमीन इनके आदमियों ने 60 हजार रूपये में ले ली। जब वे वहां पर कब्जा लेने गये तो पंचायत के लोगों ने डंडों और लाठियों से उन्हें कब्जा नहीं लेने दिया। अभी भी इनकी गिद्ध नजर इस पर टिकी हुई है। यह 3 एकड़ जमीन करोड़ों रूपये की है जो इनके आदमियों ने 60 हजार में ले ली है। स्पीकर सर, ऐसे लूट के हालात इन लोगों ने सारी स्टेट में बना रखे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: स्पीकर सर, मेरा प्वायंअ आफ आर्डर है। होडल के बारे में जो इन्होंने कहा है वह बिल्कुल असत्य है। बल्लभगड़ तहसील में यह दूसरी जगह है जहां पर इनके रिश्तेदारों ने कब्जा किया था।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बिसला साहब को इस बात का पता नहीं है। 500 एकड़ से ज्यादा जमीन है जो बस स्टैन्ड के सामने पड़ी है। अगर यह बात झूठ हो तो जो जुर्माना करेंगे मैं वह दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस की सैन्स हो तो बैठक का टाईम 5 मिनट और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय 5 मिनट और बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, कैथल में टीक गांव पड़ता है। हम लोग वहां पर गये थे तो हमें पता लगा कि वहां पर एक मन्दिर बना हुआ था और वहां पर मन्दिर की 2 एकड़ जमीन थी। स्पीकर सर, कैथल से कुछ गुण्डे आए, ये लोग कौन थे, वह

मैं बताता हूं। कैथल में हिसार वालों की हीरो हौण्डा के नाम से एक ऐजैन्सी बनी है वहा पर इसके परिवार के लोगों के बैठे हुए देखा जा सकात है। उन्होने वहां जाकर कुछ बदमाशों को साथ लेकर उस मन्दिर की जमीन पर कब्जा कराया। (विघ्न) 30–40 गांवों की पंचायत हुई और हजारों लोगों ने वहां आकर वह कब्जा छुड़ाया अब लोग वहां पर नया मन्दिर बनाने में लगे हुए हैं। स्पीकर सर, इस प्रकार सारे हरियाणा प्रदेश में इन लोगों ने अपने अड्डे बना रखे हैं अपने परिवार के लोगों के अलग अड्डे बना रखे हैं। ये अड्डे लूट के लिये बना रखे हैं। फलां कार्य के लिये इतने पैसे लगेंगे ढिंगाने काम के लिये इतने पैसे दे दो। स्पीकर साहब, इन लोगों ने नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं। यह भी आन रिकार्ड बात है, जाकर देख लो। इनके घर के आगे, इनके दफतर के आगे बोर्डो पर बाकायदा यह लिखा है कि फलां नौकरी इतने में मिलती है, तबादले के लिये इतना पैसा लगेगां स्पीकर सर, इन कामों के लिये नोटिस बोर्ड लगे हैं ओर आक्शनें हो रही हैं (विघ्न एवं शोर) स्पीकर सर, हर चीज की आक्शन होती है। चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो चाहे कोई पोस्ट हो। सारी की सारी पोस्टों को आज इन्होंने आक्शन पर लगा दिया है। स्पीकर सर, इसी तरह से ये जाति–पाति की बात कर रहे हैं और एक जाति विशेश को आईसोलेट किया जा रहा है। आज आईसोलेशन से ऊपर कोई सजा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी ने भी कांग्रेस (आई) के प्रधान की मौजदूगी में कहा था, उसी कांग्रेस (आई) का सम्मेलन फरीदाबाद में करवा कर मोहर लगाने जा रहे हैं।

वीरेन्द्र सिंह जी ने तो कोशिश कर ली लेकिन वे फिर अपनी मोहर लगा बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, हिसार में सम्मेलन किया। ये कहते हैं कि 14 में से 10 जाटों को मैंने मंत्री बना रखा है। उसमें साथ ही ये कहते हैं कि जाटों को तो पहले चौकरी मिल चुकी है अब मैं इस जाति को नहीं बल्कि 35 और जातियों को नौकरी दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द इन्होंने कहें है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, धिक्कार है उन मन्त्रियों पर जो वहां पर बैठे इस तरह की बातें सुन रहे थे। लेकिन वे भी क्या करते उन मन्त्रियों की भी कोई मजबूरी रही होगी।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी अब आप बैठिए। आपका टाईम खत्म हो गया है। Now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

***13.40 बजे**

The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 25th February, 1993).

ANNEXURE

Compensation

60. Sh. Sampat Singh: Will the Minister of State for Transport be pleased to state –

(a) the total number of motor vehicle and other accidents occurred in the State during the year 1991-92 and 1992-93;

(b) the total number of persons died or injured in the above said accidents during the said period, separately; and

(c) the compensation, if any, given by the Government in each case to the persons injured and the families of deceased involved in the said accidents:

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal):

Cases registered

		1991	1992	1993 (upto 31-3-93)
(a)		4848	5389	418
(b)	Total number of period died	1886	2214	176
	Total number of persons injured	4826	5306	419

(c)	Total amount of MACT award for accidents involving Haryana Roadways Buses.	1991-92	Rs. 138.56 Lakh
		1992-93	Rs. 187.17 Lakh